Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No बी·टी·एम·डब्लू/24/96 *Date* 11/8/96

"उजड़ते वन एवं वन्य प्राणी के रक्षण और संरक्षण"

बिहार राज्य के अन्तर्गतदक्षिण छोटानागपुर के जिला पूर्वी सिंह-भूम एवं पश्चिम सिंहभूम के बीच अवस्थित शहर जमशेदपुर के ठीक उत्तरी दिशा में हरे-भरे ऊँचे "दलमा पाहाड़" सुसोभित है । इस पहाड़ के आस-पासअधिकाधिक छोटे-बड़े वन जंगल देखने को मिलता है । उस वन, जंग-लसे भिन्न-दलमा पाहाड़ अपना एक अलग पहचान और महत्व रखता है। यहां बिहाड़ घने जंगल होने के नाते विविध प्रजातियो का पेड़-पौधे,वृक्ष लतायें ,तथा पशु पक्षियाँ ,कीड़े मकोड़े के भरमार रहते थे । जैसे -
वृक्ष में:- साल,धौ, मुरगा,एकासिया,लिपिस·गोलगोल,डोका,पो-ड़ासी,निम,कुजरी,घुट,तिलाई,करम, गाम्हार,आसान,आर्जुन,पलास,कुड़चि आदि मोटे एवं पतले चमड़े वाले वृक्ष है ।

भोजन योग्य फलदार वृक्ष में:- केन्द पियाल,जामुन,कुसुम,कानाकेन्द माकड़ा केन्दी, बेहर्ची ,बैर,भूडरू,पोपोडो,आम, बेल, भेला,महुआ,बरगद ईमली आदि ।

औषाधी कन्द मुल जैसे:- बहड़ा,रहड़ा,हर्रीकि,आंवला,बबूल,मान, ओल,क्चु,सांण,कुम्दरी,सूवड़ीलुकुई,चिरू,कासि,पुरू,आदि ।

जानवर और पक्षियो में:- हाथि,बाघ,भालू,चिता,लोमड़ी,सियार हरीण,खरगोश,सुवर,बन्दर,गिलहरी,नेवले,उल्लू,चोटि, कोयल ,कबुतर, बूड़ी माऊकल,निपि, रातचोरहा,बादड़ी,ि हड़ियल,कुटिस,गुंडरी,जेहडी, टिया रूपू,मायनो,तितिर,मुर्गी,आसकाल आदि।यह सभी दलमा पहाड़ के जीव जन्तु है। आज हमें ये देखने को लालायित करते है।

इन सारी चीजो को एकीत्रत कर देखा जाए जो हमारे दलमा पा-हाड़एक घने एवं धनीसम्पदा से भरे पाहाड़ है। इसलिए मानव जीवन और जीवें के लिए वन एक संसाधन मानना चाहिए, वन प्राणी जगत के हर पहलुवो को पुरा करता है। आवास के लकड़ी,जलावन के लकड़ी,खनिज जड़ीबुटी औषधी भोजन ,पेय आदि उपयोगी वस्तु प्रदान करता है ।

- 2 -

Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No बी•टी•एम•डब्लू/24/96 *Date* 1/8/96

इसलिए आदिवासी लोगवन,जंगल के पास तथा जंगल के अन्दर में अपना वास गृह तैयार कर जीवन यापन करते थे।आज भी वन जंगल के अन्दी में अनेक गांव,टोले,झोपड़ी आदि देखने को मिलता है । अनमें संथाल,भूमिज हो,मुण्डा,माहली,बिरहोड़,पहाड़िया,खड़िया,आदि है। ये लोग मुख्य रूप सेखेतीबाड़ी करते है,वनसम्पदाभी संग्रह करते है।यानी हरखेतीहरकिसानो और आदिवासीयो का वन जंगल जीवन और जीने का एक साधन है ।

इन सारी बातो को ध्यानपूर्वक देखने पर कोई सवाल पैदा होती है।क्या आज ऊपर वर्गित पेड़ पौधे वृक्ष,वृक्ष तृण,लताएं,किड़े-मकोड़ें,पशु पंक्षी ,जानवर हम देख पाते है '।

पिछले सालो से वन का आर्कषनीय वन सौन्दर्य बनाये रखने के लिए सरकार की ओर से लाखो रूपये खर्च करने पर भी खत्म होने के कागार पर खड़ी है ।वन्य जीव जन्तुओं के कई प्रजाति भी लुप्त होने जा रहें है।दलमा के प्रमुखबड़े जानवरो में हाथी है । सरकार की ओर से इस पाहाड़ को वन्य प्राणी संरक्षण या ऐलिफेन्ट प्रोजेक्ट के नाम से घोषित किया गया है। हमें जीवन एवं प्राणीयों के संरक्षण हेतु स्वयंसेवी संगठन,गैर सरकारी संगठन और आम जनता का सहयोग तेहदिल से होना चाहिए ।

"वर्त्तमान में वन्य प्राणी संरक्षण किस तरह उजड़ते जा रहे है

----- पर एक नजर.." ----

प्रकृतिक परिवर्तन:- प्रकृतिक वातावरण मेंपरिवर्तन हुआ साथ ही वायु मंण्डल भी प्रदुषित होने लगा।परिणाम जैविक जीव जन्तुओ पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। पृथ्वी का जलस्थर नीचे चला गया,मिट्टी शुष्क होने लगीफलस्वरूप वन जंगल के वृक्षमरते उजड़ते गये ।

बड़ती जन संख्या:- हमारे देश की दिन दुनी रात चौगुनी जनसंख्या में वृद्वि होने लगी। इस तरह से दलमा वन्य प्राणीआश्रयणी के आसपासवाले क्षेत्र में भी औसतन वृद्वि की दरें बड़ती गयी। आवास एवं भूमी

Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No बी॰टी॰एम॰डब्लू/24/96 *Date* 11/8/96

की अवश्यकता भी पड़ी। इससे दलमा पहाड़ की भू - भागअतिक्रमण शुरू होने लगा। वन सिमटते गया, वृक्ष की कटाई बढ़ने लगी। जंगल क्रमबद्ध उजड़ना चला जा रहा है ।

शहरी एवं उधौगिक क्षेत्र का प्रभाव:- दलमा पाहाड़ के दक्षिण में करीबसात कि॰मीटर की दुरी पर भारत के ख्याति प्राप्तलोह उधौगिक शहर जमशेदपुर अवस्थित ह । यहां लाखो कि जनसंख्या में लोग बसे ह एवं अरबो रू॰ की लकड़ीखपत हो जाती है। यहांबड़े - बड़े कल-कारखाने बसे है उन सबो से दुषित निकलते है ।सारा वातावरण को प्रदुषित करता है। इसके प्रभाव से जंगल का विकास से विनास की ओर धकेल रहें है। वन की सौन्दर्यक्ष खत्म हो रहा ह । जीव जन्तुओं का वि-लोप होता जा रहा है।

गरीबी के चलते लाचार:- दलमा के आस पास वाले क्षेत्र के ग्रामिण अधिकांश मध्य एवंगरीबी रेखा के लोग निवास करते है। उन्हे सालभर की मजदूरी नही मिलता है। परिवार की बोझ अधिक बढ़ जाता है । तब लाचार हाकर परिवार के भरण पाषण के लिए वन जंगल ही उनके जीविका का साधन बना लेतें है ।

भ्रष्ट अधिकारी:- जंगल और जीव जन्तुओ का विनास या समाप्त हो रहा है । इसका मुख्य कारण भ्रष्ट अधिकारी भी है । ये सरकार की ओर से वन एवं वन्य प्राणीयों के संरंक्षण के लिए कानुनि यंत्र और यांन्त्रक दोनो उपलब्ध ह । फिर भी यह अधिकारी निसक्रिय रहता है वह अपना मुनाफा कमाने काचक्कर में अधिक ध्यान केन्द्रीत करता है।इन अधिकारी के देखरेख मेंआश्रयणी के अन्दर अबैध शराब भट्टी, पत्थर खनन आदि करवाया जाता ह बदले में मोटी रकम लेकर बैठ जाते है इसका बुरा परिणामपशु और मानव जीवन के अस्तित्व में खतरा पैदा हो जाता है ।

कानुनी प्रतिबंन्ध:- सरकार के कानुन के द्वारा यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है किदलमा आश्रयणी के अन्दर किसी भी तरह के कोई सुरक्षा

Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No बी॰टी॰एम॰डब्लू/24/96 *Date* 11/8/96

समिति कमिटि नही होगी। वह पूर्णत:सरकार के द्वारा ही नियंत्रित रहेगें दलमा संरक्षण में यह भी एक तरह कादयर पैदा कर दिया। वृक्ष काटने वालो को इससे बहुत बड़ा सहयोग मिल गया। वह अनायास ही वन में प्रवेश कर जाते है।

सरकारी कुप:-दलमा पहाड़ उजड़ने का सबसे बड़ा कारण सरकारी कुपहै । कुप के द्वारा हीसारा जंगल उजाड़ दिया गया, जो आज भी उसे भीपानी संभ - व नही हो पा रहा है। दलमा पाहाड़ का कुप एक चक्र से दो चक्र चलाया जा रहा था। कुप के बाहाने में ठिकेदार कुप कुप के सीमा पार बीच जंगल से लक- ड़ी काट कर चलान कर दिया गया । उन्हे सरकारी परमिट उपलब्ध थी । वे बेराकटोक लकड़ी ले गया। उन्हे सरकारी आदेश था इस तरह सारा जंगल साफ कर दिया गया ।

उपर वर्णित सारी तथ्य को एवं दलमा वन्य प्राणी आश्रयाणी को हम बचा पायेगें,वह निम्न प्रकार से किया जा सकता है ।

1. ग्रामिणो को वृक्ष एवं जीव जन्तुओ के संरक्षण संबंध में अधिक प्रशिक्षित किया जाये ।वन अधिकारीयो द्वारा अन लोगो को कानुनी सहायता भी प्रदान करना चाहिए ताकि असमाजिक तत्व से मुकाबला कर सके ।

2. जनता एवं वन अधिकारीयों में कर्त्तव्य निष्ठा होना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा पैदा होना चाहिए ।

3. दलमा पाहाड़ के आसपास वाले क्षेत्र में रोगजगार के लिए विभिन्न तरह के योजना तैयार करना चाहिए ताकि ग्रामिन लाचारी से वृक्ष को न काटे। वे योजना के कार्यक्रम में अधिक समय लगे रहे या उन्हे स्वरोजगार एवं आत्म निर्भर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

4. पाहाड़ के आस-पास वाले गांव के माझी ,मानकी, मुण्डा, शिक्षित युवक ,युवती तथा ग्रामीण समितियो के साथ जीव जन्तु एवं वन संरक्षण हुतु प्रशिक्षण शिविर या कार्यशाला आयोजन कर प्रशिक्षित करना । उनमें जागरूकता पैदा करना चाहिए ।

Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No बी·टी·एम·डब्लू·/24/96 *Date* 11/8/96

5· वन के भीतर फलदार वृक्ष अवश्य लागाना चाहिए जैसे -पीपल, बड़गद, पोपोडो, बैर, अमरूद, पियाल, केन्द, बेहची आदि वन्य जातियाँ। क्योकि पशु पंक्षीयो को अवश्यकतानुसार भोजन मिलने से वे अन्यत्र नही जायेगे तथा वन से ही रहेंगे ।

6· वन के स्वमित्व में एकतरफा नही होनी चाहिए । इसमें वन के आसपास वाले गांव वासियो को भी संयुक्त भागिदारी होनी चाहिये ।

7· आसपास के गांव वासियों के बीच पब्लीक कुप का अवंटन होना करना चाहिए । वह साल में एक बार होगी ताकि सालभर अनियंत्रित रूप से वृक्ष न काटे ।

8· ग्रामीणो की परम्परा वन सम्पदा को संग्रह करने के लिए सबतरह के अधिकार भी देना चाहिये जैसे -फल, फूल, औषधि, कृषि कार्य, मकान जलावन धार्मिक और संस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इससे चोरी छिपे कटाई रूकेगी, जो एक वृक्ष के लिए अन्य दस वृक्ष को काट डालतें है जल्दबाजी में ऐसा होने पर संरक्षण में पूर्ण सहयोग ग्रामीणो के द्वारा मिल सेकगी ।

9· अगर कोई वन अधिकारी वन्य पदार्थ एव जीव जन्तुओ के खाल या छाल तस्करो से लिप्त होकर भ्रष्ट हो गये है । वैसे अधिकारी के ऊपर साक्ष्य मिलते ही कानुनी कार्रवाई करना चाहिए एवं सेवा से निष्कासित कर देना चाहिये ताकि अगला अधिकारी उस कार्य को पुनरावृत्ति करने का साहस न जुटा सके ।

10· वृक्ष रोपन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिये ।

----------------------xxxxxxxx xx----------------------

S. K. Hansda
Chairman,
B. T. M. Welfare Society
Tilka Nagar, Mango

Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No ....

Date ....

निष्कर्ष :- उपरोक्त विषयों के अध्ययन के बाद हम यह महसूस करते है कि जब तक वन अधिकारी और दलमा पहाड़ों के आस-पास वाले ग्रामीण के एक दुसरे के सहयोग बिना वन या वन्य प्राणियों की रक्षा करना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि वन अधिकारी वन से दूर शहर के आलीशान बंगलों के वातानुकुलित भवन में ~~[illegible]~~ आराम करते है। अगर एक आद गार्ड जो डियूटी करते है वे भी डियूटी के बजाय शराब के अड्डे या होटलों में ऑर्डर फर्माते है।

इसीलिये सही मायने में देखा जाय तो ग्रामीण ही वन एवं वन्य प्राणियों की संरक्षण में अधिक समय और नजर दे सकते है। वे तो वन के करीबी से जुड़े है, लेकिन ग्रामीणों को भी कुछ अधिकार होना चाहिए और वन अधिकारी का नियंत्रण भी होना चाहिए। नहीं तो " मेहनत करे मुर्गी अण्डा खाय फकीर " जैसा होगी। क्योंकि वन अधिकारी, गार्ड को संरक्षण के लिये उन्हे सरकार की ओर से मासिक तनख्वाह मिलता है। ग्रामीण लोगों को कुछ भी नही तो उन्हे भी कुछ मिलना चाहिए। जो वर्णित किया गया है -

जहाँ तक शिकार का सवाल है। शिकार हर साल होने के चलते जंगल के जानवर समाप्त हो रहा है। यह बात शत-प्रतिशत सही है। पर क्या हाथी का भी शिकार होता है। हाथी भी आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। मगर दलमा के बजाय दलमा पहाड़ से ठीक दक्षिण में अवस्थित " जरय पहाड, गेड़ुवा पहाड़, या बिलिग पहाड़ " में झुण्ड का झुण्ड हाथी याने एक झुण्ड में

Baba Tilka Majhi Welfare Society

Head Office:
HAMSADA, P. O. BHADUDIH
WEST-SINGHBHUM

Branch Office :
TILKA NAGAR, KURKUT DUNGRI
P. O. AZAD NAGAR, MANGO
JAMSHEDPUR-832 110
DIST. EAST-SINGHBHUM

Ref. No .... *Date* ....

15/20 से भी अधिक एक -एक समय घूमते देखा जाता है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार, शिकार तो छोटे जानवरों का होती है। वह भी बहुत कम संख्या में आदमियों की उपस्थिति की तुलना में शिकार आदिवासियों का सदियों से चले आ रहे धार्मिक और संस्कृतिक परम्परा है। हो सकती है भले शिकार को समादर के साथ इनके परिवर्तन करने की जरूरत। दूसरी ओर वन्य जानवरों द्वारा नष्ट फसलों की मुआवजा क्षति की सही हिसाब में शीघ्र भुगतान कर देना चाहिए।

इस तरह से वन अधिकारी और ग्रामीणों के बीच आपसी समझौता, सहभागिता, सहयोगिता तथा एक दूसरे की मधुर संबंध स्थापित कर सहयोग और सहभागिता का दुरियों को एक कड़ी में एक प्लेटफर्म में रोपित कर वन एवं वन्य प्राणी आश्रयणी का सफल संरक्षण एवं पूर्ण निष्ठा के साथ कर सकते है।

लेखक- फकीर चन्द्र माझी,
आसनबनी (दलमा)

DALMA WILDLIFE SANCTUARY

A Factfile

GEOGRAPHICAL PROFILE

Location - Dalma Hill Range, East & West Singhbhum, Chotanagpur Division, South Bihar.
Coordinates - Latitude: 22°5'30" N to 22°57' N
Longitude: 86°7' E to 86°20' E
Nearest City - Jamshedpur (Distance: 16 km.)
Other Neighbouring Towns - Chandil, Baram, Patamda.
Area - 193.22 sq. km.
Highest Point - Dalma Hill (Height: 926 m.)
Climate - Warm and humid.

Temperature -	Maximum	Minimum
Summer	38°C	22°C
Winter	28°C	5°C

Annual Rainfall - 1554 ml.

ECOLOGICAL PROFILE

Forest Types - Northern Tropical Dry Deciduous (5B/C 1C), Peninsular Sal Forest (5B/C2).
Common Trees - Sal (*Shorea robusta*), Bijasal (*Pterocarpus marsupium*), Gamhal (*Gmelina arborea*), Dhaura (*Anogeissus latifolia*), Asan (*Terminalia tomentosa*), Arjun (*T. arjuna*), Bahera (*T. bellirica*), Hartiki (*T. chebula*), Karam (*Adina cordifolia*), Kendu (*Diospyros melanoxylon* & *D. tomentosa*), *Bauhinia* spp., Palas (*Butea monosperma*), Simal (*Bombax ceiba*), Mahua (*Madhuca indica*), Chironji (*Buchania lanzan*), Peepal (*Ficus religiosa*) and other *Ficus* spp., Ber (*Zizypus mauritiana*), *Acacia* spp., Podasi (*Cleistanthus collinus*) and Bamboo (*Dendrocalamus strictus*).
Common Fauna -

Mammals	Birds
* Asian Elephant	* Indian Peafowl
* Sloth Bear	* Red Junglefowl
* Wild Boar	* Crested Serpent Eagle
* Mouse Deer	* Grey Hornbill
* Barking Deer	* Large Green-billed Malkoha
* Hanuman Langur	* Purple Wood Pigeon
* Rhesus Macaque	* Green Pigeon
* Indian Giant Squirrel	* Long Tailed Nightjar
* Hyaena	* Golden Oriole
* Jackal	* Black Headed Oriole
* Mongoose spp.	* Tree Pie
* Indian Wolf	
* Indian Hare	
* Jungle Cat	
* Fishing Cat	
* Pangolin	

SOCIO-ECONOMIC PROFILE

Number of villages-		**Population-**
Inside the Sanctuary: 85	-----	32,180

Inside the Core Area: 1 ----- 105

Communities- Mahato (OBC), Bhumij/Singh Sardar (ST), Santhal (ST), Kharia/Sabar (PT), Paharia (PT).

Livelihood Occupations- Agriculture supplemented with horticulture, agricultural labour, fishing, collection and sale of firewood and NTFP, making of basketwork and farm implements.

Religion- Hinduism, indigenous religion. Degree of Hinduisation varies from community to community. Puja in sacred groves or *Jahera*.

Language- *Manbhumiya* dialect of Bengali is most widely spoken. Tribes have their own languages.

Caste System -

* Tribes considered castes.
* Inter-caste rivalry esp. Between Bhumij & Santhal.
* Various caste-based restrictions.
* Paharias & Kharias are at the bottom of the social scale.

LOCAL INSTITUTIONAL STRUCTURES

Traditional Institutions- Hereditary village head known as *Manjhi* or *Sardar*. Now practically defunct. Superceded by Panchayati Raj institutions.

Panchayat -

* Consists of a group of villages.
* The *Mukhiya* is the head of the Panchayat & is responsible for the allocation of funds for developmental activities.
* The *Sarpanch* is the judicial authority in the Panchayat.
* Panchayat elections have not been held for the past 18 years.

LEGAL AND ADMINISTRATIVE PROFILE

Notified on- 17. 01. 1976. (Notification Number. S.O. 1221)

History- Under Zamindari control till 1948. Area declared Protected Forest with some areas of Reserve Forest.

Administration-

* Administered by Divisional Forest Officer, Wild Life Division, Ranchi.
* Sanctuary formed out of parts of Dhalbhum Forest Division (157.71 sq. km.) & Chaibasa Forest Division (35.51 sq. km.).
* Concurrent administration till 1992:
  - -Territory administered by these two Territorial Divisions till 1992.
  - -Administration for wildlife matters done by the Wildlife Division, Ranchi, since its inception in 1979.
  - -Administration fully taken over by Wildlife Division in 1992.
* Area divided into Core Area (55 sq. km.) and Buffer Area (138 sq. km.)

Legal Issues-

* No collection of forest resources allowed according to the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972.
* Land Encroachment. Total Area = 121.00 ha.
* Construction of Subarnarekha Canal through Sanctuary in violation of Forest Conservation Act.
* Settlement of rights as per Wildlife Act not done.

Administrative Issues-

* Inadequate manpower and equipment.
* Delay in receiving funds. Non-payment of daily wagers.
* Political and mafia pressures & corruption.
* Lack of cooperation between Wildlife and Territorial Divisions.

* Internal politics.
* Excessive bureaucracy.
* No clear demarcation between Core Area & Buffer Area.
* Fragmented Sanctuary area.
* Non-recognition of community forest protection initiatives.

LOCAL PEOPLE AND THE FORESTS

Dependence on Forests -

* Villages situated close to forests.
* Low agricultural production.
* Dependence on forest resources for livelihood needs.
* Domestic requirements also met from forests.
* Important forest resources:
    - Fuelwood.
    - Timber for construction and making implements.
    - Bamboo & *Chiru* grass for basketwork and making brooms.
    - Sal, *Bauhinia vahlii* (*Chihad lata*) & Kendu Leaves for plates.
    - Fruits & roots for food.
    - Medicinal plants.
    - Honey.
    - Bark of *Bauhinia vahlii* & *Sabai* grass for rope-making.
    - Mahua flowers and fruit, seeds of Sal and *Pial* (*Chironji*).
    - Wild animals, fish and birds for food.
    - Grazing.
* Poorer families more dependent on the forest. Primitive Tribes practise very little agriculture and are almost totally dependent on the forest.

Local Culture and the Forests

* Sacred Groves or *Jahera*-
    -Most worshipfor almost all communities takes place in the *Jahera*.
    - Five tree species: Sal, Mahua, Kendu, Kusum and Asan.
* Sal is especially revered. Leaves used in many *pujas*.
* Most festivals- *Tusu, Karam, Sarhul Puja*, etc.- are associated with trees.
* Many areas in the Forest- Dalma Hill, Kota Sini and Bataluka forest are considered sacred.
* Annual Hunt-
    -Known variously as *Akhand Shikar*, *Sendra* or *Desua Sendra*.
    -Similar hunts in Ajodhya Hills, Puruliya, & Naranbera, near Chakradharpur.
    - Held on the Monday following *Buddha Purnima*.
    -An act of worship to *Sendra Bonga*, for plentiful rains & a good harvest.
    - Participation a sign of manhood & bravery.
    -Organised by villagers of Gadhra-Govindpur, headed by their *Naike*.
    -Around 20,000 persons, all males, take part every year.
    -Participants come from many places, no restrictions regarding participation.
    -All animals, except elephants, are hunted.
    -Traditional hunting rules no longer followed.
    -Hunting now done for a number of days in some villages.
    -Political Support.
    -Forest Department & District Administration unable to control this practice.
* Elephant is revered and called *Thakur Mama*.
* Primitive tribes till recently were semi-nomadic hunter-gatherers. Very familiar with the forest and wildlife.

IMPACT OF THE SANCTUARY ON THE LOCAL PEOPLE

Restrictions on Resource Collection

* Provisions of the Wildlife (Protection Act), 1972, apply.
* Only grazing allowed.
* Application of Rules-
    - -Applied mainly in core area and not near villages.
    - -No restictions on fallen wood and branches.
    - -No patrolling in FPC patches.
    - -Bribing of Forest Guards.
    - -Difficult for Guards to take action if offenders are from their village.
* Joint Forest Management Resolution not applicable.

People-Animal Conflict

*Crop raiding-

- -Mainly Elephant, also Wild Boar.
- -In the winter months. Mainly at night.
- -1980 Survey: 200 a. of paddy destroyed in Patamda [Datye].
- -Elephants go into Midnapur & parts of Puruliya.

*Reasons-

- -Degraded and fragmented habitat.
- -Scarcity of wild plants of *Poaceae, Fabaceae* & *Palmae* families.
- -Loss of forest corridor due to encroachment & Subarnarekha Canal.
- -Expanding range.

* Attacks on humans by elephants and bears, mainly inside Sanctuary.
* Remedial Measures: Villagers keep watch in *machans* at night. Elephants chased away with firecrackers, torches and drums.
* Electric fencing not well maintained. Ineffective.
* Complex, slow compensation procedures.
* Review of compensation procedures by State Wildlife Advisory Board in November.
* Earlier, crackers & kerosene provided to keep elephants away. Practice now discontinued.

LOCAL PEOPLE AND THE FOREST DEPARTMENT

* Bitter memories of coup felling.
* Not much interaction except with field staff.
* A number of daily wagers employed by the Department. Often do not receive wages on time.

* Perception of Forest Department-
    - -Bureaucratic.
    - -Inflexible.
    - -Corrupt. Connives with forest mafia.
    - -Inefficient.
    - -Incompetent to protect the Sanctuary on its own.

EXTERNAL PRESSURES

* Great demand for fuelwood & timber in Jamshedpur & other neighbouring areas.
* Illicit liquor distilleries in Sanctuary. Use large amounts of wood.
* Stone crushers, brick kilns and buffalo *khataals* at the edge of the Sanctuary.
* Subarnarekha canal through the Sanctuary. Large scale excavations & cutting of forest area.
* Religious fairs in the Core Area attracts thousands of pilgrims every year.
* The *Akhand Shikar.*

TEN TREE SPECIES NOTIFICATION

Dated 1/6/94.

Notification Number S.O. 3508.

Content Bihar State Government Notification allowing the cutting, sale & transport, from private land, of ten specified tree species. Meant to encourage Agroforestry.

List of Species Mango, Mahua, Tamarind (Imli), Jackfruit, Jamun, Peepal, Banyan (Barh), village Bamboo, Barhal, Pakad.

Effect Large scale cutting, mostly of Mahua & Imli, from private land. Cutting in Sanctuary also. Involvement of timber contractors & mafia. Cutting will eventually harm village economy:

-One Mahua tree yields Rs.4000-5000 by way of flowers, fruit & branches per annum.

-One Mahua tree is sold for Rs.300-1000.

Present Status

* Due to much public outcry, the Notification was withdrawn in November, 1996.
* Cutting still continuing unabated in and around the Sanctuary.

COMMUNITY FOREST PROTECTION

Reasons

* Shortage of resources.
* Passing of the Bihar JFM Resolution on 8/11/ 90. (Notification no. S.O. 54/90-5244).
* Support & encouragement of NGOs.
* Religious and cultural sentiments.

Nature of Protection

* Village level committees called *Van Samitis*.
* Self initiated.
* No legal status, official recognition or rights.

Structure

* Informal constitution.
* Consists of -

-Office bearers: Secretary & President, elected by show of hands,

-Core group consisting of active members,

-General body consisting of the whole village.

* Women attend general body meetings but do not speak- husbands speak for them.
* Two approaches regarding backward/depressed communities:

-No involvement in the *Samiti*,

-Very active invovlement if their homes are closest to the protected patch.

Relations with Other Institutions

* Autonomous of Panchayat control.
* Associated with NGOs & NGO supported youth groups, village volunteers, etc.
* With the Forest Department-

-No official recognition, minimal interaction.

-Foresters & Forest Guards recognise the *Samitis'* authority & do not interfere with its working.

Functioning

* Decides & designates an area for protection.
* Bans/ restricts felling in the area.
* Operates by physical prevention, confiscation, fining, & social sanctions.
* Rules & policy vary. There are broadly two approaches-

-Total protection. No cutting from protected patch. Strict controls

-Partial protection. Cutting of only specified species banned. Lenient enforcement.

* Dispute resolution & trial of offenders- mutual & amicable settlement is first attempted at the village

level. If this is not possible matter goes to *Sarpanch*. Major offenders, especially outsiders, are handed over to the Forest Department.

Some Relevant Factors for Patch Selection

* Proximity of area to village.
* Location/situation of villages or *tolas*.
* Forest type: Sal is the most preferred species for protection.

Issues regarding the Functioning of *Van Samitis*

* Lack of recognition means-
  - No legal status, no recognised rights, no statutory authority.
  - No official assistance or provision of incentives.
  - No participation in management or policy-making.
* Even outside the Sanctuary, *Samitis* are not satisfied with the official guidelines for the constitution of JFM committees.
* Provisions of the Wildlife Act mean-
  - Criminalisation of existing resource use practices.
  - Department not willing to institute benefit sharing measures.
* Lack of recognition & tenurial security means no incentives for protection & disillusioment of villagers.
* Forest Department & *Samitis* have different conservation priorities: *Samitis* concentrate on only those species that are of immediate benefit to them. There is no protection of animals.
* Full protection is not possible without finding alternatives to meet local resource needs.
* Local disputes severely affect the community forest protection efforts. There is a need for federation & formation of apex bodies, to solve these issues.
* Not all *Samitis* have been equally successful. Success is contingent upon various factors-
  - Geography: accessibility for timber poachers, distance from the city, whether location of villages is strategically conducive to proper protection, availability of chhada area.
  - Ecology: forest type.
  - Economy: economic status of villagers, dependence on sale of wood for livelihood.
  - Politics: unity within the village, support of neighbouring villages.
  - External stimuli: pressures exerted by timber mafia & contractors, support of Forest Department & NGOs.

POSSIBILITIES FOR JOINT MANAGEMENT

For

* Increasing pressure on Dalma Sanctuary.
* Forest Department unable to deal with pressure on its own.
* A very large population is dependent on the Sanctuary for livelihood & resources.
* Community forest protection initiatives have had considerable success.
* *Samitis* are keen to obtain official recognition, legal status & tenurial security.
* Department has for Eco-Development.
* A number of active local NGOs can facilitate better interaction between the local communities & the Forest Department.

Against

* Management is in the hands of the Forest Department & there is no interaction with the local population.
* Villagers distrust the Forest Department.
* Legal & policy hurdles: Department reluctant to allow collection of any forest resources.
* Villagers are sceptical of Eco-development & want benefits to be based on forest resources.

The Way Out ?

* Give *Samitis* some form of recognition & legal status.
* Participatory formulation of Management Plan.
* Grant some form of forest-based benefit sharing.
* Coordination of working of Samitis & Forest department.
* Development of resources alternatives on revenue land non- Sanctuary forest land with the help of the Territorial & Social Forestry Divisions.

Some Suggestions Regarding the Management of the Dalma Wildlife Sanctuary, Bihar*

1. Village FPCs should be granted some form of recognition and legal status to provide them security of tenure, legal rights and statutory authority. A number of persons have made various suggestions in this regard (see Workshop report, Sub-group report 1). However, it is advisable that this process of empowerment is carried out gradually, as immediately granting these committees very large fiscal, administrative and legal powers might only encourage their misuse by various elements within the village, especially those with political, business or even criminal connections, with selfish interests in mind.

2. There should be a greater representation of local people in the management, beginning with the formulation of the management plan. The Forest Department has already taken some initial steps in this regard by conducting Rapid Rural Appraisals and commissioning Participatory Rural Apraisals by local NGOs. However, this work needs to be extended to all the villages in and around the Sanctuary, and other ways of eliciting the opinions of the local people tried out. The villagers' own knowledge regarding the Sanctuary and its wildlife have not yet formed a part of the management planning process; this must be built in. Eventually, actual management responsibilities for specific parts of the Sanctuary should devolve to village FPCs, in conjunction with the Forest Department staff, with Sanctuary wide coordination being handled by an apex committee(see point no.15).

3. Villagers are interested in access to forest resources which are a mainstay of their livelihood. Rights to survival resources (including NTFP and deadwood) which are not detrimental to conservation objectives, should be granted, as in the cases of West Bengal and *bhabbar* grass collection in the Rajaji National Park, U.P. Steps should also be taken to restrict access to forest resources to villagers of local villagers which have been specifically identified on the basis of various criteria such as proximity to the Sanctuary, availability of livelihood alternatives, contributions to conservation, etc.

4. All eco-development activity should be undertaken with the active participation and collaboration of the local villagers, especially the FPC members (see Workshop report, Subgroup 2). Local villagers must be given priority for employment by the Department. In addition, all efforts must be made to ensure that villagers employed as daily wagers are paid their wages promptly.

5. There should be greater, more effective and equitable coordination between the village FPCs and the Forest Department on a regular basis. Granting of recognition to FPCs and their contributions will help in improving this coordination. Eventually, a memorandum of understanding, specifying the relative powers and responsibilities of the FPCs and the Forest Department needs to be developed.

6. A means of improving the coordination between the various divisions of the Forest Department should be worked upon. Placing the Sanctuary, as well as the the surrounding forest area under a unified management, as in the case of tiger reserves, could be a viable option.

7. It is essential that resource alternatives are developed, for activities which are detrimental to the conservation objectives of Dalma (e.g. fuelwood collection). This should be done through the combined efforts of the local villagers, the Forest Department and NGOs. The forest land surrounding the Sanctuary, much of which is wasteland, could be used specifically for Social Forestry or JFM work aimed at developing alternative forest resources for the people of the area.

8. Various means of meeting the domestic fuel requirements of

Jamshedpur city should be explored, with the assistance of agencies affiliated with the Tata Steel Company. Various persons have suggested that plants to produce fuel briquettes from waste coal dust be started. However, none of these plans have materialised till date.

9. Illegal timber felling in and around the Sanctuary needs to be controlled. The unrestricted felling of fruit trees in and around the Sanctuary needs to be stopped. The legal possibility of the creation of an "external buffer zone" within a certain radius of the Sanctuary, say one km., where industrial activity such as the working of liquor distilleries, stone quarries and crushers, brick kilns and sawmills is prohibited, could be explored. A transit permit should be mandatory for the felling and transport of all indigenous tree species form this area.

10. New ways and means of regulating the practice of the Annual Hunt or Sendra should be explored through a process of regular dialogue, keeping in mind the sentiments of the local *Adivasi* population (see Workshop report, Subgroup 4). These regulations should be enforced through tribal institutions and heads themselves, with aid from the Sanctuary staff. Restrictions also need to be placed on the conduct of the annual Shiva Puja and *mela* held in the core area of the Sanctuary.

11. Steps must be taken to control crop damage by elephants. The electric fencing in the Sanctuary needs to be kept in regular working condition and the area under fencing should be increased, especially in the buffer area. Supply by the Department to the villagers, of kerosene and crackers for chasing away elephants, should be resumed.

12. Compensation procedures for crop damages need to simplified and rates for compensation must be substantially increased.

13. The various greivances of the Sanctuary administration regarding the shortage of funds, equipment and trained staff should be addressed It is essential that regular training programs for all levels of field staff be held to equip them to implement the new objectives, including a more integrative approach to conservation and people's livelihoods.

14. Efforts mst be made to upgrade the wildlife habitat of the buffer area. The annual wildlife census, currently held only in the core area, mus also be held in the buffer areas. Waterholes and checkdams should also be constructed in the buffer area.

15. In addition to village level committees, there should also be committees at the level of groups of villages and an apex Sanctuary-level body which would include representatives of village samitis, NGOs, the Forest Department, as well as the local District Administration (see Workshop report, Subgroup no.1). This would help the committees to deal more effectively with various issues.

16. It is also necessary that the settlement of rights in the Sanctuary is completed and the final notification passed, with full participation of the villagers and FPCs. The ambiguity regarding the Sanctuary's boundaries should also by resolved, once and for all.

17. An assessment of the environmental impacts of the Subarnarekha Canal should be conducted by an independent agency and the canal should be realigned if necessary, with sections of the canal being filled to allow the passage of migrating elephants.

(**Note: These suggestions have emerged during research undertaken by the Indian Institute of Public Administration, New Delhi, under its Participatory Management of Protected Areas project. They are based on first hand field work, discussions with various stakeholders, and the recommendations of a workshop organised on the subject by IIPA in collaboration with local groups. For further information, pl. contact Ashish Kothari, IIPA, I.P. Estate, New Delhi 110002).*

(13)

पत्र संख्या-वन विक्रय-6/94 3408 म०प०

बिहार सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग।

प्रेषक,

श्री नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची
सभी मुख्य वन संरक्षक
सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
सभी वन संरक्षक
सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

1094
8-9-94

पटना-15, दिनांक- 24/7/98

विषय:- बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 तथा बिहार काष्ठ एवं अन्य वन उत्पादन (अभिवहन विनियमन) नियमावली 1973 में हुए संशोधन की सूचना।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि सर्वसाधारण खासकर ग्रामीणों, रैयतों तथा व्यापारियों की कठिनाइयों को देखते हुए एवं सामाजिक वानिकी कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा (बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984) तथा (बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन विनियमन) नियमावली 1973) में कुछ संशोधन किया गया है। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी सर्वसाधारण की जानकारी हेतु किया गया है। चूँकि अधिसूचना के प्रकाशन में विलम्ब हो रहा है इसलिये पत्र के माध्यम से सूचना दी जा रही है। इन अधिसूचनाओं का सारांश निम्न प्रकार है:-

Social Forestry

(1) सामाजिक वानिकी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये तथा सर्वसाधारण खासकर ग्रामीण, रैयत एवं व्यापारियों की कठिनाईयों को देखते हुए बिहार काष्ठ एवं अन्य वन उत्पादन (अभिवहन विनियमन) नियमावली 1973 का प्रावधान निम्न प्रजातियों के प्रकाष्ठ पर लागू नहीं होंगे:-

(क) आम (ख) इमली (ग) जामुन (घ) कटहल (ड) महुआ (च) ग्रामीण बाँस (छ) पीपल (ज) बरहल (झ) पाकड़ एवं (ञ) बड़हर।

इन प्रजातियों के प्रकाष्ठ को सर्वसाधारण बिना अनुज्ञा-पत्र के कहीं भी ले जा सकते हैं यह 1 जुलाई, 1994 से प्रभावी है।

क्र० पृ० उ०

(2) बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 में निम्न संशोधन किया गया है:-

1-जुलाई, 1994 से बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 निम्न वन उपजों पर लागू समझा जायेगा:-

(क) निम्न प्रजाति के काष्ठ:-

(1) साल (2) आसन (3) गम्हार (4) बीजा (5) सलई (6) खैर (7) सागवान तथा (8) करम।

(ख) निम्न प्रजाति के फल एवं बीज :-

(1) साल (2) महुआ (3) हर्रा।

उपर्युक्त 2(क) में अंकित प्रजाति के काष्ठ के सम्पूर्ण उत्तरी बिहार में क्रय एवं व्यापार हेतु बिहार राज्य वन विकास निगम लि० को 1 जुलाई 1994 से पूर्ववत् अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाता है। सम्पूर्ण दक्षिणी बिहार में इनका क्रय एवं व्यापार वन एवं पर्यावरण विभाग (राजकीय व्यापार) के अधीन रहेगा।

उपर्युक्त 2(ख) में अंकित फल एवं बीज के लिये दिनांक- 1 जुलाई, 1994 से बिहार राज्य वन विकास निगम लि० को पूर्ववत् सम्पूर्ण बिहार में अभिकर्त्ता नियुक्त किया जाता है।

(3) बिहार केन्दू पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम 1973 (बिहार अधिनियम 1974) के अन्तर्गत बिहार राज्य वन विकास निगम लि० सम्पूर्ण बिहार में केन्दू पत्ता के क्रय एवं व्यापार के लिये पूर्ववत् अभिकर्त्ता रहेगा।

(4) जो प्रजातियाँ उपरोक्त कंडिका(1) में वर्णित आम, इमली आदि 10 प्रजातियों के अन्तर्गत नहीं आती हैं तथा कंडिका-2 में वर्णित साल, आसन आदि 8 प्रजातियों के के परिधि में नहीं आती हैं, उनके संबंध में स्थिति यह है कि परिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता अनिवार्य होगी। किन्तु अनुज्ञा पत्र के प्रावधानों को सरल कर दिया गया है।

(5) उपरोक्त प्रावधानों से सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनायें अलग नीचे संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

25.8.94

(नरेन्द्र पाल सिंह)
अनुभाग एवं सचिव।

सिंह/24.8.94

बिहार सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

एस० ओ०-

। भारतीय वन अधिनियम 1927 । 16, 1927। की धारा 41, 42 और 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन ।अभिवहन विनियमन। नियमावली 1973 में निम्न संशोधित करते हैं :-

1- नियम-2 के खंड।क। को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है । यथा-
2।क। वन पदाधिकारी से अभिप्रेत है वैसे वन पदाधिकारी जो इस नियमावली की अनुसूची "ख" में उद्धृत है ।

2- नियम-3 के उपनियम ।क। में प्रयुक्त "वन दंडाधिकारी" शब्द को "वन प्रमंडल पदाधिकारी" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3- नियम-3 के उप नियम ।2। के पश्चात् उपनियम ।3। जोड़ा जाता है यथा:-
।3। परन्तु यह उपबंध निम्न प्रजातियों के काष्ठ पर लागू नहीं होंगे:-
आम, इमली, जामुन, कटहल, महुआ, ग्रामीण बाँस, पीपल, बरगद, पाकड़ एवं बड़हर ।

4- नियम-6 के उपनियम ।6। को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है यथा:-
।6। सरकार प्रबन्धित वन के बाहर पड़ने वाली निजी भूमि के मालिक जो अपनी भूमि से काष्ठ ले जाना चाहते हों, नियम-3 के अधीन परगमन अनुज्ञा-पत्र पाने के लिये वन पदाधिकारी के पास विहित प्रपत्र, जो अनुसूची "ग" में उद्धृत हैं, में आवेदन करेंगे ।

परन्तु जिन ग्रामों में ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति कार्यरत हैं उन ग्रामों में पड़नेवाली निजी भूमि के मालिक अनुसूची "ग" में उद्धृत प्रपत्र में आवेदन करेंगे ।

5- नियम-8 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है । यथा:-
इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कारावास से, जिसकी न्यूनतम अवधि छः मास एवं अधिकतम अवधि दो वर्ष हो सकेगी, या जुर्माने से जो न्यूनतम एक हजार रूपये एवं अधिकतम पाँच हजार रूपये हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा ।

6- यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1994 से राज्य में प्रभावी होगी ।

। वन विक्रय-6/94।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

ह० पृ० सं०

ज्ञाप संख्या- वन विक्रय-6/94 3488 प०प०, पटना-15, दिनांक- 24, 8.1994

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को विभागीय ज्ञाप सं० 2631 दिनांक- 30.6.94 के क्रम में प्रेषित ।

2- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय से अनुरोध है कि ज्ञाप संख्या- 2631 दिनांक- 30.6.94 द्वारा निर्गत अधिसूचना के स्थान पर इस अधिसूचना को प्रकाशित कराया जाय ।

3- इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 1000 प्रति विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

ह०/-

। नरेन्द्र पाल सिंह ।
आयुक्त एवं सचिव ।

अनुसूची "ख" निम्न प्रकार संशोधित समझी जायेगी यथा

अनुसूची "ख"

नियम "3" के अधीन वन पदाधिकारी की सूची

क्रमांक	पदाधिकारी का पदनाम	अनुज्ञा-पत्र देने के लिये अधिकारिता
1-	सभी वन संरक्षक तथा सभी क्षेत्र निदेशक व्याघ्र योजना	अपने अंचल की प्रादेशिक सीमा के अधीन
2-	सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी उप निदेशक, व्याघ्र योजना तथा वन्य प्राणी प्रमंडलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी	अपने प्रमंडल की प्रादेशिक सीमा के अधीन ।
3-	वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रसार वन प्रमंडल, पटना	-वही-
4-	वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रसार वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	-वही-
5-	वन प्रमंडल पदा०, सिरदुत प्रसार प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	-वही-
6-	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला प्रसार प्रमंडल, दरभंगा	-वही-
7-	वन प्रमंडल पदा०, सारण प्रसार प्रमंडल, छपरा	-वही-
8-	वन प्रमंडल पदा०, सिवान प्रसार प्रमंडल, सिवान	-वही-
9-	वन प्रमंडल पदा०, प्रसार वन प्रमंडल, सहरसा	-वही-
10-	वन प्रमंडल पदा०, प्रसार वन प्रमंडल, कटिहार	-वही-
11-	वन प्रमंडल पदा०, प्रसार वन प्रमंडल, पूर्णिया	-वही-
12-	वन प्रमंडल पदा०, जगई वनरोपण प्रमंडल	-वही-
13-	वन प्रमंडल पदा०, गया वनरोपण प्रमंडल	-वही-
14-	वन प्रमंडल पदा०, सहेबगंज सामाजिक वानिकी प्रमंडल	अपने प्रमंडल की प्रादेशिक सीमा के अधीन।
15-	वन प्रमंडल पदा०, प्रसार वन प्रमंडल, भोजपुर	-वही-

अनुसूची-1(ग)

वन उत्पादन के परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के लिये आवेदक द्वारा आवेदन पत्र:-

1- आवेदक का नाम ----------

2- आवेदक के पिता/पति का नाम एवं पूरा पता ----------

3- भूमि, जिस पर आवेदित वन उत्पाद अवस्थित है, का विवरण ----------

(क) ग्राम ----------

(ख) थाना एवं थाना नं0 ----------

(ग) खसरा एवं सर्वे प्लॉट संख्या ----------

(घ) लगान रसीद संख्या ----------

4- आवेदित वन उत्पाद का विवरण:-

क्रमांक	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई 1.37 मीटर (4.5फीट) ऊँचाई परकाष्ठ का परिमाप	अभिपुष्टि
1	2	3	4

मैं ---------- वल्द/जोजे ----------

ग्राम ---------- थाना ---------- जिला ----------

यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अंकित वन उत्पाद मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं वह वन उत्पाद मेरी निजी सम्पत्ति है जिन्हें मैं ---------- स्थान से ---------- स्थान तक निजी उपयोग/बिक्री हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ। लगान रसीद की अभ्प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनु0-यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

मैंने उपर्युक्त अंकित सभी सूचनाओं की जाँच कर ली एवं इनको सही पाया। उक्त वृक्ष आवेदक की निजी भूमि पर अवस्थित है तथा उनकी निजी सम्पत्ति है।

हस्ताक्षर

मुखिया / सरपंच

----------ग्राम पंचायत

बिहार सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

एस० ओ०- एस०ओ० 178 दिनांक- 8.2.1985 एवं एस० ओ० 579 दिनांक- 18.6.1985 को विलोपित करते हुए, एवं बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा-1 के खंड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल 1 जुलाई, 1994 को वह तिथि नियत करते हैं जबसे यह अधिनियम निम्नांकित वन-उपजों पर लागू समझा जायेगा ।

वन उपज

(क) निम्न प्रजातियों के काष्ठ:

1- साल	(शोरिया रोबस्टा)
2- आसन	(टार्मिनेलिया टोमेन्टोसा)
3- गम्हार	(मेलिना आरबोरिया)
4- बीजा	(टेरोकारपस मारसुपेयम)
5- सलई	(बोसवेलिया सेराटा)
6- खैर	(एकेसिया केटेच्यू)
7- सागवान	(टेकटोना ग्रान्डिस)
8- करम	(एडाइना कोरडीफोलिया)

(ख) निम्न प्रजातियों के फल एवं बीज :

1- साल	(शोरिया रोबस्टा)
2- महुआ	(मधुका इन्डिका)
3- हर्रा	(टरमिनेलिया चेबुला)

(वन विक्रय-6/94)

बिहार राज्यपाल के आदेश से
नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- वन विक्रय-6/94 2628 पटना, पटना-15, दिनांक- 30.6.94

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय से अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 500 प्रति इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

ह0/-नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

अनुसूची "घ"

वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के लिये आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र

1- आवेदक का नाम ------------------------------------

2- आवेदक के पिता/पति का नाम एवं पूरा पता ------------------------------------

3- जिस भूमि पर आवेदित वन उत्पाद अवस्थित है का विवरण ------------------------------------

(क) ग्राम ------------------------------------

(ख) थाना एवं थाना नं0 ------------------------------------

(ग) खाता एवं सर्वे प्लॉट संख्या ------------------------------------

(घ) लगान रसीद संख्या- ------------------------------------

4- आवेदित वन उत्पाद का विवरण:-

क्रमांक	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई 1.37 मीटर (4.5फीट) उँचाई पर/काष्ठ का परिमाप	अभियुक्ति
1	2	3	4

मैं ------------------------------------ वल्द/जौजे ------------------------------------

ग्राम ------------------------------------ थाना ------------------------------------

------------------------------------ जिला ------------------------------------

यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अंकित वन उत्पाद मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं वह वन उत्पाद मेरी निजी सम्पत्ति है जिन्हें मैं स्थान से ------------------------------------ स्थान तक निजी उपयोग/बिक्री हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ। लगान रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनु0-यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

उपर्युक्त अंकित सभी सूचनाओं की जाँच कार्यकारिणी समिति द्वारा कर ली गई है। उक्त वृक्ष आवेदक की निजी भूमि पर अवस्थित है और उनकी निजी सम्पत्ति है तथा अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि के बाहर है। कार्यकारिणी समिति आवेदक को ------------------------------------ स्थान से ------------------------------------ स्थान तक उपर्युक्त वन उत्पाद अपने निजी उपयोग/बिक्री करने हेतु अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा करता है।

सचिव

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष

बिहार सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक

एस0ओ0 . बिहार वन उपज ।व्यापार विनियमन। अधिनियम, 1984 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य वन विकास निगम लि0 को निम्नलिखित वन उप। के क्रय एवं व्यापार हेतु । जुलाई, 1994 से अगले आदेश तक सम्पूर्ण उत्तर बिहार के लिये सरकार का अभिकर्त्ता नियुक्त करते हैं । सम्पूर्ण दक्षिणी बिहार में इनका क्रय एवं व्यापार वन एवं पर्यावरण विभाग ।राजकीय व्यापार। द्वारा किया जायगा ।

वन उपज

निम्नलिखित प्रजातियों के काष्ठ

1.	साल	। शोरिया रोबस्टा ।
2.	आसन	। टरमिनेलिया टोमेन्टोसा ।
3.	गम्हार	।मेलिना आरबोरिया ।
4.	बीजा	। टेरोकारपस मार्सुपियम ।
5.	सलई	। बोसवेलिया सेराटा ।
6.	खैर	। एकेसिया कैटेच्यू ।
7.	सागवान	। टेकटोना ग्रान्डिस ।
8.	करम	। एडाइना कोरडीफोलिया ।

। वन बिक्रय 6/94 ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक वन बिक्रय 6/94- 2630 व0प0, पटना-15, दिनांक 30.6.94

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय से अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 500 प्रति इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

ह0/-
। नरेन्द्र पाल सिंह ।
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-

एस०ओ० ---- एस०ओ०-180-दिनांक- 8.2.85 द्वारा जारी की गयी अधिसूचना को विलोपित करते हुए एवं बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा-4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य वन विकास निगम लि० को निम्नलिखित लघु वन उपज के क्रय एवं व्यापार हेतु 1 जुलाई, 1994 से अगले आदेश तक सम्पूर्ण बिहार के लिये सरकार का अभिकर्ता नियुक्त करते हैं:-

वन उपज

निम्नलिखित प्रजातियों के फल एवं बीज

1- साल (शोरिया रोबस्टा)

2- महुआ (मधुका इन्डिका)

3- हर्रे (टरमिनेलिया चेबुला)

(वन विक्रय- 6/94)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक- वन विक्रय-6/94 2629 व०प०, पटना-15, दिनांक- 30.6.94

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय से अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 500 प्रति इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।

ह0/-नरेन्द्र पाल सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

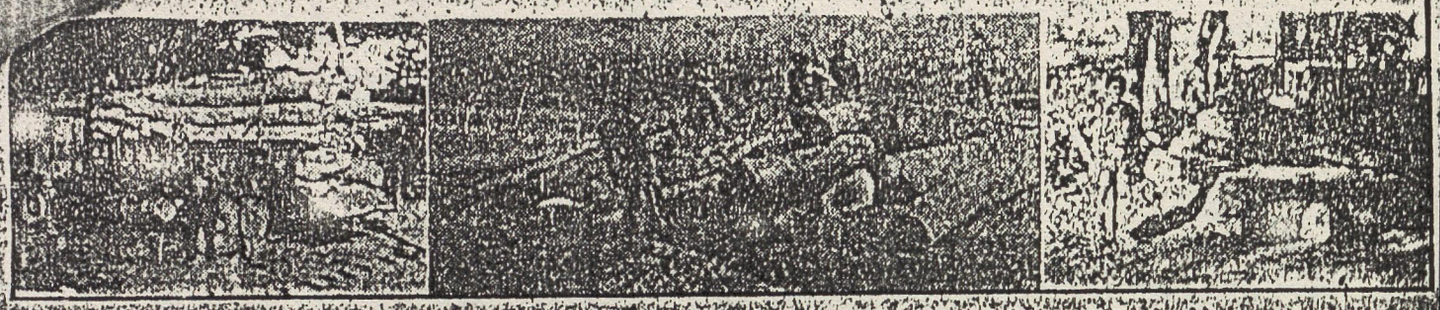

पीपल के बीच ट्रक पर लदी अर्जुन की लकड़ी, वामनी गांव में पड़ी लावारिस कीमती लकड़ी, जब्त समस व सिरीस के बोटे।

सरकारी अधिसूचना से लकड़ी तस्करों की चांदी

कवि कुमार

जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों को लकड़ी तस्कर एक सरकारी अधिसूचना का सहारा लेकर लूट रहे हैं।

गत साल जून में जारी बिहार सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार वृक्षों की दस प्रजातियों को ग्रामीण और व्यापारी रैयत से खरीदकर उसका परिवहन कर सकते हैं। इसके लिए वन विभाग से किसी तरह की परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। वन एवं पर्यावरण विभाग ने इन दस प्रजातियों में आम, इमली, महुआ, जामुन, कटहल, सेंहार, पाकड़, बरगद, पीपल और बांस के वृक्षों को रखा है।

लकड़ी के तस्कर इन 10 प्रजातियों के वृक्षों के नीचे छुपाकर कीमती लकड़ियों की भी तस्करी कर रहे हैं। भरे ट्रकों का माल उतार कर बीच में छुपी कीमती लकड़ियों को खोजना वन विभाग के लिए व्यावहारिक नहीं है। ऐसा करने पर भी एक दिन में वन विभाग कितने ट्रकों की लकड़ियां उतार सकेगा, यह समझना कठिन नहीं है।

इस तरह दोनों जिलों के जंगलों के कीमती वृक्ष बुरी तरह कट रहे हैं। इससे, रांची, जमशेदपुर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लकड़ी तस्करों की पांचों अंगुलियां घी में हैं।

इन दस प्रजातियों के वृक्ष तो इस कदर तेजी से कट रहे हैं कि कई हरे भरे गांव वीरान हो गए हैं। इससे पर्यावरण का तो संकट पैदा हो ही गया है ग्रामीण भी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

ग्रामीण आदिवासी बुरे दिनों में इन्हीं वृक्षों के सहारे दो जून की रोटी पाते हैं। फल के ये वृक्ष उनकी भूख मिटाते हैं। पर अब तो लकड़ी तस्करों की चांदी है जो शराब पिलाकर गृह स्वामी से वृक्ष खरीद लेते हैं। तस्करों के दलाल गांवों में फैले रहते हैं और वृक्ष नहीं बेचने वाले ग्रामीण को शराब की आदत डलवाते हैं जिससे ग्रामीण कम दाम में अपने घर का वृक्ष उन्हें बेच दें। इस तरह यह सरकारी अधिसूचना ग्रामीणों को बर्बाद कर रही है।

इन 10 प्रजातियों के बीच छुपा कर कीमती लकड़ियों को ले जाने के चलते सरकार के रक्षितवनों की भी अंधाधुंध अवैध कटाई हो रही है। पहले रक्षित वनों की सड़कों से निकलनेवाले ट्रकों को वन विभाग के अफसर फौरन पकड़ लेते थे। परंतु, अब उक्त 10 प्रजातियों के कटे वृक्ष लादकर और बीच में कीमती लकड़ियां रख कर तस्कर खुलेआम रक्षित वनों की सड़कों से गुजर जाते हैं। ऐसा 1 जुलाई 94 से चल रहा है। जबकि कीमती लकड़ी साल, आसन गम्हार, बीजा, सलाई, खैर, सागवान और फरम को रैयत सिर्फ राजकीय व्यापार मंडल, वन विभाग को ही बेच सकता है। हाल ही वन विभाग द्वारा की गई छापामारी में अधिसूचना की आड़ में चल रही लकड़ी तस्करी का खुलासा हुआ।

गत 23 जनवरी को मादोडीह नाक (पटमदा) के निकट छापामारी कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अवधेश कुमार ने एक ट्रक पीपल की लकड़ी पकड़ी। पीपल की लकड़ियों के बीच तीन बोटा अर्जुन की लकड़ी छुपा कर ले जाई जा रही थीं। इसे जब्त कर लिया गया। ट्रक मालिक गणेश प्रसाद साकची गुरुद्वारा बस्ती और लकड़ी मालिक बलराम महतो बताए गए। वन विभाग के इन्हीं अफसरों ने 27 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर ओपो गांव में एक ट्रक पर लकड़ियां लादे जाते समय छापामारी की। छापामारी की सूचना मिल जाने के चलते ट्रक को गांव के भीतर ले जाकर छुपा दिया गया। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अवधेश कुमार के जमशेदपुर आने का एकमात्र रास्ता मादोडीह नाके बंदी करवा दी। दूसरे दिन ट्रक लकड़ियां वामनी गांव के एक खेत में गिरा कर निकल भागा। वन अधिकारियों ने 18 बोटा सलई और 4 बड़ा बोटा सिरिस की लकड़ी जब्त की।

वनों की अवैध कटाई पर चिंता

भास्कर संवाददाता

अम्मोरपुर १८ जुलाई

संयुक्त वन प्रबंधन के मुद्दे पर सालबनी वनपाल के आवास पर एक त्रिपक्षीय बैठक संपन्न हुई जिसमें वनों की अवैध कटाई पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी। बैठक में श्रमजीवी उन्नयन एवं वन सुरक्षा में लगी विभिन्न समितियों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए परमेश्वर मांझी ने कहा कि फुलझरना (बुरूडीह) में वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने वन विभाग से वन सीमा निर्धारित करने की मांग की। उपेंद्र मांझी ने जावा एवं खेरूआ में वन सीमा निर्धारण की मांग की। सुरेंद्र मांझी ने वनों की रक्षा में लगी वन समितियों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की।

जगदीश मंडल का कहना था कि फारेस्ट गार्ड नियमित रूप से वनों की निगरानी नहीं करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वनों की निगरानी का जिम्मा ग्रामीण युवकों को सौंपी जाए इससे वनों की समुचित निगरानी होगी तथा ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलेगा।

युधिष्ठिर महतो (नूतनडीह) ने वनों की सुरक्षा के लिए बिजली का वाड़ लगाने, ग्रामीणों के बीच वन विभाग द्वारा अत्याधुनिक चुल्हों का वितरण करने का सुझाव रखा। अशोक सिंह (गोबरघुसी) ने कहा कि अवैध लकड़ी कटाई में बाहरी लोग लगे हुए हैं। गोबरघुसी में बड़ा बाजार (प. बंगाल) के ठीकेदारों द्वारा भारी मात्रा में लकड़ी कटाई की जा रही है। इस अवैध कटाई को ग्रामीणों द्वारा रोकना असंभव है। नागेंद्र नाथ हेम्ब्रम का आरोप था कि वनपाल एवं वन गार्ड बिना ड्यूटी दिए वेतन उठाते हैं।

खरसावां में पर्यावरण चेतना शिविर का आयोजन, अगला शिविर २७ को

कार्यालय संवाददाता

खरसावां, १८ जुलाई

लोकहित शिमला के तत्वावधान में ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति डांगो के सदस्यों ने पर्यावरण चेतना शिविर का आयोजन स्थानीय प्राथमिक विद्यालय डांगो में किया। शिविर में पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले खतरों पर चिंता व्यक्त की गयी एवं इसके संरक्षण के लिए जंगल बचाने पौधे लगाने एवं लोगों को जागृत करने का संकल्प लिया गया।

शिविर का प्रारंभ लोकहित संस्था शिमला की बहन श्रीमती ज्ञानती देवी एवं अध्यक्षा सुश्री कुंती दी के युगल गीत से हुआ जो पर्यावरण पर केंद्रित था। लोकहित संस्था के सचिव अंगूर महतो ने अपनी संस्था की ओर से दो पर्यावरण विद्यालय खोलने की घोषणा की। रेंगसा पर्यावरण विद्यालय की शिक्षिका के लिए सुश्री गुरुवारी सामंत तथा डांगो पर्यावरण विद्यालय की शिक्षिका के रूप में सुश्री पार्वती हांसदा का चयन किया गया। इन विद्यालयों में शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों को वन एवं पर्यावरण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वृक्षारोपण तकनीक से अवगत कराया जाएगा तथा लोकहित संस्था उन बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करने की व्यवस्था भी करेगी। अपने रक्षीय भाषण में वन क्षेत्र पदाधिकारी हसन कुमार मंडल ने ग्रामीणों से वैसे ही उत्साह व लगन की अपेक्षा भविष्य में भी की तथा विभागीय सीमाओं को बताते हुए वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा में ग्रामीणों से आगे आने का अनुरोध किया। लोकहित संस्था के सचिव अंगूर महतो के प्रति आभार प्रकट करते हुए वन क्षेत्र पदाधिकारी ने कहा कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संस्था ने पर्यावरण विद्यालय खोलकर, बच्चों, महिलाओं एवं ग्रामीणों में वन चेतना जागृति का जो अभियान चलाया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अन्य वक्ताओं में वनपाल आर पी सिंह, वनरक्षी श्री मिश्रा, मजूरा मलगांडी, तसर सिल्क बोर्ड के सहायक निदेशक डा खान थे। शिविर के अंतिम चरण में पर्यावरण पर वनरक्षी सिंगराई कुंभकार तथा कुंती बहन के युगल गीत ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसके पूर्व यह कार्यक्रम ११ बजे दिन से प्रारंभ हुआ एवं संध्या ४ बजे तक चलता रहा। इस कार्यक्रम में १०० से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम के प्रति लोगों के रूझान को स्पष्ट करता है। अंत में इसी तरह की चेतना शिविर का आयोजन आगामी २७ जुलाई को हुडांगदा में करने की घोषणा की गयी।

...विभाग के 'असहयोग' के बावजूद वन रक्षा में जुटी हैं स्वैच्छिक ग्राम समितियां

निज संवाददाता

जमशेदपुर, १९ जुलाई। पटमदा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न इलाकों में वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए कई वर्षों से स्वैच्छिक ग्राम समितियां काम कर रही हैं। इन ग्राम समितियों ने वन विभाग के असहयोग के बावजूद सैकड़ों एकड़ वनों को अवैध कटाई से बचाया है। श्रमजीवी उन्नयन तथा सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली द्वारा इन ग्राम समितियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रमजीवी उन्नयन द्वारा खुद पटमदा प्रखंड में अब तक ७५ ग्राम समितियों का गठन कराया जा चुका है। ग्राम समितियां ग्रामीणों को पर्यावरण तथा जंगल बचाने के प्रति जागरूक बनाने में मदद कर रही हैं।

किंतु वन विभाग का सहयोग नहीं मिलने से ... कर रही हैं। ... वे जंगल कटाई में लगे अवैध ठेकेदारों पर अंकुश लगाने में वन समितियां असमर्थ हैं। ... खेरूआ वन रक्षा समिति के जगदीश प्रसाद मंडल को ही लें। ये स्वैच्छिक रूप से समिति बनाकर १० वर्षों से वनों की रक्षा में लगे हैं। श्री मंडल का आरोप है कि वन विभाग की ओर से इस बाबत कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

बुरीघोड़ा में वन रक्षा समिति का गठन तीन साल पहले हुआ था। इससे जुड़े नयन सिंह के मुताबिक १० एकड़ वनों की रक्षा की जा रही है। नूतनडीह में पुपिदि ... महतो के नेतृत्व में महज दो साल पहले वन रक्षा समिति का गठन किया गया था। यह संस्था १५० एकड़ क्षेत्र में फैले वनों की रक्षा ...

... कर रही है। ग्रामीणों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आमबा प्रखंड में पहले वन रक्षा समिति गठित की गयी थी किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है। इस गांव के छोटू लाल हेम्ब्रम के मुताबिक ग्रामीण फिर से समिति गठित करना चाहते हैं। धोबनी वन रक्षा समिति विगत दो सालों से ५० एकड़ जमीन पर फैली वन संपदा की देखभाल कर रही है। समिति से जुड़े सागरी सिंह सरदार के मुताबिक बाहरी दबंग लोगों को जंगल काटने से रोकने में अब असमर्थ सिद्ध हो रही है। ... चिमटी वन रक्षा समिति १९८९ में गठित की गयी थी। इसके तहत २०० एकड़ जमीन पर फैली वन संपदा संरक्षित रखने का जिम्मा है। १०० एकड़ भू-भाग पर वन अच्छी स्थिति में है। १९९१ के बाद ... की नजर यहां के जंगल पर पड़ी। इससे ... की वन संपदा पर खतरा उत्पन्न हो गया ... समिति को वन विभाग द्वारा मदद नहीं ... से वनों की अवैध कटाई जारी है।

अब वन रक्षा समितियां अपने क्षेत्रों में वन संरक्षण का जिम्मा सरकार को सौंपने की जगह खुद लेना चाहती हैं। ... वन समितियों के कार्यकर्ताओं की ... दिनों गोबरघुसी में एक बैठक संपन्न हुई ... सर्वसम्मति से महिलाओं को समिति ... स्थान देने का निर्णय लिया गया। ... वन विभाग को ... सहयोग नहीं ... से कार्यकर्ताओं में क्षोभ व्याप्त था।

वनरक्षा समितियों की कार्यशाला आयोजित

आवाज संवाददाता

जमशेदपुर, २७ सितंबर। श्रमजीवी उन्नयन, गोबरघुसी, पटमदा में विगत २० सितंबर से २२ सितंबर तक संयुक्त वन प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला का उद्घाटन दैनिक 'आवाज' के केदार महतो ने किया। उन्होंने कहा कि वनों का हमलोगों से संबंध मां-बेटे जैसा है। उन्होंने श्रमजीवी उन्नयन के इस क्षेत्र में किये गये कार्यों की सराहना की। इस कार्यशाला में अनुमंडल वन पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक एवं वनों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, मानगो ने भी भाग लिया। अनुमंडल वन पदाधिकारी ने जानकारी दी की अभी उनके धालभूम प्रखंड में १०९ वन रक्षा समितियां हैं जो १०,००० एकड़ वनों की रक्षा कर रही है।

वन विभाग के पदाधिकारियों ने कार्यशाला में उपस्थित होकर जनता का ... बढ़ाया। लघुवन उत्पाद के बेहतर इस्तेमाल पर आयोजित इस कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया ताकि व्यावसायिक स्तर पर समितियों के माध्यम से चलाया जा सके। कार्यशाला ... का संचालन कार्यक्रम-संयोजक चितरंजन साहा ने किया। तीन क्षेत्र कार्यकर्ताओं ने अपना बहुमूल्य अनुभव सभा में रखा। सभा को संबोधित करते हुए श्रमजीवी उन्नयन के सचिव प्रणव चौधरी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सहयोग करते रहेंगे। वन-पर्यावरण संरक्षण करने के लिए मजबूत इरादा की जरूरत है।

Department: Forest (J.F.19)

वनों की रक्षा के लिए साझा प्रयास करें : भगत

संवाददाता

जमशेदपुर, 8 नवंबर। जंगलों का आज जैसे विनाश जारी है, यदि उसी तरह से और कुछ अर्सों तक जंगलों का विनाश होता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब हमें लिखने के लिए कागज तक मयस्सर नहीं होगा, अतः आज वनों की रक्षा के लिए हमें हर कीमत पर साझा प्रयास चलाना चाहिए। यह बातें आज क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक बीडी भगत ने कहीं। वे ... सामुदायिक विकास केंद्र में पर्यावरण बोध तथा वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा में ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति की भूमिका पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि की हैसियत से बोल रहे थे।

दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन धालभूम वन प्रमंडल, ग्रामीण एवं सामुदायिक सेवाएं टिस्को, ग्राम विकास केंद्र टेल्को व अन्य स्वयंसेवी संस्थानों ने मिल कर किया है। श्री भगत ने कहा कि देश की 73 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है और ऐसे लोगों की अधिकांश आवश्यकताएं जंगलों से ही जुड़ी हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि पलामू में बेतला मोड़ के नजदीक पेड़ लगाने का अच्छा प्रयास किया जा रहा है वहीं कुछ नक्सलवादी तत्व कुंदरी गांव के पास जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने वनों की रक्षा के लिए ग्रामीण वन प्रबंधन और सुरक्षा समिति की जरूरी भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला.

धालभूम के वन प्रमंडल पदाधिकारी अखिलेश मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया जबकि समारोह का संचालन सं... कुमार, डीएफओ रीसर्च एंड इभेलुएशन, रांची ने किया। सामुदायिक विकास व जनकल्याण विभाग टिस्को के एडीएम मेहर मदन ने अपने वक्तव्य में कहा कि वन किसी भी राष्ट्र की एक बड़ी संपत्ति होती है तथा उसके विकास पर राज्य का विकास निर्भर करता है। वन विभाग के विश्व बैंक परियोजना के टास्क फोर्स के वन संरक्षक एके सिंह ने कहा कि अब यह राय हो गया है कि वनों को पहले जैसी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। इसमें आमूल बदलाव की जरूरत है। डीएफओ बीसी निगम ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस कार्यशाला में करीब पचास ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति के सदस्य व अनेक संस्थाओं से जुड़े करीब 170 लोग इस कार्यशाला में उपस्थित हुए। कल कार्यशाला में सक्रिय ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों का पंजीकरण कर दिया जाएगा।

आइ-व्यू में आयकर का छापा

जमशेदपुर, 8 नवंबर। आयकर विभाग की ओर से विडियो मैगजीन 'आइ-व्यू' के सोनारी, आदर्श नगर स्थित कार्यालय में छापामारी की गयी, जो सुबह दस बजे से शाम में छह बजे तक चली। आइ-व्यू के संपादक विनोद राणा ने बताया है कि यह कार्रवाई साजिश से प्रेरित थी।

आवाज, बुधवार, दिनांक १५ नवम्बर १९९५

सिंहभूम के

हाथी ने एक को कुचलकर मारा

पोटका

पोटका थाना के बेगाम के पास के जंगलों में जंगली हाथी ने शिवन सिंह सरदार नामक एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक डुमरिया प्रखंड के डबलाबेड़ा गांव का रहने वाला था एवं किसी काम से वह जंगल के रास्ते से होकर पोटका की तरफ आ रहा था रास्ते में अचानक जंगली हाथी से सामना हुआ और हाथी ने शिवन सिंह को कुचल कर मार डाला।

८० फीसदी फसल नष्ट

आवाज संवाददाता

पोटका, १४ नवंबर : जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष लखन चन्द्र मंडल ने कहा है कि धान कटनी के मौसम में भीषण वर्षा से छोटानागपुर की ८० प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयी हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी ऋण के बोझ तले दबे किसानों के लिए यह विपत्ति का समय है। सरकार फसल बीमा योजना लागू कर रखी है परंतु किसानों को इस योजना का लाभ मिलने की कोई संभावना नहीं है। छोटानागपुर के किसानों की इस दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मंडल ने कहा कि यहां के किसान संगठन के अभाव में हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते।

जलावन बिक्री केन्द्रों पर लकड़ियां नहीं होने से वनों की अवैध कटाई

[illegible] साव

राजनगर, १४ नवम्बर : वन विभाग के राजकीय व्यापार डिपुओं के जलावन बिक्री केन्द्रों से पिछले छह महीनों में आवश्यक लकड़ी प्राप्त नहीं होने के कारण स्थानीय जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। जलावन एवं आवश्यक लकड़ी के अभाव में कई लकड़ी तस्कर पैदा हो गये हैं जो मजदूरों को कम मजदूरी देकर जंगलों का सफाया करा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया है कि पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम के एकाध डिपो को छोड़कर लगभग सभी बिक्री केन्द्रों पर जलावन एवं आवश्यक लकड़ी की आपूर्ति पिछले छह महीने से नहीं की गयी है। जामदा, गोईलकेरा जैसे बड़े लकड़ी डिपुओं से लकड़ी की आपूर्ति की जाती रही है परंतु विभाग के बड़े पदाधिकारियों द्वारा लकड़ी तस्करों से कथित सांठ-गांठ कर लकड़ियों की नीलामी कर दिए जाने से लकड़ी का अभाव सा हो गया है। लकड़ियों को विभागीय बिक्री केन्द्रों पर नहीं भेजने एवं उनकी नीलामी के लिए बड़े अधिकारियों को ऊंची रकम भी दी जा रही है। वन विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों की अंतलिप्तता के कारण पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम के विभागीय लकड़ी बिक्री केन्द्रों पर लकड़ी का अभाव हो गया है। बताया जाता है कि जामदा, गोईलकेरा डिपुओं से लकड़ियों की नीलामी कर उन्हें जिले से बाहर भेज दिया जाता है।

[illegible] तथ्य है कि जिले में अवस्थित वन विभागीय लकड़ी बिक्री केन्द्रों पर विभागीय वनपाल एवं कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है। पिछले छह महीनों से ऐसे भी विभागीय कर्मचारी बिना काम के सरकार से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। इन लकड़ी बिक्री केन्द्रों से पिछले छह महीने में वन विभाग को कोई आय नहीं हो सकी।

विभागीय लकड़ी बिक्री केन्द्रों पर लकड़ियों के अभाव का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। लकड़ियों के अभाव से स्थानीय जंगलों का बड़ी तेजी से ह्रास हो रहा है। जलावन के अभाव में उसकी कमी स्थानीय जंगलों को काटकर किया जा रहा है। पोटका, राजनगर एवं आसपास के जंगलों की लकड़ियां काटकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को साइकिल में लादकर बेचने के लिए ले जाते देखा जा सकता है। सरकारी डिपुओं में जलावन एवं अन्य लकड़ियों के अभाव के कारण कई छोटे मोटे लकड़ी तस्करों को पनपने का मौका मिला है। ऐसे कई स्थानीय लकड़ी तस्कर मजदूरों से कम कीमत पर लकड़ियां खरीदकर उन्हें ऊंचे कीमत पर बेचकर लाखों लाख कमा रहे हैं।

सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि वन विभाग के कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी इस मौका का भरपूर फायदा उठाने में लगे हुए हैं। कीमती लकड़ियों की बिक्री केन्द्र हल्दीपोखर का साप्ताहिक बाजार लकड़ी तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। पोटका के घने जंगलों से कीमती लकड़ियां काटकर यहां खुले आम बेची जाती है। बताया जाता है कि कई भ्रष्ट विभागीय कर्मचारी हल्दीपोखर साप्ताहिक बाजार से प्रति सप्ताह एक बड़ी राशि बतौर नजराना वसूल करते हैं।

वन विभाग के राजकीय व्यापार डिपुओं में लकड़ी के अभाव से जंगलों का ह्रास हो रहा है। साथ ही स्थानीय पर्यावरण पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

पोटका एवं राजनगर का क्षेत्र स्थानीय जंगलों के लिए विख्यात है, परंतु जंगलों के लगातार ह्रास हो रहा है। पिछले छह महीनों में जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा वृक्षविहीन हो गया है।

"जंगल बचाने के नाम पर हम ग्रामीणों को 'मूरख' बनाया जा रहा है"

जयप्रकाश केदार महतो

पटमदा में कई साल पहले एक प्रचंड लहर आयी थी, सपाट बन चुके मैदानों में दोबारा जंगल खड़े कर उन्हें हरा-भरा बनाने की। कामयाबी भी एक हद तक मिल चुकी थी, लेकिन अब वह उत्साह खत्म होने लगा है। वन रक्षण में लगे हतोत्साहित ग्रामीणों का आरोप है कि जब सरसों ही में भूत हो तो उतारना मुश्किल है।

एक वह भी जमाना था जब चारों ओर पहाड़ियों से भरा यह पठारी इलाका पटमदा पूरी तरह वन आच्छादित था। कालक्रम में वनों के विनाश से वह "बंजर यॉड" में बदल गया। पर्यावरण चेतना और पृथ्वी को विनाश से बचाने की चर्चाओं के साथ पटमदा के लोगों में भी उमंग उठी उन बंजर मैदानों को दोबारा हरा भरा कर जंगल में तब्दील कर देने की। नष्ट हो चुके जंगलों को दोबारा खड़ा करना कोई आसान काम नहीं, काफी चल करना पड़ता है इस दिशा में कुछ ग्रामीणों ने पहले और कुछ प्रकृति ने सहायता। कई पारम्परिक पेड़ ऐसे हैं जिनकी जड़ें जमीन में जीवित हों तो उसमें नयी कोंपलें फूटने लगती हैं। जरूरत सिर्फ उन फूटते कोंपलों की रक्षा करने की होती है जो कि एक निहायत कठिन कार्य है।

अनेक पारम्परिक पेड़ बीजों से उगते हैं। बीजों से उगे और जमीन के भीतर की जड़ों से फूटते कोंपल दोनों तरह के पौधों में से अनेक ऐसे होते हैं जिन्हें मवेशी चर जाते हैं, उन्हें चरने वाले जानवरों से बचाने की संयम उन्होंने बरती। यह एक त्याग का काम था। वन रक्षण समिति व इसी प्रकार के संगठन खड़े कर जिन क्षेत्रों को रक्षण के लिए उन्होंने निर्धारित किया उसकी वे हर प्रकार पूरी सजगता अनेकों सालों रक्षा भी करते रहे। दिन-दिन बढ़ते और घने होते गये वे जंगल, उधर उन ग्रामीण रक्षकों का उत्साह भी बढ़ाते रहे।

जंगल संस्कृति के लोग मूलतः प्रकृति पूजक हैं। उनके देवताओं का वास पहाड़ों और जंगलों के पेड़ों पर होता है। सरना या जाहेर थान, निर्धारित क्षेत्र में पेड़ों के झुरमुट, कुल्हाड़ी (टांगी) के प्रवेश का निषिद्ध क्षेत्र, जहां उनकी पूजा विधियां संपन्न की जाती है, उस सरना या जाहेर थान के ऊंचे ऊंचे पेड़ ही तो है जंगल संस्कृति के लोगों के मंदिर, जिसका निर्माण कोई मनुष्य नहीं, खुद प्रकृति करती है।

मंदिर रूपी उन पेड़ों के पुराने पड़ने पर खुद प्रकृति उन्हें नष्ट करती और तब तक उनकी जगह नये पेड़ खड़े कर चुकी होती है। वैसे तो जाहेर थान का हर पेड़ पवित्र माना जाता है लेकिन "शाल वृक्ष" उनकी नजरों में परम पवित्र है। पुनर्जीवित हो रहे जंगलों में वैसे तो आसन, पियाल, रोहड़ा, बहेड़ा, हरे, आंवला, मुर्गा, धो, करम, कसोई, भेला, केंद, कुल (बेर) पोड़ासी, धपकी, सीधा, पेयारी, भुड़रू, कुसुम, करंज, प्रेका, बेंड़ची, कुड़ची, सिरिस, गोड़े, जाम (कठ-जामुन) महुआ, तथा सैकड़ों अन्य प्रजातियों के साथ ही वह पवित्र शाल भी पुनर्जीवित हो रहे हैं।

हरे, बहेरा और आंवला न सिर्फ प्रसिद्ध त्रिफला बल्कि अन्य आयुर्वेदिक औषधों का भी मुख्य आधार है। आसन की सारित लकड़ी से जहां बंदूक के कुंदे तैयार होते हैं वहीं उसके कोमल पत्ते खा कर रेशम के कीड़े पलते हैं। उस रेशम से भारत को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की आय होती है। पियाल के पके फल जहां पक्षियों का आहार है वहीं वह बच्चों का लार्जेस भी है। "धो" की लकड़ी ढोल तबला तथा अन्य वाद्य यंत्र तैयार करने के काम आती है।

करम, धो, मुर्गा, जामुन, शाल कीमती इमारती लकड़ी देते हैं। करम तो अब बहुत मंहगा हो चुके सागवान के विकल्प के रूप में फर्नीचर बनाने के काम आ रहा है। भेला औषधीय तेल देता है। कुसुम, करंज, शाल आदि के फल नसीन उपयोगी तेल देते हैं। भुड़रू, केंद (केंदू) जाम, कुल (बेर) कुसुम के फल सिर्फ मनुष्य के ही खाने के काम नहीं आते बल्कि वे पक्षियों का भी मुख्य आहार है। यहां के प्रायः सभी पेड़ों के फल पक्षियों का आहार है। महुआ के फूल और फल समान रूप से मनुष्य और पशु पक्षी सभी के लिए जीवन दायिनी है। महुआ के फूल पक्षी तो ऊपर ही ऊपर चुन कर आस्वादे रहते हैं। जो चूता है उसे मनुष्य चुनते हैं। सुखा कर रखा गया महुआ बरसात की झड़ी के दिनों में गरीबों के भोजन का मुख्य आधार होता है। संपन्न लोग अपने मवेशियों को पुष्ट रखने के लिए महुआ खिलाते हैं। महुये के फल से निकाला गया तेल जो जम जाता है, ग्रामीण देहात के गरीबों का घी है। महुआ संपन्नता देता है अवैध शराब का धंधा करने वाले उन व्यवसायियों को जिनका सरकारी उत्पाद विभाग के समानान्तर अवैध महुआ के शराब का धंधा चारों ओर फैला हुआ है। उनके अवैध धंधे की वजह से संबंधित सरकारी विभाग के भ्रष्ट अफसरों का मोटापा भी बढ़ता जाता है। महुआ की खल्ली भी दुधारू मवेशियों के लिए उपयोगी होती है।

पेड़ों में से कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें लाही लगती है और उससे पैदा होने वाला लाह कई व्यवसाय को आधार प्रदान करता हुआ अंत में देश को विदेशी मुद्रा तक उपलब्ध कराता है। केंद का पत्ता जो कि उत्पाद विभाग को आर्थिक आधार प्रदान करता है उसी पर बीड़ी उद्योग भी टिका हुआ है। इन्हीं के साथ उगने वाले कई किस्म के घास, लतायें, पत्ते, कंद आदि भी मनुष्य को भोजन, औषध और आर्थिक आधार प्रदान करते हैं।

जिन पेड़ों से, वनों से, जंगल संस्कृति के लोगों को आत्मिक शांति मिलती हो, भोजन मिलता हो, रोग निदान के लिए औषध मिलता हो, उसे यहां के लोगों के द्वारा मां जननी के बराबर माना जाता, सम्मान दिया जाना स्वाभाविक भी है। यहां के लोगों ने तैयार होते उन वनों को उसी नजर से देखा भी है, लेकिन सरकारी वन विभाग वालों के लिए वन मां नहीं, आमदनी का जरिया है। वन विभाग के पदाधिकारी चाहते हैं कि ग्रामीण उन वनों की रक्षा जरूर करें लेकिन उनके द्वारा कटे पेड़ों से लदे ट्रक भेजे जाने के औचित्य की कोई खबर वे न रखें। अधिक उत्साही ग्रामीणों के अधिक मीन मेख निकालने पर वन अधिकारी उन्हें उनके इस उत्साह से विरत रखने को झूठे मुकदमों में फंसा कर हतोत्साहित भी करते रहे हैं। राज्य सरकार की शक्तियों से हर विधि संपन्न वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की इसी लोलुप मनोवृत्ति से आज पटमदा क्षेत्र का हर ग्रामीण हतोत्साहित है। अब वे मुफ्त की गुलामी कर भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई का रास्ता खोलने को तैयार नहीं। वैसे तो पूरे पटमदा में ग्रामीणों द्वारा पुनर्जीवित अभियान चल रहा है और उनके द्वारा संरक्षित पुनर्जीवित वन दूर ही से दिखाई भी देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इलाकों का सर्वेक्षण करने पर निराशाजनक स्थिति की भयावहता प्रकट हुई। जमशेदपुर से जाते हुए पटमदा की सीमा का पहला गांव सीमा गोड़ा से मिर्जडीह बांध के निचले रास्ते से गेरूआ को वह इलाका जिसके दक्षिण में दो पंक्तियों में पहाड़ियों की श्रृंखला है जहां निर्भय अवैध शराब चुराने का धंधा दिन रात चलता रहता है और न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि उसके कस्बाई इलाकों के बाहरी सीमा तक समानान्तर अवैध शराब के धंधे का नेट वर्क फैला हुआ है, उस नेट वर्क का ठेलतेल माल ढुलाई होता है। उसी के उत्तर गुजरती सड़क के दक्षिण ओर सरकारी रिजर्व फारेस्ट है सूखा सूखा उजाड़ सा और पूरी लम्बाई में सड़क की बायीं ओर ग्रामीणों द्वारा पुनर्जीवित जंगलों की हरियाली देख कर सुखद आश्चर्य होता है। बगल के रिजर्व फारेस्ट जिसकी देखभाल पूरी तरह सरकारी है और उसमें ग्रामीणों का घुसना पूरी तरह निषिद्ध है लेकिन इस सरकार संरक्षित वन में सिर्फ झाड़ियों ही झाड़ियां हैं। लेकिन इस सरकार संरक्षित वन में सिर्फ झाड़ियों ही झाड़ियां हैं, पेड़ कहीं कहीं गंजे के सिर के केश की तरह ही दिखाई देते हैं। अंतर के इस रहस्य का कुछ खुलासा नूतनडीह और पूरा खुलासा लाइलम ग्राम तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है। भीषण ऊबड़ खाबड़ नीचा ऊंचा वीरान जंगल के बीच से गुजरते इस दुरूह रास्ते से वन विभाग के ऊंचे अधिकारी तक नहीं गुजरते तो मंत्रियों की बात ही क्या है। यही कारण है यह इलाका शराब और जंगल माफियाओं की मिली भगत से खर्चा कर छोटानागपुर में तबादला करा कर आये भ्रष्ट अधिकारियों के निर्विघ्न लूट का अखाड़ा बना हुआ है।

विभिन्न गांवों के ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने अपनी नाराजगी तो अवश्य जाहिर की लेकिन दोषी लोगों के नाम पूछने पर उन्होंने साफ इंकार कर दिया। उनका कहना था कि आप तो पूछ कर चले जायेंगे, मगर हमें तो यहीं रहना है। उनके झूठे मुकदमों से लोग पहले ही परेशान है, जब उनके साथ के गुंडों के कारण जान पर बन आयेगी तब कौन बचाने आयेगा? गुस्से में कांपते हुए लोगों का सीधा आरोप था कि जंगल बचाने के नाम पर उन्हें मूरख बनाया गया है। यह अधिकारियों के पैसा कमाने का एक ढकोसला है। जंगल बचाने में उनकी कोई रुचि नहीं; वे तो साफ कहते है कि हम मोटा पैसा खर्चा कर यहां आये है पैसा कमाने, धरम कमाने नहीं। ऊपर वाले से शिकायत की बात पर ताल ठोंक कर कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले तक को हिस्सा भेजते हैं, हमको रोकेंगे तो खुद उनका हिस्सा रुक जायेगा। जो चाहे कर देखिये कुछ नहीं होगा।

लाइलम गांव के लोग बताते हैं कि सन् ७६-७७ से ही जंगलों को पुनर्जीवित करने की बात चलने लगी थी। लोगों में उत्साह भी जगा था। सन् ७६ में विधिवत समिति बना कर पुनरुद्धार का काम शुरू भी किया गया। विस्तार से वे बताते रहे कि कैसे उन्होंने दुबारा जीवित किया उन जंगलों को। इसके लिए कितनी परेशानियां उठाईं, कितना संयम बरता, कितनी मिहनतें की कैसे उसकी रक्षा के लिए जागरूक रहे, कैसे जंगल चोरों से शत्रुता ली, संघर्ष किये।

पुराना जंगल आखिर कैसे नष्ट हुआ था उत्तर में गांव वालों ने सीधा आरोप सरकार ही पर लगाया कि उसी ने तो सारे जंगल नीलाम किये थे। यह अधिकार तो और किसी के पास था नहीं। सरकार से जो थोड़ा बहुत बचा भी था उसका विभाग के अधिकारियों और लकड़ी कारोबारियों की मिली भगत से सफाया हो गया था। उन दिनों चोर और सरकारी सभी चोरों को न सिर्फ बेनकाब कर सकते है, बल्कि जिस तरह उन्होंने मृत हो चुके जंगलों को पुनर्जीवित किया है उसी तरह सभी लकड़ी चोरों को पकड़वा भी सकते हैं।

वन अधिकारी तो जंगल के विनाश का कारण गांव वालों को ही बताते हैं जवाब में गुस्से से कांपते हुए ऊंची आवाज में उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि क्या यह संभव है कि कुछ गांव वाले इतने बड़े जंगल को हजम कर लें? जलावनी की लकड़ी से आदिकाल से जंगल खत्म नहीं हुए, खत्म हुए उनके द्वारा जो परमिट देते है ट्रकों पर लाद कर लकड़ी ढोने का। जिनके हाथ में कानून है, पुलिस है, ठेका है, ट्रक है, आरा मशीनें है, बगैर उनकी इच्छा के क्या एक भी पेड़ कट कर यहां से बाहर जाना संभव है? बिना मिलीभगत के इतने बड़े बड़े जंगलों का सफाया क्या इन निहत्थे साधनहीन लोगों के बस की बात है?

लेकिन अब उनमें यह निराशा क्यों है के उत्तर में गांव वालों ने बताया कि [illegible] समिति जो बनी थी उसमें फारेस्टर सचिव थे और गांव की ओर से अध्यक्ष थे। लेकिन फारेस्टर इसे [illegible] नहीं रखते हैं। उनकी इच्छा है कि [illegible] उन्हें सिर्फ केस देते रहें और वे छूट कर पैसा कमाते रहें। उन्होंने जानकारी दी कि अभी हफ्ते भर पहले ही जंगल चोरों और बचाने वाले इन ग्रामीणों के बीच जंग[...] और नहीं काटने देने की बात क[...] सामने टकराहट की स्थिति थी जिस[...] के गिरने का भी खतरा था। फारे[...] खबर भी दी गयी, लेकिन उन्होंने [...] किया। बल्कि काटने से रोकने की उल्टे उनमें कुण्ठा भी दी। उन्होंने [...] कर रोकने वालों को सबक सिखाने क[...] भी दे रखी है।

एक पढ़े लिखे और जानकार ग्रामीण ने सीधा आरोप लगाया कि ग्रामीण बचा रहे हैं, बिना किसी से [...] हुए, अपने श्रमदान, एकता और ज[...] से और ऊपर सारा श्रेय वन विभाग ले रहे हैं। इस मद में खर्चा दिखा कर खजाने में [illegible] भी कर रहे हैं वन [...] नाम पर। जबकि श्रेय ग्रामीणों को मिलना चाहिये था। पुरस्कार के बदले आ[...] भय से ग्रामीण आतंकित है। उन्होंने [...] कि इसी मुद्दे पर समिति के ग्रामीणों [...] एफ ओ से [illegible] भी हो गयी है। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने वन के अधिकारियों से साफ कह दिया आगे से वनों की रक्षा खुद ही करें। न तो उनका बंधुआ मजदूर [illegible] को तैयार है और न उनकी मिली भग[...] का शत्रु। जाने विभाग और जाने स[...]

उनका साफ शब्दों में आरोप है [...] उतारने को ओझा मंत्रपूत कर जो सर[...] रहा है जब उसी में भूत बैठा हो तो वह भी कैसे? जंगल का विनाश तो खुद [...] और लकड़ी व्यवसाइयों की मिलीभ[...] का है। जिससे ग्रामीणों द्वारा उसे बचा[...] असंभव है।

CONSERVING DALMA: A PEOPLE&S APPROACH

BY R. P. SINGH, I. F. S.
DCF, WORKING PLANS, VAN
BHAWAN HAZARIBAGH-825301.

Dalma wildlife sanctuary, a natural gift and boon for the first Steel City of India, Jamshedpur is situated just 16 k.m. from the City and 2-3 km. from aerial distance. With extremely rich plants and wildlife no city in the country has the distinction of having such a vast patch of natural forest, acting like a LUNGS for neibhouring habitation. You have the two most contrast to visualise at the same time. The beautiful natural forests on undulating hills spreadover 193.22 sq.kms at one end of Tata Steel city and on other side the blast furnaces of which flashes red and yellow lights and fumes round the clock along with the chimneys of other industrial units. Inspite of all odds, it set on excellent exampls of mutual co-existence between nature and industry which we have to keep on flourishing in times to come.

Keeping in mind the industrial cities around Dalma and its natural habitant, it was decided to create a wildlife sancturary in the year 1976 .... which was inaugurated by late Sanjay Gandhi, considered to be one of the gratest ecologist India has produced. Sanjay Gandhi believed that the country could survive only by controlling its ~~poplation~~ population and conserving it natural heritage. The forests of Dalma WLS was earlier managed under the Dalbhum and Chaibasa north Division which was later transfered to Ranchi Wildlife Division for better wildlife management in 1991. Govt. of Bihar plans to shift the headquarters of Ranchi wildlife Division to Jamshedpur in future to boost the conservation process of Dalma WLS.

Dalma hills has got a distinction of having the highest peak of Singhbhum district which is 3038 ft. from m.s.l. having Lord Shiva temple on the top. Geologically it consists oldest and volcanic rocks. The climate is warm and humid. On the top of the hill the climate is pleasant and cold even in summer when the people in the down city are sweating profusely.

Dalma WLS has got Sal forests as well as mixed forest comprising Sal, Asan, Bahera, Harra, Karam, Sidia, Bel, Bamboos etc. Palas, Kusum and Mahua trees are found in abundance in its foot hills which gives beautiful color to the sarrounding during spring. Various kinds of creepers, orchids, medicinal plants are found in abundance. It is all due to the variety of flora that houses different kind of animals, birds, reptiles.

Dalma is basically an Elephant wildlife sanctuary but it also consists of sloth bear, mouse deer, barking deer, wild boar, wild dogs, monkeys, Hyaena, Mongoose, Civet. Leopard and Tigers are also occasionally seen here. Indian giant squirrel locally known as " Larmusa" is very common on hills.

Although problems are part and parcel of everybody life today the main problems of Dalma WLS can be listed below :-

* Excessive removal of firewoods to cater the needs of Jamshedpur, Patamda Chandil, Nimdih besides bonafide local needs.
* Musrooming of illicit Mahua liquor distillaries.
* Dozens of stone crushing units near foothills creating sound & dust pollution.
* Half constructed Swanrekha Project canals obstructing ~~irrigation~~ Migration route of wild animals especially elephants.
* Excessive grazing pressure of unproductive local cattles - as well as from Khatals.
* ~~Animal~~ Annual " Akhand Shikar " killing numerous wild animals every year.

SUSTAINABILITY IS THE DEMAND OF TIME FOR DALMA W.L.S. TODAY.

The root cause of environmental problems of Dalma is poverty and to overcome poverty, two things are essential. First, the development must continue which means judicious and equitable exploitation of its natural resources. Secondly, there must be a check in human and cattle population in order to prevent collapse of life support system. Both requires practical approaches in thinking and calls for sustainable consumption. So that the

exploitation by the present generation does not jeopardise the future of generations yet unborn. Wisdom demands, that the resources of Dalma wild-life sanctuary should be handed over to the next generation in enhanced and improved conditions by utilizing available technologies and applying the princples of sound resource management.

Dalma WLS has got 132 villages in and around the sanctuary having a population of approx.35,000 people as well as 45,000 cattle heads. The main source of livelihood for its local is agriculture with emphasis on vegetable production as cash crop. Therefore dependance upon the forest resources is too much. People get food, drink,shelter and income from these forest. With the will to protect/enhance forest resources and to ensure improvements in the socio-economic conditions of the rural people, modifications in the concepts of forest management are being debated frequently. It is now a accepted fact that the existing forest resources cannot be conserved without people's involvement and that too with willingness. The only solution to the present day crisis of deforestation and the circumtancial alienation of people, is to opt for community forestry by involving local population in forest protection and development. The rural Women have suffered in silence the loss of sources of fuel, fodder,small timber,minor forest produce along with medicinal plants. Thus community participation Projects should be encouraged while executing any plans for revitalising Dalma WLS.

..... HERE COMES GOVTS.

Now Govt. of India has provided impetus to peoples involvement in forest management by issuing a circular on 1st June'90 (N.6.21/89-FP) in pursuance to the National Forest Policy,1988, which envisages in its objectives the active participation of local people in the protection and management of forest resources. The various state govts has issued similar instruction for their respective states and the state of Bihar has also

implemented this scheme vide its resolution no. 54/90-5244 V.P dt. 8.11.90.

Based on the Govt. of Bihar resolution dozens of Forest Protection Committees has been constituted in formal and informal manners, few of which are working in good spirit, other have become inactive. A fresh efforts has to be undertaken to revitalised all such efforts being made by locals.

ACTIVITIES SUITABLE FOR WLS CONSERVATION IN DALMA

(A) Forest Protection

* From illicit felling
* Grazing
* Forest fire
* Girdling/lopping etc.
* Encroachment
* Illegal mining and querring
* Wildlife conservation

(B) FOREST MANAGEMENT

* Rehabilitation of degraded forest for regeneration.
* Designing micro-plans/Joint management plans.
* Improvement of Communication systems.
* Crop damage management from wild animals viz. Elephant.

(C) SOCIAL ACTIVITIES

* Encourage savings from wages
* Recovery from petty forest ~~officers~~ offences.
* Fire protection ~~fines~~ line.
* Bank interest

(D) ECO-DEVELOPMENT

* Irrigation
* Land development
* Drinking water facilities
* Alternative land use.

* Alternative energy sources for cooking, housing etc.
* Encouraging better seeds, fertilizers & equipments
* Adult & non-formal education
* Primary Health & Population control measures.

INSTANT PEOPLE'S INVOLVEMENT

There are three basic components of peoples participation.

INVOLVEMENT : IN + VOLVE + MENT

IN: INITIATIVE: Most of the people involved in participating mechanism have taken their own initiative, even before govt made GO.(govt.orders) and realise that it is their own forest whom they should protect.

VOLVE: VOLUNTARY: as distinguished from service rendered through monitory initiative i.e. it is not under "greed or monitory gain or under someones pressure". People around Kudada, Rangamati(Kali mandir), Ramgarh resist share offered by BFD saying that they have not protected forests keeping in mind any material gains. If govt is so concerned about the welfare of ours, it must go for ECO-DEVELOPMENT of the project area.

MENT: MATURE: Local people are mature enough to take effective decisions in JFM. They can judiciously plan and execute as per their common sense/practical experiences.

NET RESULT: it is sustainability of their degreded forests with JFM efforts.

POPULATION GROWTH OF SINGHBHUM: AT A GLANCE.

Census year	Pop.in lakhs	per sq.km. density of pop.
1951	17.0	126.5/sq.km.
1961	20.49	152.46
1971	24.37	181.32
1981	28.61	213.0
1991	34.25	254.99

Note: These growth in population is mostly due to industrialization, Urbanisation and migration of labours to the cities. Local people's growth is normal.

THE COMMON MINIMUM PROGRAMME FOR CONSERVATION

The basic principle of this programme should evolve around the priciple of -

" COMING TOGETHER IS A BEGINNING
KEEPING TOGETHER IS PROGRESS
WORKING TOGETHER IS SUCCESS "

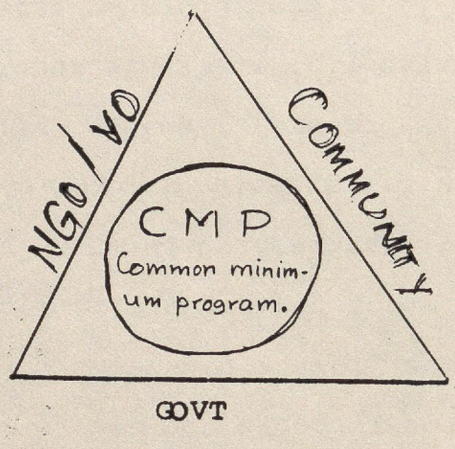

(Triangle of Conservation)

(Note: This draft is likely to be enhanced and its Hindi version shall be distributed to all participating members of this workshop by post.)

This brief note has been prepared for Dalma Sanctuary: Prospects for Conservation, 12-13 Aug 96 at T.C.C, Sonari, Jsr.

दलमा अभ्यारण्य-संरक्षण के आसार
पर एक कार्यशाला

दिनांक : १२-१३ अगस्त, १९९६

स्थान - ट्राइबल कल्चरल सेंटर (टी०सी०सी०)
सोनारी, जमशेदपुर

- डी० पी० सिंह
ग्रामीण विकास विभाग
टाटा स्टील
जमशेदपुर।

दलमा अभ्यारण्य-संरक्षण के आसार पर एक कार्यशाला

दिनांक : १२-१३ अगस्त, १९९६

स्थान - ट्राइबल कल्चरल सेंटर (टी०सी०सी०)
सोनारी, जमशेदपुर

दलमा अभ्यारण्य-संरक्षण के आसार पर एक दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक १२ एवं १३ अगस्त १९९६ को ट्राइबल कल्चरल सेंटर, सोनारी, जमशेदपुर में सम्पन्न हुआ । कार्यशाला का आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के द्वारा किया गया जिसकी व्यवस्था टाटा स्टील के रूरल एन्ड कम्नीयुटी सर्विसेस विभाग ने की । इसमें वन-विभाग के पदाधिकारी, दलमा के आस-पास रहने वाले ग्रामीण, गैर-सरकारी संस्थायें, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलैंड, ग्राम विकास केन्द्र, टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट, टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ट्राइबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल एवं अन्य संस्थाओं के करीब ६० व्यक्तियों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दलमा अभ्यारण्य-संरक्षण से सम्बन्धित मुख्य मुद्दों पर विचार करना एवं इसके कार्यान्वन के लिए कुछ सम्भावित न्युनतम कार्यक्रम तय करना था ।

कार्यशाला का मुख्य मुद्दे थे -

१. दलमा का महत्व
२. वन संरक्षण समिति
३. बाहरी दवाब
४. अखंड शिकार
५. हाथी - मनुष्य टकराव
६. ग्रामवासी - वन विभाग संबंध
७. ग्रामवासी की आजीविका

.... २

श्री आशीष कोठारी, निर्देशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

कार्यशाला के प्रारम्भ में आये हुये अतिथियों का स्वागत करते हुये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक श्री आशीष कोठारी ने बताया कि दलमा के वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो कार्य चल रहा है वह न केवल यहां बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी जारी है। वन एवं वन्य प्राणियों का जो विनास हो रहा है उसको संरक्षित करना है और इसलिए सरकार ने कुछ क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया है। अगर ये संरक्षण नहीं मिलता तो कितने वन एवं वन्यप्राणी उजड़ जाते। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारे ग्राम वासी जिनकी निर्भरता वनों पर है, इस संरक्षण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। फलत: ग्रामवासी एवं संरक्षण विभाग के बीच एक टकराव की स्थिति आ गयी है। कुछ ठीकेदार, मील मालीक एवं माफिया का दबाव जंगल पर पड़ रहा है जिसके कारण इसका ह्रास हो रहा है। अत: प्रश्न उठता है कि बाहरी दबाव को कैसे कम किया जाय ? ग्रामीणों के उपार्जन के लिए क्या साधन मुहैया कराया जाय ? अखंड शिकार की परम्परा से जो वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जाय ?

इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हमलोग सभी मिलकर इस दिशा में पहल करें।

श्री विराफ मेहता, प्रमण्डलीय प्रबंधक, टाटा स्टील

टाटा स्टील - रूरल एण्ड कम्नीयुटी सर्विसेस के प्रमण्डलीय प्रबंधक श्री विराफ मेहता ने कहा कि गत २० वर्षों से टाटा स्टील ग्रामीणों एवं आदिवासियों के सर्वांगीन विकास के लिए इस ओर कार्यरत है तथा टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से न केवल जमशेदपुर बल्कि माइन्स एवं कोलयरी जो बिहार, उड़िया एवं मध्य प्रदेश के अन्तर्गत आता है, इसके आस-पास पड़ने वाले वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा वृक्षारोपन के लिए ग्रामीण स्तर पर पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक एवं गोष्टियों के द्वारा इन ग्रामीणों को

.... ३

प्रोत्साहित करता रहा है और इस क्षेत्र में काफी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि जंगल बचाना उतना कठीन नहीं है जितना कि जानवर बचाना। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलजुलकर ईमानदारी से इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें। जो कार्य असम्भव है उस पर विचार करने से कोई लाभ नहीं बल्कि पहले छोटी-छोटी समस्याओं को लें और उसके निराकरण का कोई सामुहिक हल ढूंढे। इसके लिए उन्होंने निम्न स्तर से काम करने, वन एवं वन्य प्राणियों के महत्ता के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने, बच्चों को शिक्षा देने एवं जनसंख्या पर रोक लगाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रेस की मदद लेनी होगी जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को आम लोगों तक पहूंचा सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं।

श्री पी० के० सेन, मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार

मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, श्री सेन ने कहा कि वन संरक्षण की जिम्मेवारी केवल वन विभाग पर नहीं बल्कि हम सभी पर है और इसके लिए एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं कर, ईमानदारी से इसके वास्तविकता पर विचार कर कार्यवायी करेंगे तो हम कुछ ठोस निर्णय ले सकेंगे। उन्होंने सलाह दी कि यदि छोटी-छोटी कार्यशाला गांव में हो तो हम उनकी समस्याओं को सीधे रूप में जान सकेंगे और उसका निदान कर सकेंगे।

श्री संजय श्रीवास्तव, प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी

श्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि दलमा पर जिस तरह लोगों की निर्भरता है और जिस गति से जंगल का ह्रास हो रहा है वैसे स्थिति में हम सबों को मिलकर विचार करना होगा। यद्यपि वन विभाग एवं ग्रामीणों के बीच की दूरी कम हुयी है फिर भी आवश्यक है कि ग्रामीण जनता, वन सुरक्षा समिति, गैर-सरकारी संस्था, वन विभाग, सरकारी पदाधिकारी एवं अन्य सारे लोग जो इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित हैं के बीच आपस में सामंजस्य हो।

....४....

उन्होंने दलमा में हाथी की जनसंख्या पर एक रिपोर्ट पेश की जो इस तरह है -

दलमा अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या

वर्ष	हाथी(पु०)	हथनी(स्त्री०)	बच्चे	टोटल
१९८७	२३	३४	१९	७६
१९८८	२७	३९	१४	८०
१९८९	२४	३४	११	६९
१९९०	२५	३२	११	६८
१९९१	२३	४०	१३	७६
१९९२	२५	३१	१२	६८
१९९३	२४	२६	११	६१
१९९४	२३	३१	१६	७६
१९९५	२२	३३	१८	७३
१९९६	२३	३३	२२	७८

श्री फागू सोरेन, सहायक प्रमण्डलीय प्रबंधक, टाटा स्टील

टाटा स्टील - ट्राइबल वेलफेयर सेल के सहायक प्रमण्डलीय प्रबंधक श्री फागू सोरेन ने अखण्ड शिकार (सेन्द्रा) के महत्ता पर प्रकाश डालते हुये बताया कि सेन्द्रा आदिवासियों के संस्कृति का एक हिस्सा है जो उनलोगों के लिए धार्मिक एवं सामाजिक महत्व रखता है । यह पर्व वर्ष में एक बार बुद्ध पुर्णिमा के आस पास मनाया जाता है जिसमें सभी गांव से करीब २० हजार लोग भाग लेते हैं और अपने परम्परागत अस्त्रों का प्रयोग कर शिकार करते हैं । उन्होंने बताया कि इनका उद्देश्य जानवरों को मारना नहीं बल्कि अपनी परम्परा को निभाना है, इसलिए इनके लिए शिकार मिले, यह आवश्यक नहीं पर शिकार करने की परम्परा निभाते हैं ।

दलमा जंगल में हाथियोंकी संख्या बढ़कर ७४ हुई

जमशेदपुर। दलमा जंगल में की गयी गणना के पश्चात कुल ७४ हाथी पाये गये हैं जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। यह जानकारी दलमा वन क्षेत्र में जानवरों की गणना के बाद मालूम हुई है।

विदित हो कि गत वर्ष हाथियो की संख्या ७३ थी जिसमें २२ नर, ३३ मादा, १८ बच्चे थे। इसके अलावा गत वर्ष कुल मिलाकर ८०० जानवर इस वन क्षेत्र में पाये गये जो कि पिछले दस वर्षों की तुलना में सबसे अधिक थी। बताते हैं कि इस वर्ष भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक जानवर पाये गये हैं। ज्ञात हो कि दलमा वन क्षेत्र मुख्य रूप से हाथियों के लिये ही माना जाता है।

यह वन्य प्राणियों का शरणस्थली है। अत्यंत मनोहरी दृश्यावली अपने आंचल में समेटे दमला पर्वत श्रृंखला जमशेदपुर से मात्र १६ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। पृथ्वी का भीमकाय प्राणी हाथी अपने झुंड के साथ यहां निवास करता है। सन् १९७६ में दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के रूप में दलमा पर्वत को घोषित कर दिया गया जिसका मुख्य उद्देश्य था जंगल एवं इसके मृतप्राय प्राकृतिक घटकों को पुर्नजीवित कर हर हालत में इसे सुरक्षा प्रदान कर अन्य प्राणियों के लिये बेहतरीन शरणस्थल प्रदान करना एवं पर्यटकों तथा प्रकृति प्रेमियों के लिये एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केन्द्र बनाना।

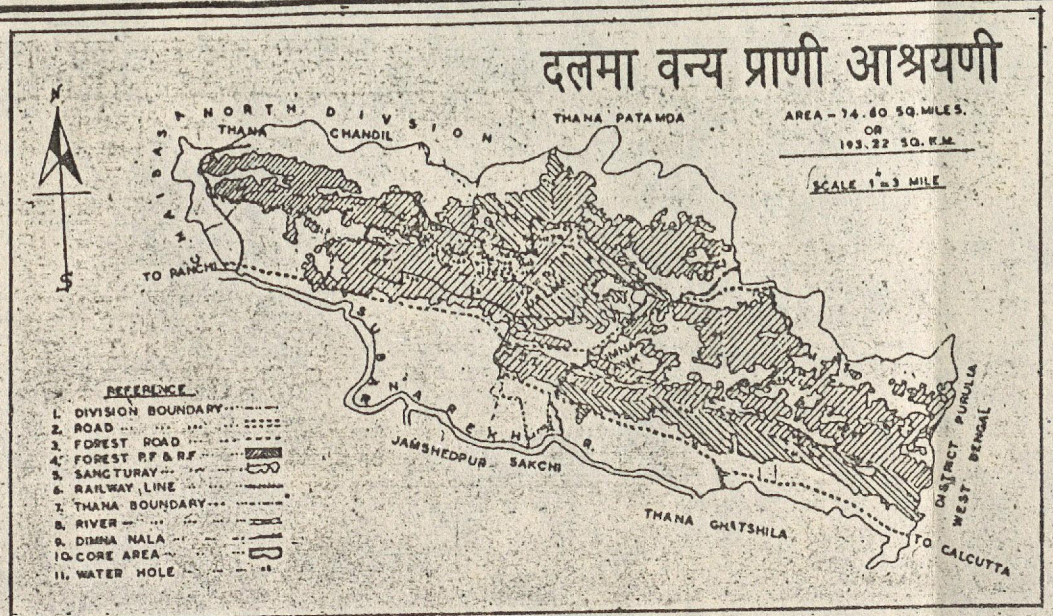

यहां गौरतलब बात यह है कि पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा इसके सीमांत प्रदेश जहां से हाथियों का आवागमन होता रहता है जिससे अन्तरराज्यीय योजना गज योजना अन्तर्गत इसे कोरिडोर बनाने का भी प्रावधान है।

बताया जाता है कि गणना के क्रम में अधिकांश पशु जो दिखे उसमें हाथी के अलावा चीता, भालू, बन्दर, मोर, कोटरा, माउसडियर आदि हैं।

यहां उल्लेनीय है कि वर्ष १९९५ में कुल ७३ हाथी पाये गये जिसमें कि बाइस नर, ३३ मादा तथा १८ बच्चे थे। वर्ष १९९१ में हाथियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई थी और यह संख्या ७६ हो गयी थी। कहने का मतलब यह है कि वर्ष १९९० में ६६ हाथी थे और ९१ के बाद ९२ में भी ६६ ही हाथी पाये गये थे।

पिछले दस वर्षों का आंकड़ा देखने पर यह प्रतीत होता है कि वर्ष १९८८ में हाथियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी इस वर्ष कुल ८० हाथी गणना में पाये गये थे जिसमें कि २७ पुरूष ३९ मादा तथा १४ बच्चे थे।

इसी तरह वर्ष १९९८ में ५५ हाथी दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में थे जिसमें कि २१ नर, २४ मादा और १० बच्चे थे इसी तरह १९८६ में २१ नर, २४ मादा और ८ बच्चे मतलब की इस वर्ष १९८५ के अपेक्षा एक हाथी में कमी आई थी। १९८७ में हाथियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यह संख्या ७६ तक जा पहुंची।

इस वर्ष २३ नर, ३४ मादा तथा १९ बच्चे पाये गये और हाथियों की संख्या ७६ हो गयी थी। इसी तरह वर्ष १९८८ में हाथियों की रिकार्ड वृद्धि हुई और यह संख्या अस्सी तक जा पहुंची। इसमें २७ नर, ३९ मादा तथा १४ बच्चे थे इसी तरह १९८९ में ६५ कुल हाथियों में २४ नर ३४ मादा और ११ बच्चे, १९९० में २५ नर ३२ मादा और ९१ बच्चे, १९९१ में २३ नर, ४० मादा और १३ बच्चे। १९९२ में २५ नर ३१ मादा १२ बच्चे। १९९३ में २४ नर, २६ मादा, ११ बच्चे। १९९४ में २३ नर ३१ मादा और १६ बच्चे तथा १९९५ में २२ नर ३३ मादा तथा १८ बच्चे पाये गये। यहां गौर तलब बात यह है कि मादा हाथियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई जबकि पुरूष हाथियों में उत्तरोत्तर कमी आई।

इसी तरह कुल जानवरों की संख्या में भी लगातार वृद्धि ही होती गयी। दलमा आश्रयणी के रिकार्ड से मिली जानकारी के अनुसार कुल जानवर इस प्रकार पाये गये हैं। वर्ष १९८५ में ६८०, ८६ में ५६४, ८७ में ५६६, ८८ में ५८७, ८९ में ६१३, ९० में ५५४, ९१ में ४८९, ९२ में ५४१, ९३ में ६५४, ९४ में ६७३, ९५ में ८०० जानवर पाये गये।

श्री सोरेन सलाह दिये कि उन आदिवासियों से मिलकर उन्हें समझाना होगा । उन्हें बताना होगा कि दलमा को अंखड शिकार का मुद्दा नहीं बनावें । उनकी समस्या को समझकर इसका समाधान उन्हीं से पुछना होगा ।

श्रीमती दिलीत कैसल्टन, सहायक प्रबंधक, टाटा स्टील

सहायक प्रबंधक श्रीमती दिलीत कैसल्टन ने टाटा स्टील - ट्राइबल हरिजन वेलफेयर सेल के यह जानकारी दी कि कुछ दिन पुर्व सेन्द्रा पर एक कार्यशाला किया गया था जिसमें ग्रामीण आदिवासी, सेन्द्रा मनाने वाला दो नाइके वन विभाग के पदाधिकारी एंव गैर सरकारी संस्था के करीब ७० लोग भाग लिए । कार्यशाला के अन्त में दोनो नाइके एंव अन्य लोग यह महशुस किये कि अभी जिस रूप से शिकार सेन्द्रा के नाम पर किया जाता है वह गलत है । उन्होंने बताया कि सेन्द्रा के नियम के अनुसार - गर्भवती जानवर को मारना, बन्दूक का इस्तमाल करना, जाल या फंदा डालना गलत है । उन्होंने पुन: सलाह दिया कि सेन्द्रा के अवसर पर सेमिनार, सम्मेलन या कोई मनोरंजक खेल जैसे तिरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए ।

श्री आर० पी० सिंह, डी० सी० एफ०, हजारीबाग

श्री आर० पी० सिंह, डी० सी० एफ०, ने बताया कि दलमा जंगल का ह्रास का मुख्य कारण अत्याधिक लकड़ी की कटाई, जंगल में महुआ से शराब बनाना, दलमा के नीचे दर्जनों क्रसर मशीन का चलना, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के कारण यहां के जानवरों खासकर हथियों के आवागमन में रूकावट, दोत्रीय जानवरों द्वारा दलमा को चारागाह के लिए इस्तमाल तथा अखण्ड शिकार आदि है ।

इन्होंने ने सलाह दी कि इसका मुख्य कारण गरीबी है जिसे दूर करना होगा, इनको विकास का कार्य जारी रखना होगा ताकि प्राकृतिक

साधन को बर्बादी से रोका जा सके, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि इसका व्यवहारिक रूप दिया जाय । अच्छा यह होगा कि दलमा अभ्यारण्य के अन्तर्गत जो साधन है उन्हें विकसीत कर आनेवाले पीढ़ी को सौंप दिया जाय ।

अलग-अलग मुददों पर विस्तार से चर्चा के लिए कार्यशाला को चार विचार दलों में बाटा गया । प्रत्येक विचार दल में करीब १५ व्यक्ति थे । आपस में विचार विमर्श के बाद विभिन्न दलों के द्वारा जो सुझाव दिया गया वह इस प्रकार है -

विचार दल - १

विषय - वन संरक्षण समिति।वन विभाग

१. अभ्यारण्य के अन्दर तथा बाहर के सटे हुये गावों के वन सुरक्षा एवं इको विकास समिति को मान्यता देने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जाय ।
२. अभ्यारण्य के अन्दर एवं आसपास के गांव तथा जंगल विकास का अधिकतर काम इन्हीं समिति के माध्यम से करवायी जाय ।
३. विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य के लिए वन विभाग एवं स्वंय-सेवी संस्था मदद करें ।
४. समितियां तीन स्तर पर बनेगी -
   (क) प्रत्येक गांव के समुह में
   (ख) गावों के समुह में (८-१० गांव मिलाकर)
   (ग) दलमा अभ्यारण्य के स्तर पर - इस स्तर की समिति में ग्राम समिति, स्थानीय स्वंय सेवी संस्थायें, वन विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि रहें ।

५. ग्राम समितियों के दा जैसे गांव के जमीन और उनके द्वारा सुरक्षित जंगल का योजना एवं प्रबं समिति के सहमति से हो ।

६. अभ्यारण्य से ऐसे पदार्थ को एकत्र करने की अनुमति दी जाय जिससे वन्य प्राणियों को विशेष क्षति न पहूंचे लेकिन ग्राम वासियों को उससे अधिकतम् फायदा हो । समिति द्वारा प्रत्येक संग्रहित पदार्थ पर साधारण मुल्य अवश्य वसुला जाय जिसे समिति के कोष में ग्राम विकास के कार्यों के लिए रखा जाय ।

७. महिलाओं को समिति में बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाय । इसके लिए एक घर से एक महिला तथा एक पुरूष को समिति में आवश्य लिया जाय । महिलाओं को समिति में खुलकर हिस्सा लेने हेतु उनके शिक्षा तथा सहभागिता के लिए स्वंय सेवी संस्थायें एवं वन विभाग सक्रिय भूमिका निभायें ।

८. रैयती जमीन पर लगे फलदार वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए समिति सक्रीय भूमिका निभायें । वृक्ष के मुल्य की सही जानकारी वन विभाग से प्राप्त कर समिति के अध्यक्ष ग्रामवासियों को अवगत करावें ।

९. वन विभाग एवं स्वंय सेवी संस्थायें समितियों के सदस्य को बेहतर प्रबंध, इंधन बचाव तथा अन्य विकास कार्यों में प्रशिक्षण देने की अहम् भूमिका निभायें ।

१०. प्रत्येक गांव स्तर की समितियों के कार्यों का समय-समय पर उपरी स्तर की समितियों द्वारा देख-रेख किया जाना चाहिए और बेहतर बनाने का सुझाव दें ।

विचार दल - २

विषय : आजिविका

(क) दलमा में आजिविका के साधन

१. लकड़ी - जलावन, घर बनाने एंव खेती में काम आने वाले समान के लिए ।
२. बांस एंव चीरू घास - झाड़ू बनाने के लिए ।
३. चीहड़ का पत्ता - छाता बनाने के लिए ।
४. केंदु, शाल एंव सिहोड़ का पत्ता - पत्तल बनाने एंव बकरी खाने के लिए ।
५. चीहड़ एंव खड़िया का लता - रस्सी बनाने एंव बांधने के लिए ।
६. चिरौता, करंज, लड़ुआ एंव भालुकी छाल तथा विभिन्न प्रकार की जुड़ी - बूटियां - दवा बनाने के लिए ।
७. मधु, आवंला फल, बेल एंव पियाल (मीठा फल) - खाने के लिए ।
८. पियाल एंव साल का बीज - कलकत्ता भेजा जाता है ।
९. महुआ एंव रानू - शराब एंव हड़िया बनाने के लिए ।
१०. खाम आलू, कुम्हड़ा, कुन्दरू, खखसा, फुरूल (संदना) जामुन, सातू - खाने एंव सब्जी के लिए ।
११. शाल गाछ - धूना बनाया जाता है ।
१२. सेमल का रूआ एंव दतमन - बाजार में बेचे जाते हैं ।
१३. जंगली जानवरों में - मुर्गा, मुर्गी, तीतर, साहील, मैना, सुअर हिरण - मारकर खाते हैं ।
१४. दलमा जंगल - चारागाह के लिए इस्तमाल होता है ।
१५. दलमा के नीचे - कुसर चलाया जाता है ।
१६. दलमा का पानी - पटवन के काम में लाया जाता है ।
१७. दलमा पहाड़ से विभिन्न प्रकार का पत्थर मिलता है ।

(ख) आजिविका के मुख्य समस्यायें

१. वन का कम होना -
   (क) जलावन का कमी
   (ख) चारागाह की कमी
   (ग) जल की कमी
   (घ) पत्ते कम होने से खाद की कमी
२. वन सुरक्षा समिति का नहीं होना
३. अशिक्षा
४. जनसंख्या में वृद्धि
५. बाहरी दवाब
६. गरीबी।मजबुरी
७. लालच

(ग) समाधान

१. खेती का विकास
२. सिचाई की व्यवस्था
३. कुटीर उद्योग का प्रबंध
४. शिक्षा की व्यवस्था।जागरूकता
५. मुर्गी, मधुमक्खी, मछली, सूकर पालन
६. कृषि - वानिकी
७. ऐसा फसल उगाना जिसमें पानी कम लगता हो और उसके पेड़ जलावन के काम में आवे ।
८. गावों में विचार गोष्टी का आयोजन
९. जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा
१०. जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान होने पर सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाना ।

विचार दल - ३

विषय : बाहरी।आन्तरिक दवाब

(क) बाहरी दवाब

विश्व बैंक । अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें
बहु राष्ट्रीय कम्पनियां
नेतागण
ठीकेदार एवं मील मालिक।माफिया
वन अधिनियम
तीर्थ, मेला, पर्यटन

(ख) आन्तरिक दवाब

गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता
शहरीकरण एवं बढ़ती हुयी जनसंख्या
आपसी झगड़े एवं आन्तरिक राजनीति
नशापान।बुरी आदतों का शिकार
वनभूमि अतिक्रमण

न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम

१. वनों की सुरक्षा एवं वन प्राणियों की रक्षा
२. स्वरोजगार की योजनायें
३. आपसी सहयोग एवं सबकी सहभागिता
४. इनको विकास को प्रभावित करना
५. वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्यक्रम
६. जागरूकता।जन आन्दोलन

विचार दल - ४

विषय : सेन्द्रा/हाथी मनुष्य टकराव

(क) सेन्द्रा (वार्षिक आदिवासी शिकार)

१. सेन्द्रा को आदिवासियों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर मानते हुये देखा जाना चाहिए ।

२. टकराव के स्थल पर आपसी सहयोग की आवश्यकता ।

३. संचालन हेतु समन्वय समिति का गठन जिसमें समूह, सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं का भागीदारी हो ।

४. सेन्द्रा के बारे में डोकुमेन्टेशन की आवश्यकता है जैसे - पर्चे, पुस्तकें, रेडियो, टी०वी० आदि ।

५. इसके सम्बन्ध में जन-जागरण अभियान चलाया जाय, जिसमें वन एवं वन्य प्राणी के महत्व एवं नियमावली के बारे में बताया जाय ।

६. दलमा के किसी एक भाग में सेन्द्रा मनायें ।

७. खुला विश्राम स्थल पर पानी, दवा, बिजली, खेलकूद, तीरंदाजी एवं आमोद-प्रमोद के साधन दिये जाय ।

८. शिकार के लिए नियमावली बनायी जाय जो स्पष्ट एवं सहमति के अनुरूप हो । फांसी एवं बन्दूक के प्रयोग पर रोक लगायी जाय ।

९. इस अवसर पर जुटे लोग पंचायत के आधार पर अपने झगड़े एवं अन्य मामले को तय करें । इसके साथ जल, जंगल एवं जमीन से जुड़े मामलों पर सकारात्मक वार्तालाप हो ।

.... १२

१०. शिक्षा, कुटीर उद्योग, ग्राम विकास के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय तथा सामाजिक कुरितियां दूर की जाय ।

११. सेन्द्रा में भाग लेने वालों के लिए एक अलग केन्द्र हो जहां उन्हें सालभर अपने बारे में एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जा सके ।

मनुष्य एवं हाथी का संबंध

(क) हाथी का मनुष्य पर प्रभाव

* आकस्मिक मुठभेड होने पर आक्रमण-छेड़खानी करने पर ।
* फसलों की बरबादी - शिकार, संग्रहित अनाज एवं खाद्य पदार्थ की बरबादी ।
* मकान एवं सम्पत्ति की बरबादी ।
* हाथी के प्रकोप से मानसिक तनाव पैदा होना एवं भय का वातावरण ।

(ख) मनुष्य का हाथी पर प्रभाव

* वन सम्पदा के ह्रास के कारण भोजन एवं आवास स्थान में लगातार कमी ।
* विदेशी प्रजाति के वृक्षों के रोपण से खाद्य सामग्रियों में कमी ।
* प्राकृतिक जंगल में बांस के वनों का ह्रास ।
* ध्वनी से उत्पन्न परेशानियां - पर्यटन, तीर्थयात्री, भारीवाहन, क्रशर, खनन, लकड़हारे एवं शिकारियों के द्वारा की गयी ध्वनी प्रदूषण ।
* जलीय क्षेत्रों का मनुष्य द्वारा अतिक्रमण ।
* जंगल क्षेत्र का संकुचीकरण (Lost of forest corridor)
* स्वर्णरेखा परियोजना के द्वारा हानि ।
* आश्रयणी के आसपास अवैध शराब-चुलाई का धंधा ।
* अवैध शिकार ।

.... १३....

(ग) अवैध शिकार : समस्याएं - समाधान

* ज्यादातर बाहरी व्यक्तियों के द्वारा।स्थानिय सहभागिता न्यूनतम् (धार्मिक भावनाओं के फल स्वरूप) ।
* व्यापारियों के द्वारा लालच दिया जाना ।
* अवैध महुआ शराब बनाने वालों के द्वारा हाथी को जहर देना ।

(घ) हाथी के स्वाभाव की विचित्रता

* समाजिक प्राणी : अकेला हाथी ज्यादातर खतरनाक ।
* बच्चों के साथवाला झुंड ज्यादा आक्रमक ।
* शराबी हाथी ज्यादा नुकसान करता ।
* घायल एवं कमजोर हाथी ज्यादातर संकोची ।

(ङ) बचाव की वर्तमान रणनीति

* दीर्घकालीक व्यवस्था के स्थान पर तात्कालिक अपूर्ण व्यवस्था ।
* भगाने हेतु स्थानीय लोगों के द्वारा मशाल, पटाखे के अलावा
* नगाड़ा बजाना एवं वान से हमला करना ।
* सरकार द्वारा जानवरों को रोकने के लिए बिजली के तार का घेराबंदी ।

(च) सुझाव

* खटालों एवं ग्रामीण इलाकों के पशुओं का वन क्षेत्र में चराई पर रोक ।
* दलमा के प्राकृतिक वनों का बेहतर संरक्षण ।
* वन्य प्राणियों के लिए उपयुक्त पौधा का रोपण एवं संरक्षण ।
* जल का बेहतर प्रबंध ।
* मनुष्य जनित अतिक्रमण को न्यूनतम करना ।
* मुआवजा नीति को मजबूत।सरल बनाना ।

* आश्रयणी क्षेत्र में लगी आग पर काबू ।
* वन विभाग को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना ।

कार्यशाला के अन्तिम चरण में विभिन्न दलों द्वारा दिये गये सुझावों पर पुनः सामुहिक रूप से विचार किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दलमा अभ्यारण्य के अन्तर्गत वन एवं वन्य प्राणियों के सुरक्षा के लिए सभी स्तर से सामुहिक प्रयास जारी रहना चाहिए । इसके लिए ग्रामीण स्तर पर गोष्टियां आयोजन करने का निर्णय लिया गया और यह तय किया गया कि अगली कार्यशाला इसी वर्ष अक्टूबर माह के तीसरा या ४था सप्ताह में पटमदा में किया जाय ।

दलमा अभ्यारण्य पर संयुक्त घोषणा

दलमा अभ्यारण्य में स्थित जंगल व जंगली जानवारों का अस्तित्व कई कारणों से खतरे में है - जमशेदपुर व अन्य बाहरी इलाकों के दवाब, वर्त्तमान फलदायक वृक्षों की रोक कटाई, स्थानीय समुदाय की बढ़ती जरूरतें, अवैध कटाई व शिकार, शराब की भट्टियां, वन विभाग की अपनी कमजोरियां, इत्यादि । इन जंगल व जंगली जीवों को बचाने का हर तरीका अपनाना हम जरूरी समझते हैं । इसके लिए हम ग्रामवासी, वन विभाग के कर्मचारी, तथा गैर - सरकारी संस्थाओं के सदस्य, आपस में लड़ने - झगड़ने के बजाय, एक साथ मिलकर पूरी चेष्ठा करना चाहेंगे ।

इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमने दो दिनों की कार्यशाला, (१२-१३ अगस्त १९९६), जो जमशेदपुर में सम्पन्न हुई, में भाग लिया । इस कार्यशाला का आयोजन दिल्ली से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान व जमशेदपुर के टाटा स्टील रूरल एंड कम्युनिटी सर्विसेज ने किया । परती भूमि विकास समिति इसके प्रयोजक थे ।

यद्यपि हमारे आपस में कई मुद्दों पर अभी भी मतभेद है (पहली बार ही हम सब एक साथ मिलकर वार्तालाप में लगे) निम्न कुछ विंदुओं पर हम सब सहमत हैं :-

(१) दलमा के जंगल व जंगली प्राणियों को भी बचाना जरूरी है व स्थानीय ग्रामवासियों की जरूरतें भी इसी इलाके से पूरी होनी चाहिए ।

(२) बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए जो स्थानीय जनता की जरूरतें से पूरी हो, उन गतिविधियों को बरकरार रखा जाय तथा अन्य जरूरतों के लिए जंगल के बाहर विकल्प ढूढ़े जाएं, जिसमें इको - विकास भी शामिल हो ।

(३) ग्राम-स्तर पर वन सुरक्षा व इको-विकास समीतियों को पूरी मान्यता देने की कार्यवाही उपयुक्त स्तर पर की जाए और जहां समिति नहीं है, वहां उनका गठन किया जाय । इन समितियों की वन प्रबंध में पूरी भागीदारी हो । पूरे अभ्यारण्य के स्तर पर भी एक संयुक्त समिति बनाई जाय जिसमें ग्राम-स्तरीय समितियों के प्रतिनिधि, वन अधिकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के सदस्य शामिल हों । अगर जरूरत पड़े तो उपयुक्त अधिनियम केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बनाया जाय जिससे इन समितियों को औपचारिक मान्यता मिले । १९७२ के वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम में भी उपयुक्त बदलाव लाया जाय, जिससे स्थानीय समुदायों व ग्राम समितियों की भागीदारी पूर्ण हो सके ।

(४) अखंड शिकार या सेन्द्रा के नुकसानदायक तत्वों में वार्तालाप व आपसी समझ से सुधार लाया जाय, जबकि उससे जुड़े सांस्कृतिक व धार्मिक तत्व बरकरार रहे और उसका एक नए नियमानुसार स्वरूप दिया जाए ।

(५) दलमा पर पड़ रहे बाहरी दबावों को रोकने की पूरी कोशिस की जानी चाहिए । जमशेदपुर में जा रही जलाऊ लकड़ी को रोकते वक्त दलमा के ग्रामवासियों को वैकल्पिक रोजगार मिलना चाहिए। गैर-कानूनी शराब की भट्टियां व अवैध लकड़ी की कटाई को रोकने के लिए आवश्यक है कि पुलिस व उत्पाद विभाग ग्रामवासी व वन विभाग के कर्मचारी को पूरी सहायता दें ।

(६) दलमा अभ्यारण्य की पूर्ण प्रबंधन योजना, जो यू० एन० डी० पी० व भारत सरकार के योजना अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक के द्वारा बनाई जा रही है, ग्रामवासी व गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से ही पूरी की जाय । इसके लिए जो जरूरी सहयोग चाहिए, उन्हें उपलब्ध किया जाय ।

(७) हाथी व अन्य वन्यप्राणियों से होने वाली क्षति का मुआवला देने की सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाया जाय ।

(८) इन सब मुद्दों पर आगे चर्चा व क्रिया के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और आगे बढ़ाने के लिए दलमा के गांवों में कार्यशाला आयोजित करेंगे ।

कार्यशाला में भाग लेने वाले संस्थाओं एवं उसके प्रतिनिधियों का नाम

१) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	-	श्री आशीष कोठारी श्री के० किस्टोफार श्री संजय उपाध्याय
२) वन एवं प्रर्यावरण विभाग, बिहार	-	श्री आर० पी० सिंह
३) वन विभाग, बिहार	-	श्री पी० के० सेन श्री संजय श्रीवास्तव श्री ए० कुमार श्री एन० पी० देव श्री काशी बराइक श्री काटुमन दास श्री मंगल सिंह श्री युधिष्ठीर गोराई
४) बिहार शिक्षा परियोजना	-	कु० राधिका बाला सिंह श्री तेरेया किस्कू

.... १७

५) टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जमशेदपुर	-	श्री विराफ मेहता श्री बिरेन किसपोट्टा श्री राबीन सोरेंग श्री डी० पी० सिंह श्री पप्पलाल सिंह श्री होनहार सिंह
६) सामुदायिक विकास विभाग टिस्को, जमशेदपुर	-	श्री एम० एम० मदन श्री अंचल कुमार श्री ए० जी० कैसेल्टन
७) ट्राइबल एन्ड हरिजन वेलफेयर सेल,	-	श्री फागू सोरेन श्रीमती दिलीत कैसल्टन
८) ग्राम विकास केन्द्र, टेल्को	-	श्री एस० ए० रज्क श्री एस० के० लाल
९) टाइगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	-	श्री विश्वनाथ माहतो
१०) एडवेंचर क्लब, गोलमुरी	-	श्री मजहरूल बारी
११) श्रमजीवि युनियन, पटामदा	-	श्री प्रमोद कुमार
१२) श्रमजीवि युनियन, गोड़गोड़ा	-	श्री लम्बोदर मोहतो
१३) श्रमजीवि युनियन, गोवरघुस्सी	-	श्री महेश कुमार
१४) श्रमजीवि युनियन	-	श्री नित्यानंद माहतो श्री मिथिला महाली
१५) दलमा पर्वतीय अंचल समिति, सोकरो	-	श्री अनाथ बंधु सिंह श्री भोलानाथ सिंह

.... १८

१६) आदर्श जन जागरण संघ, बड़ियानी	-	श्री धनपति प्रामाणिक श्री विभिषण प्रामाणिक श्री लक्ष्मण सिंह श्री रामकृष्ण माहतो
१७) सारी वन संरक्षण समिति	-	श्री चन्दन सिंह
१८) सेरवा वन सुरक्षा	-	श्री महेश्वर मुर्मू
१९) छोटानागपुर वन सुरक्षा समिति, कदादा	-	श्री माथीसन सरदार
२०) बी० एफ० डी०	-	श्री देवेन्द्र नायक
२१) सी० एल० डी० आई० पी०	-	श्री हरिहर हसंदा
२२) बी० टी० एम०	-	श्री ए० आर० हसंदा
२३) सी० एच०	-	श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मू श्री श्याम चन्द्र हसंदा
२४) पी० ई० आई० डी० एस०	-	श्री मान सिंह मुर्मू
२५) अन्य	-	श्री किंकर माहतो श्री किशोर कुमार टुडू श्री बादल कुमार टुडू श्री सुदामा चरण मुर्मू श्री एम० के० जामुवार श्री नवीन कु० चौधरी श्री रामनाथ सिंह श्री ललीत मोहन हसंदा श्री ठाकुर प्रसाद मुर्मू श्री श्याम चन्द हसंदा

सेन्द्रा (शिकार पर्व)

पर

एक दिवसीय कार्य शाला

का

प्रतिवेदन

स्थान : ट्राइबल कल्चरल सेन्टर, सोनारी

दिनांक : 31 मई 1996 (शुक्रवार)

समय : पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक

-:: आयोजक ::-

ट्राईबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल,
तथा स्टील एवं ट्राइबल कलचरल सोसाईटी
जमशेदपुर ।

छोटानागपुर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है । यहाँ कई तरह के आदिवासी निवास करते है । सभी आदिवासियों का अपना एक परम्परागत समाज, संस्कृति और धर्म है । इनके अनेक मान्यताएँ है, अनेक विश्वास हैं । ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर सेल, टिस्को, इन आदिवासीयों के बीच में शिक्षा, प्रशिक्षण, वन जागरण आदि कार्यक्रम विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं । सेन्द्रा या शिकार पर्व आदिवासीयों के बीच में खासकर संस्थालों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहा है । इसका अपना सामाजिक, संस्कृतिक महत्व भी है । अनेक प्रयास के बाद ट्राईबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल शिकार पर्व पर पिछले वर्ष से कार्यशाला आयोजन कर रही है । इस वर्ष भी श्री पागु सोरेन जी, एण्डीएम0, ट्राईबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल, टिस्को, के नेतृत्व में ट्राईबल कलचर सेन्टर, सोनारी में 31 मई 1996 को "सेन्द्रा" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ट्राईबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल और टाटा स्टील एवं ट्राईबल कलचरल सोसाईटी, जमशेदपुर के द्वारा हुआ था । कार्यशाला में बहुत विस्तार से चर्चा हुई लेकिन इस प्रतिवेदन में बहुत ही संक्षिप्त में संकलन किया गया है । लगभग 70 सहभागीयों ने इस कार्यशाला में निबन्धित हुये । सेन्द्रा (शिकार पर्व) पर एक छोटी पुस्तिका का आवंटन के पश्चात कार्यशाला में इस विषय वस्तु पर एक महौल तैयार हुआ । यह पुस्तिका कार्यशाला का विवरण के साथ-साथ लघु रूप में सेन्द्रा का प्रारम्भ, आवश्यकता एवं सामाजिक, धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला । जमशेदपुर एक अत्यन्त ही द्रुत गति से बढ़ने - बढ़ने वाला शहर है । इसी शहर में ट्राईबल कलचर सेन्टर, सोनारी में एक छोटा सा प्रांगण है, जहाँ पर प्राचिन संस्कृति, और सोच - विचार, योगदान आदि के बारे में चर्चाएँ होती है ।

दूर - दराज से सहभागीयों के आते ही ट्राईबल कल्चर सेन्टर के इन्चार्ज श्री पी0 मांझी जी ने कार्यशाला का संक्षिप्त परिचय दिया एवं ट्राइबल

क्रमशः- 2

कल्चर सेन्टर के को- ऑडीनेटर श्री शंकर हेम्ब्रम जी ने कार्यशाला का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ।

कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुये श्री फागु सोरेन जी, एस०डी०एम०, ट्राईबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल, ने कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री ए० पी० देव, सहायक वन संरक्षक, वन्य प्राणी आश्रयणी, दलमा एवं सभी सहभागीयों को स्वागत करते हुये कहा कि हर आदमी अपना समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है । संस्कृति अपरिवर्तनशील है दूसरे तरफ सभ्यता और प्राकृतिक के वन, पर्यावरण और संसाधन समय के साथ-साथ बदल भी रहा है और सीमित होते जा रहा है । शिकार पर्व आदिवासीयों के बीच में प्राचीन काल में आवश्यक था । तब से यह संस्कृति के साथ जुड़ा रहा और आज भी यह संस्कृति का एक पहचान रखता है । वनों का ह्रास होता जा रहा है और प्राणीयाँ विलुप्त होते जा रहे हैं । इस प्राकृतिक में वन्य प्राणी पेड़ - पौधा, मानव सभी को जीवित रहना है । एक दूसरे को सहयोग एवं संरक्षण करना है । उस परिस्थिति में एवं आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें एक बार अपनी संस्कृति को देखना पड़ रहा है । हम अपनी संस्कृति को कायम रखते हुये, वन्य प्राणी, पेड़ - पौधे को बचाते हुये शिकार पर्व को किस तरह मनायेंगे कि अपनी संस्कृति को भी त्रुटि न पहुँचे, किसी समाज को चोट न पहुँचे हम उम्मीद करते है कि आज का कार्यशाला में हम सब मिलकर आवश्यक ही एक रास्ता ढूंढ़ निकालेंगें । इन उम्मीदों के साथ ही आज का कार्यशाला का सफलता का कामना करता हूँ ।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री ए० पी० देव जी ने वन्य प्राणी एवं दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के बारे में विस्तार से बताया । वन्य प्राणी आश्रयणी 192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवस्थित है जिसमें 156 वर्ग किलोमीटर

क्रमशः-3

में ही वन्य प्राणीयों को रहने लायक वन है । पिछले कई वर्षों से कई वन्य प्राणी विलुप्त हो चुके हैं - जैसे चितल (Spotted deer) सांभार, पोटरा (Barking deer) आदि । इसके शिवाय कई अन्य पशु भी पानी पीने के लिये बहुत कम आते हैं ।

पशुओं के प्रजनन के लिये निश्चित अनुपात में नर और मादा का होना आवश्यक है । नर का संख्या घट जाने से या मादा का संख्या घट जाने से भी प्रजनन संभव नहीं हो पाता है । फलस्वरूप दिनों दिन पशुओं का संख्या घटते जाता है । शिकार पर्व मनाने के बहाने से लोग पशुओं को बेरहमी से मार डालने का प्रवृत्ति लेकर आते है । कई दिन पहले से लोग फाँसी का फंदा डाल देता है, जाल बिछा देता है, और आग भी लगा देता है । इससे वन्य प्राणी और प्रकृति को बहुत अधिक क्षति होती है । शिकार पर्व आवश्य ही आपका संस्कृति और संवेदना से जुड़ा हुआ है । फिर भी आपलोग एक बार सोच कर देखिये - एक रास्ता निकलेगा ।

शिकार पर्व के आयोजको की ओर से कई सज्जनों ने अपना - अपना विचार दिये । उनलोगों ने अपना - अपना विचार से यह स्पष्ट किया कि - "हमलोग अपना समाज, अपना संस्कृति और अपना धर्म का आदर करते हैं । शिकार पर्व हमलोगों का समाज, संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ है । हमलोग प्राचीन काल से शिकार पर्व मनाते आ रहे हैं । आज भी इस प्रथा को हमलोग बरकरार रखेंगें । शिकार पर्व में शिकार ही नहीं कई प्रकार के रिवाज पूरा किया जाता है । जो शिकारी एक बार शिकार जाता है उसको तीन बार आवश्य जाना पड़ता है । शिकार साहस, शक्ति और पुरूषार्थ का पहचान बनाता है ।

क्रमशः-4

घर में महिलायें सुहाग का सभी चिन्ह उतर कर रख देती है जैसे - मांग से सिन्दुर पोंछ डालती है, हाथ से चुड़ी उतार देती है और शिकार में जीत होने की अराधना करती है । जब पति वापस लौट आता है तब सुहाग का सभी चिन्ह को पुनः धारण करती है । आज हमलोग का शिकार पर्व अनियंत्रित हुआ है । लोग शिकार का नियम को नहीं मानता है और जानवरों को मार डालने का षड्यंत्र करता है - जैसे - फांसी या फंदा डालना, जाल बिछाना, आग लगाना, बन्दुक - रायफल में जाना इत्यादि शिकार का नियम के विरुद्ध है । गर्भ धारण किये हुये जानवरों को भी नहीं मारना है और जिसके साथ छोटे - छोटे बच्चे हैं उसको भी नहीं मारना है । लेकिन आज लोग इन सब नियमों को नहीं मान रहा है । जानवर सबसे अधिक फांसी या फंदा, जाल, बन्दुक - रायफल से मारे जाते है । पहले भी हजारों की संख्या में शिकारी आते थे लेकिन दो या तीन हिरण, एक या दो वर्ग से अधिक कभी भी नहीं मारा गया है । किसी - किसी साल तो एक भी जानवर नहीं मारे जाते है । उन लोगों ने आगे कहा कि हमलोग रिवाज के रूप में शिकार पर्व मनायेंगे । सभी शिकारी एक तरफ से पहाड़ के उपर चढ़ेंगे और नीचे उतरेंगे । इसी दर्मियान में कोई जानवर सामने आ जाये या शिकारियों के उपर हमला किया तो उसे शिकार किये जायेंगे ।

कार्यशाला के एक सहभागी श्री गागराई जी ने आगे कहा कि हमें संस्कृति का रक्षा तो आवश्यक ही करना चाहिए इसके साथ - साथ वन, पेड़ - पौधे, और वन्य प्राणीयों का भी संरक्षण होना चाहिये । हमलोगों का छोटानागपुर वृक्षों से भरा हुआ था और पहाड़ जानवारों से । आज समाप्त हो चुका है । हमलोग के पास धरोहर के रूप में

क्रमशः- 5

कुछ नहीं रह गया है । कुछ विशेषज्ञों के विचारों को सामने रखते हुये उन्होंने कहा कि कोलहान में कई लोगों को उनके गाँव, जमीन, वन और वन सम्पदा से अलग कर दिया गया - जिसे ये लोग इन सब चीज को अपना संस्कृति का अभिन्न अंग के रूप में देखते थे । अलग कर दिये जाने के कारण ये लोग विक्षिप्त होकर मर गये । अगर हमें जीना है तो संस्कृति और प्रकृति से जुड़ कर रहना होगा ।

श्री पंचम जी ने अपना हृदय विदारक घटना को सामने रखते हुये बताया कि - किसी दिन मछली फंसाने वालों के जाल में मछली के बदले एक हंस फंस गया । उसे जाल समेत लाया गया । पंचम जी ने उसे खरीदा । दिन - रात पानी में रहने वाला, तैरने वाला, विचरण करने वाला हंस जाल सहित घर में टांग दिया गया । न जाने उसे कितना कष्ट हो रहा होगा । हंस को जाल से निकाला गया । न हंस ने फड़फड़ाया, न हंस ने चोंच मारा, न ही हंस ने अपने - आप को बचाने के लिये चिल्लाया । तो सिर्फ लोगों को देखता रहा । यह विरिह चिड़िया किसी को कुछ बोल भी नहीं पाया । यह बड़ी दुविधा की बात है - यह बड़ी दुविधा की बात है - क्या इन विरिह प्राणीयों को छोड़ देंगे या मार डालेंगे ।

कार्यशाला का अगला वक्ता प्रो० हांसदा जी ने अपना विचार व्यक्त करते हुये कहा कि आदिवासी संस्कृति को गहन रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए । कई एक बातें सामने आ सकती है । उस पर गहराई से विचार करना चाहिए । शिक्षा, जागृति और वर्त्तालाप का अवसर प्रदान करना चाहिए । संस्कृति परिवर्तन में समय तो लगेगा ही लेकिन जब हमलोग बातचीत

क्रमशः- 6

शुरू किये है तो किसी ने किसी दिन हमलोग उस उद्देश्य तक आवश्यक ही पहुँचेंगे । इस तरह का कार्यशाला और बड़ा रूप में आयोजन होना चाहिए ताकि और लोग इस आन्दोलन से जुड़ सके ।

अनेकों सहभागियों ने अपना - अपना बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किया जैसे - वन कानुन लोगों को वन और वन्य प्राणीयों से जोड़ने में सक्षम रहे, वन विभाग के पदाधिकारी और लोगों के बीच अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की आवश्यकता है, आज की जरूरत को समझने के लिये जागृति का होना अति आवश्यकता है, इन सारी विचारों को लोगों के पास कैसे पहुँचाया जाय ।

1.30 बजे अपराह्न भोजन अवकाश के पश्चात 2.30 बजे अपराह्न से द्वितीय सत्र का शुभारम्भ हुआ ।

द्वितीय सत्र में 6: छोटे समुहों में 6: महत्वपूर्ण विन्दुओं पर चर्चा हुई । चर्चा के बाद समुहों के विचारों का प्रस्तुति और उसका सार तत्व का विश्लेषण किया गया ।

<u>छोटे समुहों में चर्चा का विषय निम्न प्रकार रहा :-</u>

(1) आज के परिप्रेक्ष्य में अपनी परम्परा एवं संस्कृति को कायम रखते हुये शिकार पर्व कैसे मनाएँ ?

(2) आज के युग में प्राणीयों एवं पर्यावरण की सुरक्षा करते हुये सेंदरा कैसे करें ?

(3) हमारे दृढ़ एकता को दर्शाते हुये शिकार पर्व के नियमों का पालन कैसे करें ?

क्रमशः 7

§4§ सेंदरा आदिवासी तक ही सीमित रहें, गैर आदिवासीयों को उसमें जाने से कैसे रोका जाय ।

§5§ सेन्दरा प्रिय आदिवासी एवं दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के प्रशासकों से सम्बन्ध कैसे बनाया जाय ।

§6§ शिकार दलमा के एक सीमित क्षेत्र में ही रखा जाय ताकि मुख्य जंगल के जानवरों का बचाव हो सके ।

छोटे समूहों का चर्चाओं का प्रस्तुति करने के बाद इसका मुख्य बातों का संकलन किया गया । यहां संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा है -

§1§ परम्परागत और संस्कृति के अनुसार शिकार पर्व का जो नियम है, वह सभी शिकारियों को नहीं मालुम है - जिससे अनेकों जानवर मारे जाते है । इसलिये शिकार पर्व का नियम को संग्रह किया जाय । और सभी शिकारियों को बताया जाय ।

§2§ शिकार के सुतान टांडी या गिपितिन टांडी को सुरक्षित एवं विकसित किया जाय ताकि सभी शिकारी एक जगह एकत्रित हो सके और शिकार के लिये प्रस्थान करें । एक जगह एकत्रित होने से हमारी दृढ़ता और एकता भी बनेगा और अनुशासन भी ।

§3§ सुतान टांडी में शिकारियों का बैठक, सेमिनार, सम्मेलन एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रम §धोगेड़ नृत्य, सिंगराय § इत्यादि का आयोजन किया जाय - जहां पर शिकार एवं संस्कृति से सम्बन्धित अनेकों बाते किया जा सकता है । इस कार्यक्रम में वन विभाग

क्रमशः-8

और वन्य प्राणी आश्रयणी के प्रशासक भी शामिल हों । ताकि एक दूसरे का विचार और सुझाव जान सके । इससे आपस में अच्छा सम्बन्ध भी बनेगा ।

§4§ शिकार के नियम के विरुद्ध जैसे - फंदा डालना, जाल बिछाना, आग लगाना, बन्दुक - रायफल में जाना इत्यादि को सख्त मना किया जाय ।

§5§ फंदा डालकर, जाल बिछाकर, आग लगाकर, बन्दुक और रायफल से गोली मारकर लगभग प्रत्येक सप्ताह चोरी छिपे शिकार किये जाते हैं । इस तरह का शिकार को हर हालत में रोकना होगा तभी वन्य प्राणी संरक्षित हो सकता है ।

§6§ भारतीय वन अधिनियम में इतना लचीलापन होना चाहिये कि जनता वन और वन्य प्राणीयों को अपना मान सके । विरोधाभास अधिक होने से आक्रोस उत्पन्न होता है ।

§7§ शिकारी लोग शिकार के लिये हमेशा गोयता बनाकर आता है । एक गोयता में 25-30 अधिक से अधिक 150 तक शिकारी होता है । प्रत्येक गोयता में एक दलपति होता है । उसी के निर्देशानुसार शिकार होता है । शिकार के पूर्व दिन दलपतियों का बैठक किया जाय और उनसे आग्रह किया जाय कि बाहरी लोगों को शिकार में नहीं मिलायें ।

§8§ सभी पहाड़ों में पहाड़ का कुछ हिस्सा होता है, वह खास देवी - देवताओं का जगह माना जाता है । शिकारी लोग उस जगह में शिकार करने नहीं जाता है । शिकारियों का विश्वास है कि वहां जाने से कोई शिकारी वापस नहीं लौट पायेगा । दलमा पहाड़ में दुवारसिनी पहाड़ में शिकारी लोग शिकार करने नहीं जाता है ।

क्रमशः 9

§9§ शिक्षा, जागृति और वार्तालाप का अवसर दिया जाना चाहिये। आदिवासियों के मानकी - मुण्डा प्रथा, माझी - पटगाना प्रथा, परगाना पैसी, लो बीर पैसी आदि आदिवासी समाज में सर्वोच्च स्थान रखता है। इन प्रथाओं को और इन पैसीयों को सामने आने का आग्रह किया जाय।

छोटे समुहों के प्रस्तुती के पश्चात शिकार पर्व के पूजारी श्री कुंजन गुर्ति जी ने पूजा पद्धति और इसके महत्व के बारे में बताया। शिकार पर्व के गीरा मांझी श्री मनोहर हेम्ब्रोम जी ने शिकार के पारम्परिक प्रथा और कहानी बताते हुये कहा कि प्राचीन काल में मानगाड़ मांझी के नेतृत्व में शिकार हुआ करता था। मानगाड़ मांझी पुरे देश के सभी शिकारियों का शिकारीपति माने जाते थे। उन्हीं के आगुवाही से शिकार प्रारम्भ हुआ। उस समय घना जंगल हुआ करता था। हिंसक पशुओं का भय हमेशा रहता था। लोगों का रहना मुश्किल था। पौराणिक कथा बताते हुये उन्होंने कहा कि एक बार राम जी की पत्नी सीता स्वर्ण हिरण को देखकर मुग्ध हो गये और राम जी को हिरण पकड़ने के लिये भेज दिये और सीता जी का अपहरण हो गया। उस समय सीता जी ये हिरण को कहा तुम्हारे चलते आज हमको जिस तरह आंख से आंसु बहाना पड़ रहा है तुमको भी युग- युग आंसु बहाना पड़ेगा। हिरण ने भी जवाब दिया मैं शिकारी के तीर से जरूर मारा जाऊंगा लेकिन हमारा शरीर से खुन का जितना बुंद इस जमीन पर टपकेगा हमारा उतना ही वंश बढ़ेगा। इसलिये इस पृथ्वी से हमारा कभी नाश नही होगा। गीरा मांझी ने आगे कहा कि शिकार पर्व के चलते दलमा पहाड़ में हिरण विलुप्त नहीं हुआ है। आजकल प्रत्येक सप्ताह चार-पाँच या दस व्यक्ति

क्रमश-10

का ग्रुप बना कर चारों ओर फंदा डालकर शिकार किया जाता है । चोरी छिपे बन्दुक से साल भर शिकार किया जाता है । फांसी या फंदा से सबसे अधिक हिरण मारा गया है । जब तक इस तरह का शिकार नहीं रोका जायेगा जानवर समाप्त ही होगे । उन्होने अपना अनुभव बताते हुये कहा कि पहले भी शिकार पर्व होता था लेकिन किसी भी वर्ष दो या तीन से अधिक जानवर नहीं मारा गया है । आज जंगल के जंगल उजड़ दिये गये है । पहले पहाड़ इतना घना था कि जंगल के भीतर से कोई भी दोपहर का सुर्य को नहीं देख सकता है । आज जंगल में वृक्ष भी नहीं है जानवर भी नहीं है । आखिर ये सब किसने किया ।

अंत में श्री गगराई जी ने आज के कार्यशाला का अन्तिम विश्लेषण किये और श्रीमती डी0 कैसलटन जी, डिप्टी मैनेजर, ट्राईबल एण्ड हरिजन वेलफेयर सेल के धन्यवाद ज्ञापन कर सभा का समाप्ति किया गया ।

xxxx0xxxx

FROM DEGRADATION TO SUSTAINABILITY - KUDADA SHOWS THE WAY*

(Village protection committee(VPC) emerged as a result of the efforts of the local tribals of Karandih Panchayat of the district of East Singhbhum in South Bihar. It is a place well connected by road and rail and barely 10 K.M. from Tatanager railway station on S.E.Railways. There was no inspiration from outside, no support from any agency and equally no guidence from any social worker. The sons of the soil were led by a natural Urge to fight and struggle collectively for their common cultural home - the VAN around them. In this endeavours, they have been guided by their love for nature, their love for environment and their love for other living beings. The present case study presents a case of developmental action of the tribals by the tribals and for the tribals in truee democratic spirit.).

On a hot summer morning in 1971, Nonaram Mardi, a resident of Bhitardari village and his friends were hunting in Marang Buru hills, 15 kilometers from Jamshedpur Steel City. Suddenly Noraram saw a monkey with its baby tucked under its stomach jumping from rock to rock, desperately seeking shade. Its efforts came to nought. The monkey rested on a rock gasping, wailing. Noraram wondered trees were few and far between. And he was suddenly gripped by fear and anxiety. Noraram thought it is the same fate awaiting me ?. He also realised that a fast depleting forest cover would take a heavy toll of the neighbouring villages.

---

* Mr.R.P.Singh, IFS, Deputy Conservator Of Forests, Bihar.

(Contd....P/-2)

Indiscriminate fellings of trees, the handiwork of his own fellow villagers and few outsiders offcourse had reduced the forest to virtually barren land. With this thought, he come back to the village with a heavy sense of guilt. What can they do to set things right ?

Matheson Sardar, a pioneer along with Nararam Mardi and a few like minded individuals, Sangram Murmu, Diku Majhi, Bhagwat Tudu, Lamba Guriya, Kanda Soren, Fatch Murmu - Started thinking of ways to restore the forests to its pristine glory, - with trees, rivers, fruits, flowers, and wildlife. The prime concern was the vast forest area, stretching over nearly 35 Sq.K.m., under the Karandih panchayat. Their thinking beyond a limit with practical efforts bore fruit with the birth of the Van Suraksha Samiti (VSS) in 1972. Roughly 15 years ahead of what our policy planner brought it in our National Forest Policy of 1988.

Soon these tribal people proved that they were at par with Rousseauo, Wordsworth (the advocates of back to nature) or Sunderlal Bahuguna and Medha Patkar. Today 22 year after the Samiti with the cooperation of the people of nearly 35 villages, took charge the forests around Kudada, Garadih, Talsa and Bhitardari look lush green with plenty of Wild life.

Box - 1.

DISCOVERY AFTER DECADES

Barely a week after assuming new offices of territorial division at Jamshedpur in May 1991, the Divisional Forest Officer received a registered envelope singed by some 20 local tribals along with an application and a pamplet. The message was clear, inspite of their best efforts the concerned Range Officer have not

Visited them for the last ten years to see their efforts and result of protecting their forests. They challenged the Divisional Forest Officer to come and locate a single illicit felled stump of trees.

A visibly shaken and thrilled, Divisional Forest Officer wrote back a registered letter extending all his cooperation and guidence. He visited the area after 5 days and was shocked to note that how the efforts of these sons of the soil has never been recognised and properly guided. And here comes the forest department with its full available resources to back these people in their efforts. Thus a new era of cooperation was initiated.

No Government supports. No political backing, the VSS central committee started catering to the needs of 6000 people of 35 villages. On a hot summer afternoon in Bhitardari, Noraram Mardi, a still young enthuasist now a seasoned homeopath doctor and Methisan Sardar a TISCO employee were recounting the tale of VSS to a group of XLRI graduates.

Young Ledam Mardi, too inherited the same spirit rom his father Noram Mardi. A student of BSC of cooperative college, atanagar, Ledam reported that the forests are again a happy hunting round for bears, wolves, elephants, snakes, porcupines and of course a trayed Royal Bengal Tiger. Ledem was right-once I found pugmarks of he carnivones near a waterhole called Semal Jharna, in the midst of e Bhitardari forest near Kududa. We came across hundreds of hanuman d the famous Onida's large chameleon. A parcupine's quill was also prize catch.

Converting a semi-arid region to a dense forest mus be a tale of 'blood, toil, tears and sweat'. Mathesan Sardar of Kudada central committee and the moving spirit behind the movement, resting on a mound near a soapstone Quarry in Talsa Village gave the details. "We began counselling villagers on the ills of tree felling. We said as the trees, animals, rivers are our assets, we should not destroy or pollut them. We held meetings in the adjoining villages by rotation. The youngsters were very enthusiastic. They played a leading role in preventing big game hunting and organised tree felling."

Karandih panchayat, which is one of the important panchayat of Jamshedpur city where local B.D.O. office is situated. It is also equally rich in forest cover though near the urban habitation, it comprises 35 villages, prominent among these are Turandih, Kudada, Talsa, Goradih, Bhuridih and Bhitardari, Bhitardari forest is an case study and it is as beautiful as any of the part of Himachal Pradesh or Kashmir.

In Bhitardari, there is a never ending canopy of sal trees, which often blocks one's view of the sky. The forest is rich in mahua, ashan, arjun, kendu, amla, amaltas, chirauji and ber. Weapons here are mainly used as precenctionary measures and not for big-game hunting. At one place, the stepmotherly attitude of the sun resulted in verdant sal and semul trees on one side and dry, mixed trees on the other aspect.

Seven hills - Talsa, Pathra, Hatua, Dhoba, Hukam, Marang buru and Chawnra act as guardian angels to the forest. Forests and valleys alternated with each other. Though the villagers requested us to proceed further to have a glimpse of the waterhole at Semal, Dhulki and Tododa, we thought it wise not to disturb, not to taint the forest and its treasure with the urban touch.

During the initial stages of the VSS movement, the Government's role was sceptical, said Matheson Sardar. "After 10 years we had to seek Government support fer two reasons- paucity of funds and to give a permanent shape to our movements."

Despite the best efforts by the patrol party, encroachers and poachers,

Box - 2.

GOVERNMENT STEPS IN

The forest department ,Bihar has pledged assistance and as a result the movement is spreding to other areas in Bihar. The villagers shower accolades on the present National forest policy of 1988 through which establishment of village protection and management samities Scheme was launched. One third of the proceeds from forest harvesting will rest with villagers, another one third will go for developing the forest areas and the rest to the state exchequer. As such two third of economic benefits now goes to people who earlier where denied all.

The FD plans to arrange exchange programmes between these residents and that of Bankura and midnapur in West Bengal who are also engaged in similiar projects and shown positive results. A beaming Range Officer C.D.Singh said " not only have the ex isting forest cover been protected, but even the efforts to plant trees on barren hill tops have been crowned with success."

Young member like Lethem Mardi and Sh

> Chanru Hansda under the aegis of the movement have even tried to force a change in the adivasi lifestyle. Bhathikhanas (liquor dens) have been destroyed and mahua and handiya addicts have been threatened with social boycott.

Women in particular, from villages outside the VSS stronghold come to Turamdih and Talsa, cut wood, light forest fires. Any attempt to nabthem is counter productive as these women file false charges of rape and molestation against the member of the samity. Only in case of dire necessity, for firewood and plough, the members collect fallen and decaying twigs and dried leaves.

Despite all odds, the movements has been a success. Braving water scarcity, inadequate education facilities, power and transport problems, the people have stood fir m in their resolve to protect the forests, their friend in need. Not all are qualified and educated like Noraram, Matheson and Lathem. Villagers of Turamdih project brought by uranium corporation of India. There fears are two fold - displacement and environmental pollution.

They claim " the forest belongs to us." Rightfully so, for starting from scrach they have been blessed with mother Natures bounty for nearly two decades. They will fight tooth and nail to keep the nightmare of desolation away.

There are apprehensions that the 'good work' may not continue . An old forest contractor of Jamshedpur dangling hopes of electric connections and employment , has, with the connivance of some villagers of neighbouring Bahardari set up a stone crusher against the wishes of many people in the area. The VSS member of Bhitardari contend, digging a mine or quarry always sounds the death knell for forest wealth.

Box - 3.

A PERFECT BALANCE BETWEEN MAN AND NATURE.

Kudada experiment is an example of perfect balance between man and his environment. The VSS efforts has bellied the misconception that environment cannot be protected with growing human population. The population has become almost double during the last 40 years. The per Sq.Km. density of population in these area has been 1951 (126),1961(152), 1971(181),1981(213) and 1991(255). Population density shown in brackets.

These people had been taking advantages of firewood,small timbers,agricultural tool,fruits, fodders,herbal medicines and different MFP produce free of cost from the neibhouring forests even then the existing forest has got full density. The secret formula is if you need one pole you should takeout only one, VSS volunteers keep strict vigil over the exploitation from the forests. They have not con ived with the local contractors as far as their environment is concerned and believe in the philosphy of mutual co-existance leading to sustainable development.

What messages does Kudoda convey ? Perhaps the e in loud and clear. Forests can be protected by the concious people. The government agencies should help them by entering as a r with adequate resources. Any effort at legitimatizing Govt.'s elming control may not succeed. It is evident from this experiment overnment must try to facilitate the full involvement of the

tribals in the protection and development of the forest with adequate back up support to conduct its programmes.

Awareness building with regards to scientific management should be consistently pursued with greater emphasis over indigenous method and technology which should not come in exaam con-flict with the values and aspirations of the tribal community so dear totHem. Any effort at destabilising their position by bringing in high profile industries and mega projects would induce a fear of displacement and disintegration from the roots. This is bound to spell disater given their love for nature and tradition.

Kudada and Bhitardari examples are significant from other angles too. The poor tribals have shown that clamouring for the green house effect and depletion of ozone layer is superfluous for them. They have experienced the relationship of man and nature with the sole objective of concern to keep this relationship intact.The Govern-ment must take out the essence and spread it across the nation . Methian Sardar and Noonaram Mardi deserve a good pat for whatever initiatives they have taken.

ABOUT THE AUTHOR

Ram Pratap Singh, a member of Indian Forest Service is presently Deputy Conservator of Forests,Dhalbhum Division,Jamshedpur. Post graduate in Zoology with entamology as special paper,he had been working with the tribals of Singhbhum district in Bihar for more than a decade. A keen social activists, at present he is engaged in organising village Forest Protection and management committees with the help of Forest Department and local NGO'S in Bihar. A fir m believer in the concept of JFM as envisages in the National Forest Plicy of 1988, he had been working with local institu-tions to help this concept for betterment of Environment.

Recently he had been invited by FAO of United Nations to participate in a Regional workshop on particicpactory appro-aches to Management of Community Forestry Extension Programmes in Asia being held at Bangkok from 21-25 Feb.'1994.

Shramajivi Unnayan

Ref. No. एस0यू0/एक्सटेंशन/जे0एफ0एम0/26/96 Dtd. 9/7/96

आदरणीय आशिश कोठारी जी,

सादर प्रणाम,

मैं आपको 7 जून 1996 को हुए हमारे कार्यशाला का प्रतिवेदन भेज रहा हूँ। अगर आप इस प्रतिवेदन में कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिएगा। 20/6/96 को मैं क्रिस्टोफर के साथ Buffer Zone में बने समितियों के पास गया। इन समितियों से बहुत सारी सूचनाएँ निकल कर आयी। जैसे - अधूरे स्वर्ण रेखा परियोजनाओं से लोगों को असुविधाएँ, लकड़ी का कटना, लोगों का जंगलों के प्रति बनते नये दृष्टिकोण इत्यादि। आशा है आगामी कार्यशाला में इस पर विस्तृत चर्चा होगी।

आपका

प्रमोद

प्रमोद कुमार

संयुक्त वन प्रबन्धन प्रभारी

Registered under Societies Registration Act XXI of 1860 Address : Gobarghusi, Via : Patamda, Dist. : East Singhbhum, Bihar : 832105 * Ph.— 3 43 Patamda.

" संयुक्त वन प्रबन्धन एवं संरक्षण"
पर
एक दिवसीय कार्यशाला

विषय :- §1§ समितियो का स्थायित्व,
§2§ रैयती जमीन से फलदार वृक्ष का कटना ।

आयोजक :- "श्रमजीवी उन्नयन" गोबरधुसी, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम।

प्रायोजक :- एस0पी0डब्ल्यू0डी0, 1-कोपर निकस मार्ग, नई दिल्ली ।

स्थान :- 'रिहा' प्रांगण, श्रमजीवी उन्नयन, गोबरधुसी.

दिनांक :- 7 जून 1996.

-----0----------

प्रतिवेदन :-

7 जून 1996 को हमलोगों ने 'संयुक्त वन प्रबन्धन' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में हमलोगो ने यहाँ के ज्वंलत मुद्दों को उठाया। पहला मुद्दा था समितियो के स्थायित्व का। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमलोग जिन समितियों को लेकर कार्य कर रहे हैं उनमें आधे से अधिक सैंचुरी (Sanctuary) के क्षेत्र में पड़ते हैं। जिसमें सामान्य नियमों पर सरकारी निबन्धन सम्भव नही है। समितियों की मान्यता को लेकर यहाँ गाँवो में काफी चिन्ताऐं है।

दूसरा मुद्दा था रैयती जमीन से फलदार वृक्षो की कटाई जिसमें यहाँ की समितियाँ मूक दर्शक बन गयी हैं। रैयती जमीन के नाम पर बिहार सरकार यहाँ तक की Sanctuary सैंचुरी से भी कटाई चल रही है।

वर्षा के कारण हमलोगों की कार्यशाला कुछ विलम्ब से शुरू हुई। हमलोगो का सौभाग्य था कि 'भारतीय लोक प्रबन्धन' के श्री आशिश कोठारी, संजय उपाध्याय एवं क्रिश्टोफर ने इस कार्यशाला में भाग लेने आये और वन रक्षा समितियों के लोगों से बातचीत की। वे सैंचुरी क्षेत्र के विषय में लोगों से जानना चाह रहे थे कि इस क्षेत्र में रह कर उनकी समस्याऐं क्या-क्या हैं? या आती है? उन समस्याओं पर लोगों (स्थानीय) की क्या सोच है? इन लोगों ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी समस्याओं को रखा। साथ ही साथ वे इस समूह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी पूछे। पूरी प्रक्रिया में हमारे सचिव ने उन लोगों की मदद की जिससे की दोनों पक्षों में अच्छी समझदारी बन सके। साथ ही साथ लोगों को उनके वास्तविक समस्याओं को बताने का आग्रह किया जिससे की उनको समस्या प्रत्येक स्तर पर ठीक से उठायी जा सके। समुह ग्रामिणों के आय वृद्धि कार्यक्रम एवं शिकार पर्व के विषय में जानने के लिए उत्सुक लग रहे थे।

इसके बाद मैने बैठक के मुद्दो पर प्रकाश डाला। स्थायित्व के मसले पर मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि जो समिति सैंचुरी क्षेत्र में पड़ती है उसका वन विभाग से निबन्धन नहीं हो सकता है। उनके लिए सरकार, उनके विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता के रूप में दिलाने का प्रयास कर हो है। यह कार्यक्रम जैविक विकास (Eco-development) का हिस्सा है। वर्तमान में जो समितियाँ सैंचुरी क्षेत्र में गठित हो गई है उसको मान्यता के विषय में कार्यशाला में कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया ।

दस फलदार वृक्षो पर तुरंत कार्यवाही करने के प्रति सभी ने ईच्छा जाहिर की।

जिन्हे इस कार्यशाला में भागलेना था वे अबतक पहुँच चुके थे। इसके बाद हमलोगों ने अपना-अपना परिचय कार्यशाला में दिया।

परिचय के बाद मैंने कार्यशाला में सोहन सिंह को बोलने का आग्रह किया जो एक वर्ष से वन रक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्त्ता के हिसाब से कार्य कर रहे हैं।

उसने निम्नलिखित समस्याओं का जिक्र किया,

§1§ उन्हें §ग्रामवासियों के§ वन रक्षा के संदर्भ में सरकारी नियमों पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि जब वन काटने लायक हो जायेंगे तो वन विभाग के लोग इसे काट कर ले जायेंगें हम कुछ नहीं कर पायेंगें।

§2§ वे वन को लेकर बैठक नहीं करना चाहते है।

§3§ वे अगर वन विभाग/संस्था के लोग जाते है तो बैठक में भाग लेते हैं।

§4§ अगर उन्हें कोई बीज दिया जाए तो वे वन रक्षा की बैठकों में बैठ सकते हैं।

स्पष्ट है कि ग्रामवासी सैंचुरी के नियम कानून के विषय में जान चूके हैं। अब वे केवल अपनी आवश्यकता के लिए वनों को रक्षा कर रहे हैं।

मैंने लोगों की भावनाओं को देखते हुए सैंचुरी के नियम कानून को और स्पष्ट करने का प्रयास किया। जिसकी चर्चा प्रारम्भ सत्र में ही शुरू हो चुकी थी। स्पष्ट करते हुए कहा कि टेरिटोरियल §Territorial§ क्षेत्र में तो कोई समस्या नहीं है। मगर सैंचुरी क्षेत्र में वन समितियों को उसका अधिकार नहीं मिल पाया है। उसके अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा ।

इसके बाद विभिन्न समितियों को मैंने स्वत: मूल्यांकन हेतू एक-एक फार्म दिया। जि फार्म के माध्यम से उनकी अपनी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती। इसके बाद भोज के लिए प्रथम सत्र का सत्रावसान किया गया ।

श्री आशिष कोठारी एवम् उनके समूह द्वारा ग्रामिणों से पूछे गए प्रश्न :-

---

- दलमा के विषय में आप क्या जानते हो?
- लोग अगर लकड़ी नही काटें तो उनका पेट कैसे चलेगा?
- क्या आप सभी लोग जंगल से लकड़ी काट कर पेट चलाते हैं या कुछ लोग ?
- जो लोग जंगल से लकड़ी काटते हैं, क्या उनके पास जमीन नहीं हैं?
- इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन-कौन जाती के लोग निवास करते हैं?
- आप लोग सैंचुरी (Sanctuary) एवं टेरिटोरियल (Territorial) क्षेत्र के विषय में स्पष्ट हैं?
- आपके सैंचुरी (Sanctuary) के अंतर्गत कितने गॉव आते हैं?
- यहॉ की जन संख्या कितनी है?
- यहॉ (दलमा) पर आप शिकार किस प्रकार से करते हैं?
- कानूनी केस किया जाता है कि नहीं ?
- जंगल के संदर्भ में क्या कभी मारपीट भी होती है?
- झगड़े का निपटारा कैसे किया जाता हैं?
- जंगल को बचाने का विकल्प क्या हैं?

ग्रामीणों द्वारा दिया गया उत्तर :-

- मान्यता को स्पष्ट किया जाए
- विकास की प्रक्रिया को तेज किया जाए,
- समुचित सिंचाई की व्यवस्था की जाए (स्थान विशेष के अनुसार)
- वन विभाग से सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जाए,
- समस्याओं को नजर अंदाज नहीं किया जाए,
- वन विभाग ग्रामिणों को धमकी ना देकर इस कार्य (जंगल कटाई) से जुड़े पेशेवर लोगों के ऊपर अंकुश लगाए ।

गाँव में अभी करीब 50% लोग सीधे जंगल की लकड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए है। अगर कुछ समुचित व्यवस्था की जाए तो इसे कम कर के 5% पर लाया जा सकता है। जो जो आह्वान अपना कार्य करेगें।

शिकार के विषय में लोग स्पष्ट बोलने पर हिचकिचा रहे थे। इस प्रश्नोत्तर में मुख्य रूप से मिथिलेश महाली, सोहन सिंह और नागेन मुर्मू ने भाग लिया ।

द्वितीय सत्र में प्रथम वक्ता के रूप में श्री प्रमोद जी ने संयुक्त वन प्रबन्धन के सन्दर्भ में अपनी संस्था श्रमजीवी उन्नयन, के सोच को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि अभी तक वे लोग केवल जागरूकता का कार्य कर रहे थे। जागरूकता के लिए उनलोगों ने बैठको, कार्यशालाओं एवं प्रकाशनों का सहारा लिया। लोगों की अच्छी समझ को बढ़ाने के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन पर गाँवों में प्रशिक्षण भी दिया।

दूसरे भाग के लिए संस्था का सोच है इस कार्य में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना तथा लोगों के साथ मिल बैठ कर सुक्ष्म स्तरीय योजना प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में तैयार करना ।

इस कार्यक्रम के अन्तिम भाग में बनायी गयी योजनाओं के तहत लोगों की कार्य कुशलता को बढ़ाना और समान कार्य वालों के लिए सहकारिती समिति {Co-operative So
का निर्माण करना ।

प्रमोद ने दूसरे वक्ता के रूप में प्रवीर को निमंत्रण दिया ।

प्रवीर का कहना था कि जंगल हमारे जीवन का आधार है पहले जब जंगल भरा हुआ थ उस समय मनुष्य को बहुत सारे चीज जंगल से ही मिल जाते थे , जैसे:- फल-मूल, लकड़ी, दवादारू, पशु-पक्षी से मांस आदि ।

उन्होंने जड़ी बुटी दवाओं पर जोर देते हुए कहा कि पहले जब डाक्टर नहीं था बाजा में अंग्रेजी दवा नहीं था तो कम लोग बिना दवा के मर जाते थे, नहीं? उस समय लो सारे दवा जंगल से ही लाते थे उन्हे मालूम था कौन सा पत्ता, जड़ {सिकड़} छिलका, फल के रस के कौन सी बीमारी दूर होगी ।

दूसरी तरफ आप देखेंगे जंगली जानवर का डाक्टर नहीं है, जंगली जानवर भी जानते है सा पता, घास फल खाने से कौन सी बीमारी दूर होगी। लेकिन जो पशु घर में प है उसके लिए पशु डाक्टर लाते हैं।

तो इस तरह इसे सिर्फ जानने की जरूरत है और व्यवहार में लाने को।

जैसे-जैसे जंगल खत्म होते गये लोग जंगल के दवा दारू को भूलते गये और अंग्रेजी दवाओं का शिकार होते गये लेकिन इससे हमें नुकसान छोड़कर कोई लाभ नहीं है। अंग्रेजी दवा से हमें पैसा भी खर्चा होता है और दूसरे पर निर्भर भी रहना पड़ता है।

आज अगर हम जंगल की परम्परागत दवा का इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें जंगल को भी बचाना जरूरी है। जंगल नहीं रहने पर हमें दवा-दारू नहीं मिलेगी। अतः जंगल को बचाना अर्थात हमारे जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य है। अतः आज के युवा पीढ़ी के लिए इसके अस्तित्व को बचाकर रखना सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। जंगली दवा-दारू को पहचानने का उपाय हम गाँव के बूढ़े लोगों से मिले उनसे सीखें। श्रमजीवी में भी समय-समय पर इसकी प्रशिक्षण दी जाती है, जिसे सीखकर आपलोग लाभ उठा सकते है।

प्रवीर जी ने कुछ औषधि के गाछ भी बताये -- संचरी, बेल, आँवला, सर्पगंधा, कुरछी, त्रिफला आदि।

इसके बाद श्री प्रमोद जी ने आवाज के सह-सम्पादक श्री केदार नाथ महतो जी को अपना विचार सहभागियों के बीच रखने के लिए आमंत्रित किये।

महतो जी का कहना था कि सरकार या वन-विभाग जंगल को पैसा कमाने (Revenue की दृष्टि से / व्यवसायिक नजर (Commercial View से देखते हैं। सरकार का कहना है कि हमको जंगल से कितना राजस्व आ रहा है। वन विभाग भी जब नीमाली करती है तो पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उनको (Revenue राजस्व से मतलब है, जिसका गलत फायदा ठेकेदार लोग उठाते हैं। बीच में गाँव वाले और जंगली जानवर मरते है जो जंगल को अपने जीने का आधार मानते हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सारा प्राणी-जात, जानवर से लेकर इन्सान तक प्रभावित होता है।

दूसरी तरफ सरकार का जंगल के प्रति व्यावसायिक दृष्टि-कोण (Commercial view इस बात का सबूत है कि वे Eucalyptus/Acacia plantation के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ये वृक्ष न ग्रामीण के खेती के लिए/ ना जानवर-पक्षी के लिए और ना ही पर्यावरण के लिए ही फायदे मन्द है।

जिस गाछ से ना फल मिलता है ना छाँव मिलता है, ना कोई पक्षी घोंसला बना सकता है और ना कोई जंगली जानवर ही अपना जान बचाने के लिए भोजन कर सकता है है। जहाँ ये गाछ होगा वहाँ के जमीन को नष्ट कर देता है तो इस प्रकार सरकार का दृष्टिकोण हमेशा जन विरोधी रही जिसका परिणाम आज सरकार को भी भोगना पड़ रहा है।

अब चलें जंगल के प्रति गाँव के लोगों का क्या दृष्टिकोण है वो देखें। इनका कहना था कि जब बहुत पहले सारे जमीन जंगल से घिरे हुए थे तो खेती बहुत कम जगह पर होती थी और उस समय लोग ज्यादातर अपना भोजन जंगल से प्राप्त करते थे -- जैसे - फल, मूल, मांश, मधु का शिकार होता था, जिससे जंगल के किनारे की जनता सुखी थी।

दूसरी तरफ ऋषी मुणियों का कहना है कि आदिवासियों का गोत्र गाछ के नाम पर होता है वे उस गाछ को पूजा करते हैं और उन्हें काटते नहीं हैं। उन लोगों का गाछ के प्रति भक्तिभावना थी। वे जो औषधि गाछ को जानते थे वे काटते नहीं थे, लेकिन जब नीलामी (Aucation) होती है वन विभाग (सरकार) तो कोई वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं भक्ति भी नहीं करते हैं। ठीकेदार तो निर्मम होते, उन्हें पैसों से मतलब है तो वैसे भी गाछ काट देते हैं। पहले गाँव वाले अपने जरूरत के आधार पर ही गाछ काटते थे लेकिन सब सारा जंगल (Aucation) से समाप्त हो गया तो वर्षा भी घट गया जंगल भी घट गया। गाँव वालों को ना खेती मिला ना जंगल से फल, मूल, मांश मिला तो वे भी जान बचाने के लिए झाड़ी को काटने लगे। इससे जाहिर होता है कि जंगल को साफ करने में जनजीवन को अस्त-व्यस्त करने में सरकार का ज्यादा हाथ है।

अभी तो फलदार वृक्ष को कटाई हो रही है इसमें भी सरकार जब 10 फलदार गाछ को काटने का कानून तभी ठीकेदार लोगों को हिम्मत हुआ इन गाछों को कटवाने का। ठीकेदार पैसे का लोभ दिखाकर फलदार वृक्ष धड़ाधड़ काटने लगे, भूखे जनता थोड़ी दिन की सुख के लिए बेचने लगे। वन विभाग का हाथ इसे रोकने के लिए बँधा हुआ है। सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि वन विभाग इनवृक्ष को काटने के लिए अनुमति दे दें। इसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ेगा, तो मेरे लोग मेरी जनता जागो - गांछ लगाइये, गाछ मत काटो, खुद भी मत काटो, सरकार को भी नहीं काटने दो। पलामू के लोग जब जानने लगे कि इससे हमें ही नुकसान होगा तो वे संघर्ष के लिए उठ खड़े हो गये। वे खुद भी नहीं काटे और सरकार को भी काटना बन्द कर दिये।

मेरे गाँव के लोग यहाँ पटमदा में शराब की भट्टी होती है, इसमें भी लकड़ी का नुकसान होता है लेकिन लाभ टाटा वाले शराब दुकान को होता है। इसे सोचो समझो और लड़ो, और खतरे से आप जान बचाओ, पर्यावरण बचाओ। उन्होंने वन संरक्षण समिति वाले को अपने कार्य के प्रति अहम भूमिका पर आभार प्रकट किये।

अब प्रमोद जी ने श्रमजीवी के सचिव को दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किये। सचिव जी ने कहा -- अगर जंगल होगा, जंगल बचेगा तो वन विभाग का नाम होगा। गाँव वाले को/जंगली जानवर को लाभ होगा, शुद्ध हवा भी मिलेगी, पर्यावरण सन्तुलित रहेगा, वर्षा भी समय पर होगी तो खेती भी अच्छी होगी। इस तरह जंगल बचने से सबको लाभ होगा।

यहाँ वन विभाग या संस्था महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है -- दलमा को बचाना, जंगली जानवर को बचाना तथा इर्द-गिर्द के लोगों को बचाना।

इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए हमने गाँव के लोगों को बराबर संगठित करने के कार्य में लगे रहे, वन रक्षा समिति बनाया। मैंने वन विभाग को भी इससे जोड़ने का प्रयत्न किया, इसलिए हमारा कहना है कि इस महत्वपूर्ण कार्य (जंगल, जानवर, लोग) को करने के लिए कम से कम वन-विभाग, वन रक्षा समिति और संस्था के लोग एक साथ बैठने के लिए राजी हो जाएँ और सोचे कि हम तीनों मिलकर किस तरह से इस महान कार्य को करें ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाये।

अब सचिव जी ने वन विभाग से जानना चाहा कि वन विभाग का दलमा के इर्द-गिर्द के लोगों के प्रति क्या सोच है।

इसके बाद प्रमोद जी ने श्री निरंजन प्रसाद देव, दलमा के सहायक वन संरक्षक को अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किये।

श्री देव जी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज हम क्यों एक साथ बैठे हैं। आज हमें क्यों एक साथ बैठने की जरूरत है, जरूर इसके पीछे कुछ कारण है, आज हम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। कल जो सम्पत्ति हमारे पास थी वह अब शेष होने जा रही है, जिससे हमें खतरे का एहसास हो रहा है तभी हम अपने बचने के लिए एक जगह आने की बात कर रहे हैं। कह हम जो भी नुकसान किये (जंगल काटे) उसमें किसी एक को निन्दा करना उचित नहीं है। उसमें आपका, हमारा सबका हाथ है, उसमें सिर्फ वन विभाग को दोष देने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा। उसमें गाँव के लोग भी ठीकेदारों की लालच में आकर जंगल काट रहे हैं। अगर वे वन विभाग को दोष देते हैं कि वन विभाग ने रक्षा के कार्य में कुछ नहीं किया, वन विभाग ने काटा तो उसमें यह भी प्रश्न आ रहा है कि आप गाँव वाले ने क्या किया ? आप क्यों रक्षा नहीं किये ? हम एक दूसरे को दोष देते रहे तो क्या किसी को फायदा है ?

इस समस्या का हम होने वाला है। अत: हमारा अनुरोध है कि हम एक दूसरे का निन्दा करना बन्द करें और साथ मिलकर समस्या के समाधान की बात पर सोचें। यह हमसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है और आपके सहयोग से ही यह कार्य संभव है।

हमसे ज्यादा आपको पता है कि जंगल नहीं रहने से हमें क्या कठिनाई हो सकती है। अत: आप क्षणिक लाभ से आनेवाली जीवन को परेशानी में क्यों डालें, क्योंकि आज जंगल शेष हो जाएगा तो कल के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा। गाँव में इतना पैसा नहीं है कि वे लोहा खरीद कर घर बनाये। कोयला और गैस खरीदकर अपना खाना पकाये। अत: इसे वन विभाग के हाथ में जिम्मेदारी देकर अपने जीवन को खतरे में मत डालें। वन विभाग के कोई भी कार्यकर्ता आपसे मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। अगर कोई आपकी बात को या समस्या को नहीं सुनता है तो आप सीधे मेरे पास आ जाइये हम आपकी समस्या को हल करने में जहाँ तक संभव है खुले दिल से सहायता करेंगे।

उन्होंने मुँगेर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ जंगल को दातून की लकड़ी तोड़ने से ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वे छोटे में ही तोड़ दिए गये जो कल बड़ा होकर आपका बड़े से बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता था। जलावन लकड़ी को भी अगर हम थोड़ा-थोड़ा कम करें तो उससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है क्योंकि बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है। उन्होंने Sanctuary के बारे में सहभागियों को बताया कि सैन्क्यूरी क्षेत्र से आप एक सूखी लकड़ी तक नहीं ला सकते हैं। कोई बीमारी घरेलू पशु वहाँ चर नहीं सकता , इसका कारण यह है कि वह क्षेत्र वन-पशु-पक्षियों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। सूखी लकड़ी में भी कोई छोटे-छोटे कीड़े निवास करते हैं (लाहा)। अगर बीमार पशु अन्दर जाता है तो दूसरे जंगली पशुओं को बीमार होने की आशंका रहती है, लेकिन क्या ऐसा संभव है ? क्या आप दलमा सैन्क्यूरी क्षेत्र से लकड़ी नहीं लाते हैं ? सैन्क्यूरी सिर्फ नाम का है लेकिन उसमें सबकुछ होता है। हमारे पास कानून है लेकिन वह कानून की रक्षा आप ही कर सकते हैं। कल एक गार्ड को देखने से सब डरते थे लेकिन आज बड़ा फॉरेस्टर आने से भी कोई पूछता नहीं है। सरकार के पास इतना साधन नहीं है कि वह आपसे लड़े , आपको जेल देने से समस्या हल होगी ? वन विभाग आपसे लड़ना नहीं चाहती आपसे मित्रता करना चाहती है। मित्रता से ही सबकुछ संभव है।

अगर आप कहते हैं कि सैन्क्यूरी क्षेत्र की रक्षा करने से हमें क्या लाभ होगा, लाभ जरूर होगा। सरकार के पास जो विकास की योजनाएँ है वह पहले जंगल के किनारे रहनेवालों को लाभान्वित होने के लिए है। वन विभाग मदद करेगी और घना जंगल होने से थोड़ी बहुत आपकी जरूरत तो पूरी भी होगी। आपको शुद्ध हवा मिलेगी, जंगल रहने से वर्षा भी अच्छी होगी जिससे अच्छी खेती होगी तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

दूसरी तरफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं उसमें कानून के आधार पर वन रक्षा समिति को 1/3 भाग अंश भाग सरकार देगी इसमें वह समिति बना सकती है लेकिन - सैन्क्यूरी फॉरेस्ट के लिए कानूनी समस्या खड़ी हो जाती है। वन विभाग से ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह वन रक्षा समिति बनाये या उन्हें रजिस्ट्री करे।

के तहत वे वन रक्षा समिति को
कर सकते हैं। लेकिन सैंक्यूरी क्षेत्र में वन रक्षा समिति को लिखित अधिकार देने के लिए उन्हें रूकना होगा। वे इस पर विचार करेंगे , सरकार की बहुत लम्बी चैनल है, इसमें देर भी हो सकती है।

आज जो रैयती जमीन के फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं उसमें वन विभाग अपाहिज है। इसमें सरकार ने कानून बनाया कि 10 फलदार वृक्ष आप बेच सकते हैं, लेकिन आज जो लोग धड़ाधड़ सस्ते दाम पर बेच रहे हैं उन्हें कल सोचना होगा जिससे उन्हें फल-फूल और लकड़ी मिलती थी, कल को उससे अधिक दाम देने पर भी उन्हें नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था कि लोगों को छूट मिल गया तो साफ कर देंगे सब। इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। वन विभाग को तो पहले लोगों से मिलजुल कर काम करने में तकलीफ होती थी लेकिन वे अब जमीन पे पैर रखकर गाँववाले से मिलकर काम करने के लिए सामंजस्यता हासिल कर रहे हैं।

मिथिला महाली का एक प्रश्न था कि वे सरकार से एक लीज जमीन पर महिला समिति अपना पैसा चन्दा करके पेड़ लगाये थे लेकिन तीन साल के बाद उस गाछ को गाँव के कुछ विरोधी लोगों ने जला दिया, तो उसका क्षतिपूरण के लिए उन्होंने बी0डी0ओ0 और सी0ओ0 को लिखा था लेकिन अब तक उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली है।

देव जी ने उस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

नरेन्द्र जी ने अन्त में सभी सन्दर्भ व्यक्तियों और सहभागियों को धन्यवाद ज्ञापन किया और इस तरह कार्यशाला की समाप्ति हुई ।

× : × : × : × : × : ×

वन्य प्राणि आश्रयणी से कुछ भी लेने का अधिकार नहीं : देव

केदार महतो

वन्य प्राणि आश्रयणी से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि सूखी लकड़ी भी नहीं। सूखी लकड़ी जहां वन के कुछ कीड़े मकोड़ों का घर होता है वहीं वह उनका खाद्य भी होता है। आज भी लोग सुरक्षित आश्रयणी क्षेत्र से अपने लिए वन उत्पाद संग्रह कर रहे हैं जो गैरकानूनी है। ये बातें श्रमजीवी उन्नयन द्वारा पटमदा में आयोजित संयुक्त वन संरक्षण कार्यशाला में क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक दलमा वन्य प्राणि अभयारण्य के सहायक वन संरक्षक निरंजन प्रसाद देव ने समारोह को संबोधित करते हुए कही।

श्री देव ने वन विभाग पर अवैध कटाई में उनकी मिलीभगत के लगने वाले आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि जंगल विभाग वाले कटाई में शामिल भले रहे हों पर आप भी शामिल क्यों हुए? वनों की रक्षा आपकी भी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि जब जंगल घने थे तब पता नहीं चलता था, आज यहां जंगल नहीं है तो एक भी पेड़ कटने पर तुरंत पता चल जाता है।

जंगल की घटती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री देव ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से ही जंगलों का दोहन, जंगलों से लेने की प्रक्रिया चालू है। अब तक सरकार हो या जनता, जंगलों से सिर्फ लिया ही लिया है। दिया किसी ने कुछ नहीं। इसी का नतीजा है कि आज यहां जंगल समाप्तप्राय है। पेड़ सिर्फ कटते ही रहे और कटे पेड़ों की पूर्ति न हो तो खत्म होना स्वाभाविक ही है। आज उसका नतीजा भी सबके सामने है। पटमदा वन विहीन है।

वर्तमान संयुक्त वन रक्षा प्रयासों पर श्री देव ने कहा कि माना कि पहले एक फारेस्ट गार्ड को देखकर ही लोग मारे डर के भाग जाया करते थे। पर आज वैसी स्थिति नहीं है। आज हम एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से वन रक्षा के प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे में एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। आज मिल बैठकर बातें करनी जितनी जरूरी है, एक साथ मिलकर वनों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।

श्री देव ने जानकारी दी कि लोग आज भी अभयारण्य में अपने पशु चराते हैं जो कि अवैध है। वहां अगर बहुत जरूरी हुआ तो सिर्फ वैसे ही मवेशी चराये जा सकते हैं जो जीवाणु मुक्त हों, निरोग हों। यह सावधानी इस लिए बरती जाती है कि अभयारण्य के जानवरों में रोगों का संक्रमण न हो। उन्होंने कहा कि अन्य आरक्षित क्षेत्र से लोग अपने उपयोग के लिए एक तिहाई जंगल के उत्पाद ले भी सकते हैं, पर दलमा अभयारण्य से कुछ भी लेना अवैध है।

दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र के मनुष्यों की सुविधाओं के प्रसंग में श्री देव ने कहा कि इस क्षेत्र में बसे लोगों के विकास के लिए योजना बना कर सरकार के सामने रखना होगा। विभाग कोई आश्वासन नहीं दे सकता। इस मामले में हमारे हाथ बंधे हैं। उन्होंने सलाह दी कि लोग लकड़ी की खपत कम करें। बिना जरूरत चूल्हा जलता न छोड़े। हम अगर कुछ भी लकड़ी बचा सके तो वही लाभ होगा।

सरकार ने रैयतों को दस पेड़ो तक की रैयती जमीन से ट्रांजिट परमिट देने का सिलसिला शुरु किया है, उसकी विसंगतियों पर बोलते हुए श्री देव ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य तो रैयतों को राहत देना था पर वास्तव में उसका उपयोग वन के विनाश के लिए भी हो रहा है और रैयतों को जितना लाभ होना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी की आड़ में वन क्षेत्र की लकड़ियां भी पार होने की खबरें मिल रही हैं। इस परमिट से सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि धड़ल्ले से इस क्षेत्र के फलदार वृक्ष कट रहे हैं। महुआ का तो विनाश ही हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान रैयतों का यह हुआ कि उन्होंने इतनी अफरा तफरी में अपने फलदार या अन्य वृक्ष बेचे कि उन्हें पूरी कीमत नहीं मिली। अगर वे धैर्य से काम लेते, उचित सलाह लेते तो उन्हे और कई गुना अधिक कीमत मिल सकती थी। यह नुकसान उनका अपना ही हुआ। उसी की आड़ में लकड़ी का अवैध धंधा करने वालों को उसी परमिट पर अवैध लकड़ियां को सरकाने का मौका भी मिला।

सहायक वन संरक्षक श्री देव ने आमतौर पर अपने विभाग पर लगने वाले आरोपों का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विभाग के छोटे कर्मचारियों के रवैये में तेजी से बदलाव आता जा रहा है। उन्हें स्थानीय लोगों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करने के लिए विभाग की ओर से प्रेरित किया जा रहा है। [illegible] पहाड़ी क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से ही अवैध शराब की भट्ठियां चलती हैं के उत्तर में उन्होंने कहा कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब निरंतर छापेमारी जारी है। भट्ठियां भी लगभग खत्म हो गयी हैं। अगर कहीं छिटपुट बची भी है तो वह भी लक्ष्य में है और बहुत जल्द उसे भी ध्वस्त कर दिया जाएगा और इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि दुबारा वे न पनपने पायें। श्री देव ने अपनी ओर से आश्वस्त देने की कोशिश की कि यहां अब शराब का धंधा नहीं पनप पाएगा। शिकार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में जमशेदपुर के आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र में शिकार पर एक सार्थक कार्यशाला हुई थी जिसमें लोगों ने स्वीकार किया कि दलमा पर जिस तरह सामूहिक पशु हत्या होती है वह आदिवासी परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने आशा जतायी कि इसी तरह की और भी सार्थक कार्यशाला होगी जिनमें शिकार के नाम पर वन्यप्राणी वध रुक सकेगा।

श्रमजीवी उन्नयन [illegible] कार्यशाला के संयोजक प्रमोद कुमार ने सबका [illegible] स्वागत करते हुए इस आयोजन के उद्देश्यों [illegible] तथा भावी कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जीवन सीट ने पर्यावरण व वन की करुण व्यवस्था पर स्थानीय भाषा में दो सुंदर और सार्थक गीत सुनाये। उन गीतों का मर्म कविराज प्रवीर पात्रो ने स्थानीय भाषा में आये प्रतिनिधियों को सुनाय।

श्रमजीवी उन्नयन के सचिव प्रणव चौधरी ने समारोह के शुरू ही में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए दलमा वन्य प्राणि अभयारण्य के सहायक वन संरक्षक से आग्रह किया था कि वे बताये कि यह दलमा क्षेत्र जिसे हाथियों का अभयारण्य घोषित किया गया है, वहां मनुष्य की क्या कानूनी स्थिति है और उनकी हितरक्षा के लिए क्या सरकारी योजनाएं हैं।

श्री देव ने जो कुछ बताया उससे इस हाथी अभयारण्य में मनुष्य की कानूनी हैसियत का कुछ-कुछ अंदाजा तो हो सका लेकिन जहां वन्यपशुओं के संरक्षण के लिए इतनी शक्ति [illegible] वन विभाग के पास न तो कोई योजना और न कोई कानूनी शक्ति।

कार्यशाला में दिया गया था।

श्रमजीवी उन्नयन
गोरबधुली पटमदा
पुर्वी सिंहभूम

संयुक्त वन प्रबन्धन एवं संरक्षण

§1§ आपके समिति का नाम : ______________________
ग्राम : ______________________
पंचायत ______________________

§2§ आपके द्वारा रक्षित वन भूमि : ______________ ---- एकड़ में।

§3§ आपका वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है?
क§ वन अभ्यारण § सैंकचूरी§ ______________________
ख§ टेरीट्रियल ______________________

§4§ मुख्य पेड़ो की प्रजातियाँ ______________________

§5§ क्या आपके वन रक्षा समिति का संचालन होता है? हाँ / नहीं

§6§ यदि हाँ तो, आपके वन रक्षा समिति में विभिन्न पदो पर आसीन व्यक्तियों का नाम :
क§ अध्यक्ष ______________________
ख§ सचिव ______________________
ग§ कोषाध्यक्ष ______________________

§7§ क्या आपके समिति का कोई नियम कानुन है ? हाँ / नहीं

§8§ यदि "हाँ" तो दो नियम का उल्लेख करें :
क§ ______________________
ख§ ______________________

§9§ क्या आपके समिति में मुखिया / सरपंच की भूमिका है ? हाँ / नहीं

§10§ आपके गाँव में ज्यादातर व्यक्ति किस व्यवसाय से जुड़े हुए है?
____
____

§11§ आप किन-किन वन उत्पादों का उपयोग करते है?
____

§12§ आपका वन विभाग के उच्च अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी से कैसा सम्बन्ध है?

	अच्छा	औसत	खराब
उच्च अधिकारी	---------	---------	------
क्षेत्र अधिकारी	---------	---------	------

WL/PA [BIH/S/DAL, POA SEN/TRI, A101]

Ban could not save Dalma animals

Asian, 10-5-95

By Our Correspondent

Jamshedpur, May 9: Despite the strict laws and prohibitory orders undertaken by the central and Bihar government to protect the ecological balance, nearly 20,000 tribals slaughtered hundreds of wild animals in the Dalma hill range on Monday, the tribals killed scores of innocent animals as part of the celebrations of their annual festival, *desua sangra*

For the tribals the wanton massacre of wild animals from bears to boars at the Dalma Sanctuary around 350 feet above sea level was an "act of fun" mandatory for the festival The festival known in Hindi as the *Shikar Parab* was celebrated with much enthusiasm as usual. The only difference was that due to the dwindling number of animals the tribals could not kill as many as they would have liked.

Last year, state minister for forests, Mr Sonadhari Singh banned the tribal festival and made entering the sanctuary a punishable offence, with a fine of Rs 20,000 and imprisonment between three to 20 years. This had no effect on the tribals and animals were openly hunted during the festival this year.

Forest officials told *The Asian Age* that tribals congregated at the foothills of the hill carrying traditional weapons. They climbed the hills intoxicated on *hadia* (rice beer) and after hours of festivity returned with the carcasses. Forest officials said that along with the revelers were poachers who masqueraded as tribals.

CENSUS IN DALMA SANCTUARY

by Uma & B.N. Choudhary

The yearly census of wildlife inside the Dalma Sanctuary was conducted at 45 waterholes (37 were surveyed last year). The number of elephants *(Elephas maximus)* showed an increase from 43 in 1980 to 50 this year. 19 bulls, 23 cows and 8 calves (including one baby elephant less than a year old) were counted. The bulls were mostly tuskers which were sighted in groups of 5, 3 and 2.

On the foothills of the famous Katasimi–pahar an enumeration party, riding in a jeep, met a sloth bear *(Melursus ursinus)* with its cub. The bear was so annoyed with the presence of the jeep that she jumped and stood over the trailor hook of the running jeep after keeping the cub at a safe place. Only after great persuasion was the mother bear induced to get down without injuring the enumerators.

This year's census showed a remarkable increase in the population of sloth bear and wild boar which was 40 and 76 respectively. The rare variety of mousedeer *(Tragulus meminna)* was also sighted. The Indian Giant squirrel *(Ratufa indica)* was found to the summits, moving from tree to tree, taking amazing leaps.

The total area censused was 193 sq.km., which contained 18 barking deer, 3 mouse deer, 40 sloth bears, 76 wild boars, 271 Red–face monkeys, 33 langurs, 46 peafowls, 43 jungle fowls, one red squirrel plus the 50 elephants.

B.N. Choudhary, I.F.S., is the Divisional Forest Officer, Wildlife Division Ranchi–2, India.

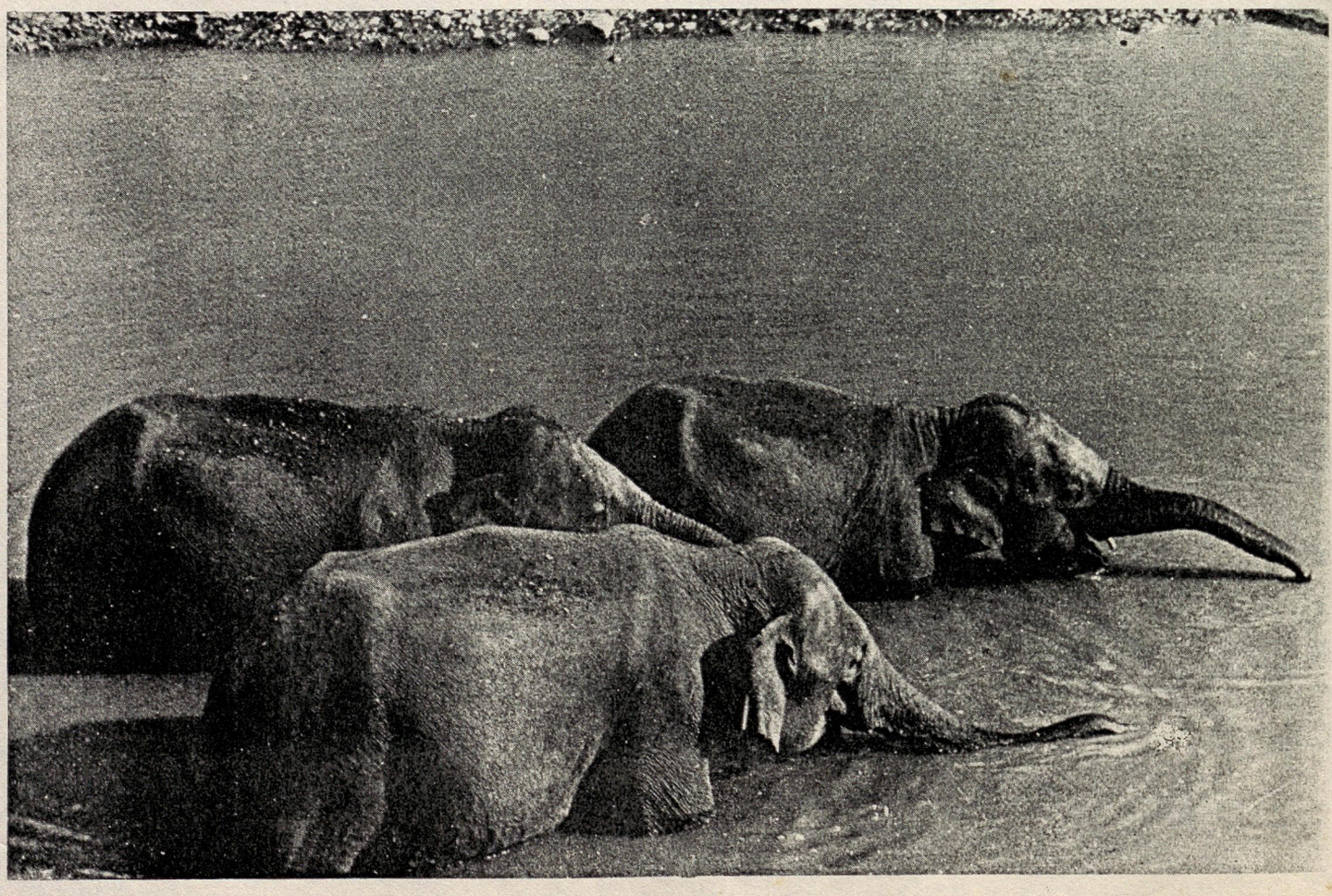

Photo: B.N. Choudhary

All morning the Adivasis moved through the thinly wooded Dalma Hill, bows and arrows at the ready. Usually the noise they made warned the animals well in time of their approach.

THE LAST OF THE GREAT TRIBAL HUNTS

Around May every year, about 3,000 tribespeople from in and around Jamshedpur gather in the plains of Asanboni, for the primitive ritual of the annual tribal hunt on Dalma Hill. This year may be historic for them—it could be the Adivasis' last hunt on this hill.

by C. Y. GOPINATH
Pix: TEKI

THE sun had long ago set behind the humped shoulder of the hill. About 3,000 Santhal tribals settled down around campfires in the evening shadows that mantled the plains. Their poison-tipped arrows, spears, swords, hatchets and knives lay arranged in neat conical stacks nearby. The warm twilight air throbbed with the primitive rhythm of a weird tattoo on heraldic war drums, from the hills around Jamshedpur, as more and more lines of hunters trekked grimly towards the meeting place. As if in cadence with the reverberating beat, the sky pulsed orange with the glow from Jamshedpur's steel factories.

To the north, a black hulk barely visibly against the rapidly darkening sky, loomed Dalma Hill. In the black before dawn the next morning, the tribals would swarm over the hill, swiftly dealing death to every animal that crossed their path. It was the ancient tradition of the Great Annual Hunt.

This year's hunt bore a strange, grim, funereal air. The characteristically taciturn Santhals seemed to go about the rituals of the hunt joylessly. There was a reason for it: by the decision of all the tribal chieftains of Singhbhum it was to be the last of the Great Annual Tribal Hunts.

A breeze wafted along the faint odour of fermenting rice, as vendors dealt out the local brew, a potent ricebeer called *handiya*, in enamel mugs and bottles. Even toddlers were fed *handiya*. Elsewhere, women sold cold stew of soya beans and sour curds.

They were all Adivasis, the earliest known settlers of India. Curiously insulated against the industrial township they live and work in, they have preserved intact a bizarre collage of rituals almost as old as the sun itself. Dark, pigmy-haired, with prominent jaws and wide nostrils, they resembled nothing so much as their distant anthropological kin, the aborigines of the Australian outback. Certainly they were an odd sight. Their garments were for the most part casually urban, trousers, T-shirts, sneakers and caps. Slung anachronistically over their shoulders were the bows, spears and deadly poison arrows, cherished relics of yesteryear's way of life.

A month before the hunt, it is the high priest's duty to dispatch a runner to all the tribal villages within 30 miles of Jamshedpur, to announce the official date of the hunt. The high priest, a frail, aging man with a quavering voice, lives in Gadra, about eight miles from the steel city. The runner carries a length of knotted rope, a primitive sort of RSVP. The chieftain of each village that agrees to participate in the hunt, loosens one of the knots. The number of knots loosened tells the high priest how many of the 125 or so villages plan to attend.

Days before the big day, the hunters visit the high priest's hut. His wife washes their feet in well-water, while the priest himself offers them swigs of "Adivasi tea"—*handiya*.

When the hunt is done with, the hunters make the high priest an offering of the necks of whatever animals they have killed. Years of regular hunting have all but desolated the hill of its wildlife, and the trophies of the hunt seldom are more than a few rabbits, jungle fowl, and wild boar.

Dalma Hill is a thinly wooded knoll 3,000 feet high, accessible only by a murderous spiralling gravel track. Once the chain of hills named after Dalma sheltered leopards, tigers, deer, wild boar, bear and elephants. At that time, it belonged to the flourishing Midnapore Zamindari Company and stories are told of its whimsical, eccentric proprietor who lived on the hilltop, and would telegraph his men in the plains when he needed supplies of food. All that is gone now, replaced by a microwave repeater station, and a neatly laid rest-house of the steel company. During the day, Adivasis stealthily ply an illegal wood-cutting trade. By night, unperturbed by the elephants, jungle people called the Kharias come out of their caves perched precariously on Dalma's escarpments, and flit through the woods, hunting with bows and arrows and digging for edible roots. Presiding over this minor kingdom is a self-appointed man of God called Dalma Baba, known as much for his relationship with the Almighty as for the shrewd business acumen that has enabled him to set up a farm of several houses and about 30 cattle atop the hill.

The Adivasis, historically animistic and sun-worshippers to this day, deify Dalma Hill as a Goddess, Dalma Devi. She is a fertile, benevolent, open-handed goddess, who permits her chosen people, the Adivasis, to hunt on it one day in a year. The only creatures that populate the hill in any numbers today are the lumbering herds of wild elephant. To the Adivasis, they are sacrosanct. The Hill Goddess protects them.

The high priest, guardian of the ancient secrets and rituals of the Adivasis, is called upon to determine whether the gods' blessings are with the hunt. In a secret sunrise ritual, he prays to the hill goddess, and the sun god, and requests their blessings. He then shoots a poison-tipped shaft towards a target a hundred yards away. If it strikes home, it is the sign of the gods' patronage and approval.

As in the centuries before, the Adivasis set about the preparations for this year's hunt with quiet enthusiasm. However, unknown to them, fate was playing its hand, and heavily. In Calcutta, a group of men were sitting over drinks in the balcony of a high-rise building to work out a feasible way of stopping the annual hunt. For good. One of them was Ashok Kumar, tall, lean and humorous, an executive in the Tata Iron and Steel Company, and a wildlife enthusiast. Over two years of intermittent journeying to Jamshedpur on holiday and work, Ashok had grown gradually obssessed with the thought of having a wildlife sanctuary within half an hour's drive from the modern city.

Ashok Kumar consulted Anne Wright, of the World Wildlife Fund, about his idea, and together they constructed the vision so essential to inspire action. The vision was of a hill sanctuary, called the Dalma sanctuary. It would be an elephant sanctuary, and shooting of any sort would be absolutely banned on it. Gradually, over the years, the hill creatures would begin to multiply—perhaps they would start brimming over into the neighbouring forests. Species of deer could be introduced, and under careful protection, their numbers, too, would increase. Their presence would attract the rare leopards of Dalma range. Tourists from the steel city and Calcutta would find the sanctuary an enchanting Eden of wildlife to visit over a weekend. Standing on the wind-blown crest of the hill with a panoramic view of Jamshedpur through the mist carpeting the plains, they would marvel that so lush a forest and so modern a city could exist side by side.

The authorities and city councillors of Jamshedpur gave Ashok their unconditional go-ahead. There only remained the matter of the annual tribal hunt. For the sun-burned Adivasis hunting is a divine right, bestowed on them by the sun god and the hill goddess, and the hunt could not be stopped without provoking the gods' wrath. The beasts of the jungle were to the Adivasis

(Continued on page 23)

JR. STATESMAN, CALCUTTA, AUGUST 10, 1974

(Continued from page 19)

stirring, splendid, glorious sights. Hunting them down was their way of establishing man's superiority.

It was the middle of scorching summer in Jamshedpur and smallpox was raging in epidemic proportions in Singhbhum, when Ashok Kumar and Anne Wright began the first of several trial forays into Adivasi country. A basically amicable, somewhat indolent community, the tribals listened willingly to Ashok's arguments against the great hunt. "I was surprised right at the outset to find that the tribes people cherish a great love for wildlife, and are innately more conservation-conscious than most city folk. This made my task much simpler. The picture I painted of a forest —their forest—teeming with wildlife was very attractive to them, and when I pointed out that their hunting and illegal woodfelling would quickly make a bald, deserted mount out of Dalma Hill, they conceded my point."

A handful of eloquent Adivasis stepped forward to help persuade their fellow tribals to abandon the hunt, while many of the village elders granted, that it was, in principle, a good idea. Diplomatically, Ashok took pains to let the decision be theirs. On a nearby hill, a wildlife officer, working independently to stop a similar hunt there, had imposed Section 144 of Criminal Procedure Code, prohibiting gatherings of 5 people or more. It had failed to stop the hunt.

'The tribals cherish a great love for wildlife and are more conservation-conscious than most city folk.'

Everything seemed to be on Ashok's side. Enthusiasm for the hunt was already at a low ebb owing to the smallpox epidemic. Just in the month of April, there were 500 reported deaths, and more than 2,500 suspected cases in the area around Jamshedpur. Ashok's campaign, persuasive and timely, caught them unprepared, and the hunt was postponed by two weeks, to May 14.

Leaving no avenue unexplored, Ashok sought an interview with Dalma Baba. Perhaps he could help bend local superstition to stop the hunt. Among a certain section of Jamshedpur's labourers, Dalma Baba enjoys great popularity, and rumours that he sends his daughter to a college in the USA apparently do not make him any less a divine messenger in their eyes. The Baba astutely asked Ashok how the law stood on this matter but could not promise much help. Vegetarian by conviction, he has a long standing quarrel with the meat-eating Adivasis, who, in turn, regard him a trespasser on the Goddess's sacred hill.

It was at this stage that the small corps of city people hit upon the ingenious idea of taking a group of tribals on a guided tour of a wildlife sanctuary to show them what Dalma Hill could look like with their help. Arrangements were promptly made, and eight of the most enthusiastically anti-hunt tribals were taken to the Palamau sanctuary, 150 miles away. Their expedition succeeded beyond everyone's wildest hopes and it seemed as though all that remained was for the fervour to catch on.

On the balmy, starlit night of May 13, JS was at the flat grasslands of Asanboni, at the foot of Dalma Hill in time for the start of the hunt. A small number of tribals arrived on bicycles, but most of them walked the distances from their villages, and places of work in the factories and mills of Jamshedpur, to Asanboni. By midnight, only about 3,000 had arrived, and sat in groups around Dalma Hill. This in itself was a great achievement, for 15,000 people had attended the last year's hunt.

Most of them were tired after the long walk, and by the dawn of May 15, when they began moving up the hill in single line formations of 25 or more, almost all of them were drunk. Accustomed to physical effort, they ascended the hill without strain, which was more than I, following one of their formations, could claim. They seemed less concerned with camouflaging their rather noisy approach towards the animals of the hill, as with performing the ritual walk up to the crest of the hill, down the north face, and then retracing their steps back to Asanboni. As usual, their disorganized effort produced only a few jungle fowl, one civet, a hog deer, and two wild boars.

By the time the hunters returned, exhausted but somewhat more exhilarated than when they left, a jeep was patrolling the highway. From it, the amplified voice of a tribal called Martin Soy gave them the news that this was probably the last of the great annual hunts. He spoke in Bhumij, the local dialect, and Hindi, and Bengali. Rice-beer flowed, and war-drums rolled out their stumbling tatoo, as the tribals, apparently unmoved by the announcement, started an orgy of drinking that would last into the night. Meanwhile, World Health Organization officials swooped down from Jamshedpur in a fleet of jeeps, to vaccinate the entire gathering before they dispersed. Hot night settled viscously over the plains, and at about eight, the tribals, most of them sleepy and intoxicated, were shown a conservation documentary, Serengeti Shall Not Die, on an open field behind a highway gas pump.

At last minute's notice, a tribal offered to make a commentary while the film was shown. It was an impromtu delivery, but the tribal mouthed the unfamiliar cliches of modern wildlife conservation apparently intuitively. Deftly and spontaneously, he translated the content of the film to the context of the annual tribal hunt on Dalma Hill, painting meanwhile, a glorious paean for wildlife in sincere, powerful rhetoric. More than anything else this was an index of the great natural love these simple people have for the jungle and its creatures.

The Santhals of Jamshedpur may not relinquish their great hunt easily, for old rituals die hard, and besides, no one wishes to provoke the sun god's wrath. However, they may leave Dalma Hill alone after this year, and shift their venue to one of the nearby woods. Civilization is rapidly overtaking them but in their unassuming, good-natured way, they are adapting to it. The end of the Great Tribal Hunt may be the beginning of a big change for them.

STOP THOSE MEN —BEFORE THE ELEPHANTS DIE

ASHOK KUMAR tells the story of Dalma Hill and how he thought of making it a sanctuary.

I was nudged into wakefulness before dawn. The sky had lightened but the surrounding jungle was an ethereal grey. Ten minutes later we were rolling down the 'kutcha' hill track in our jeep, the engine purring softly in top gear. The forest began immediately. Half a mile down, the road levelled out. I noticed something in the middle of the road, braked gently, and stopped. It was a heap of elephant dung which had not been there the previous evening. "Fresh," whispered my companion and just then in peripheral vision I saw a large ear flick two hundred yards to one side of the road. A cold chill ran through us.

"Elephant," both of us gasped, and then the murky grey shape of a lone bull elephant moved out of the jungle dark and stood looking at us. He looked unreal in that light, but any doubts about his reality were suddenly dispelled by a short shrill trumpet. I gently put the jeep into reverse gear and backed very, very slowly. The elephant crossed the road but stood looking at us—I thought, malignantly. This was his domain and we had no business to be there at that hour. I backed further away past a gentle curve. We could still hear him moving heavily in the jungle, but away from the road. He trumpeted again.

I did not stop for a mile, but when I did stop, we jumped out of the jeep and shook each other with deep exhilaration. We had seen our first wild elephant in the forest: a lone bull. And we had proved there was elephant on Dalma hill. That was the summer of 1972.

As a regular visitor to Jamshedpur, I had looked at Dalma longingly for years wondering what there was on its steep slopes. I had heard occasionally of wild life on the hill but no one seemed sure. It was known that leopards had been shot near Dalma—illegally, of course—and elephants sometime came into paddy fields at the foot of the hill. Looking at the steep south face of the hill visible from the town of Jamshedpur, this did not seem possible.

Then one day I borrowed a jeep and bounced my way up the boulder strewn hill road. There was a lot of elephant dung to be seen but all of it was dry and old. Convinced that there could not be any elephants on Dalma—not in summer at any rate—we turned in for the night. Next morning we saw our elephant.

A few weeks later, I returned to Dalma. This time the Forest Officer was with me. On hearing my story he had been caught up in the enthusiasm, and we were there to do a 'pinch period' (hot weather) survey of wildlife and sources of water on Dalma. We discovered a sheer paradise.

We found, on the north face shielded from the harsh sun, a green forest cover in successive valleys, grassy plateaus and numerous sources of water. What is more, despite heavy poaching some wildlife had survived. Elephant was definitely there, several small herds and lone bulls; a good population of bear, some wild boar, possibly leopards, the odd barking deer, and fairly prolific bird life. But strangest of all, we discovered on Dalma the rare mouse deer, not reported before in Northern India. This unique discovery in itself convinced us that Dalma Hill should be a wildlife sanctuary.

The elephants fascinated us the most. Next day at dusk, I photographed a small herd as it enjoyed a mud-bath near a large pool of water. On the Dalma top there is a Shiva temple. I talked to the head 'Baba' of the temple. He is a quaint, but a vivacious person. He knew a lot about the history of the Dalma hill and its vanishing wildlife. Three lone bull elephants live close to the hill top and raid his crops once in a while. He has given them names. Giddu—the short one—is also short tempered. It was Giddu we had seen that morning. During the day, the elephants retire to dense cover in valley folds and avoid forest roads traversed by man.

The elephants had to be saved. 'civilization' was creeping up the hill. The forest was being felled mercilessly. The migration routes of the elephants were cut off by the National highway to Ranchi, on which, recently, two wild elephants were killed by the police. The only way to save what was left of the forest and its denizens was to make Dalma into a wildlife sanctuary. That's how it all started.

The Forest Officer sent a proposal to his superior, who readily accepted it, because the superior was none other than Mr S. P. Shahi, the Chief Conservator of Bihar. The proposal was forwarded to the powers that be in Patna, to declare Dalma hill a wildlife sanctuary It is expected any day.

Giddu is not a magnificent specimen of elephant. He is short and tuskless. Relentlessly disturbed by man he has turned sour-tempered. Yet, he and his kind are wild elephants who have somehow survived the proximity of half a million men and the blast furnaces of Jamshedpur's steel factories. It is now up to the Adivasis of Singhbhum (see story on page 23) and to the rest of us to decide if Giddu and his tribe will continue to browse on the steep slopes of Dalma hill.

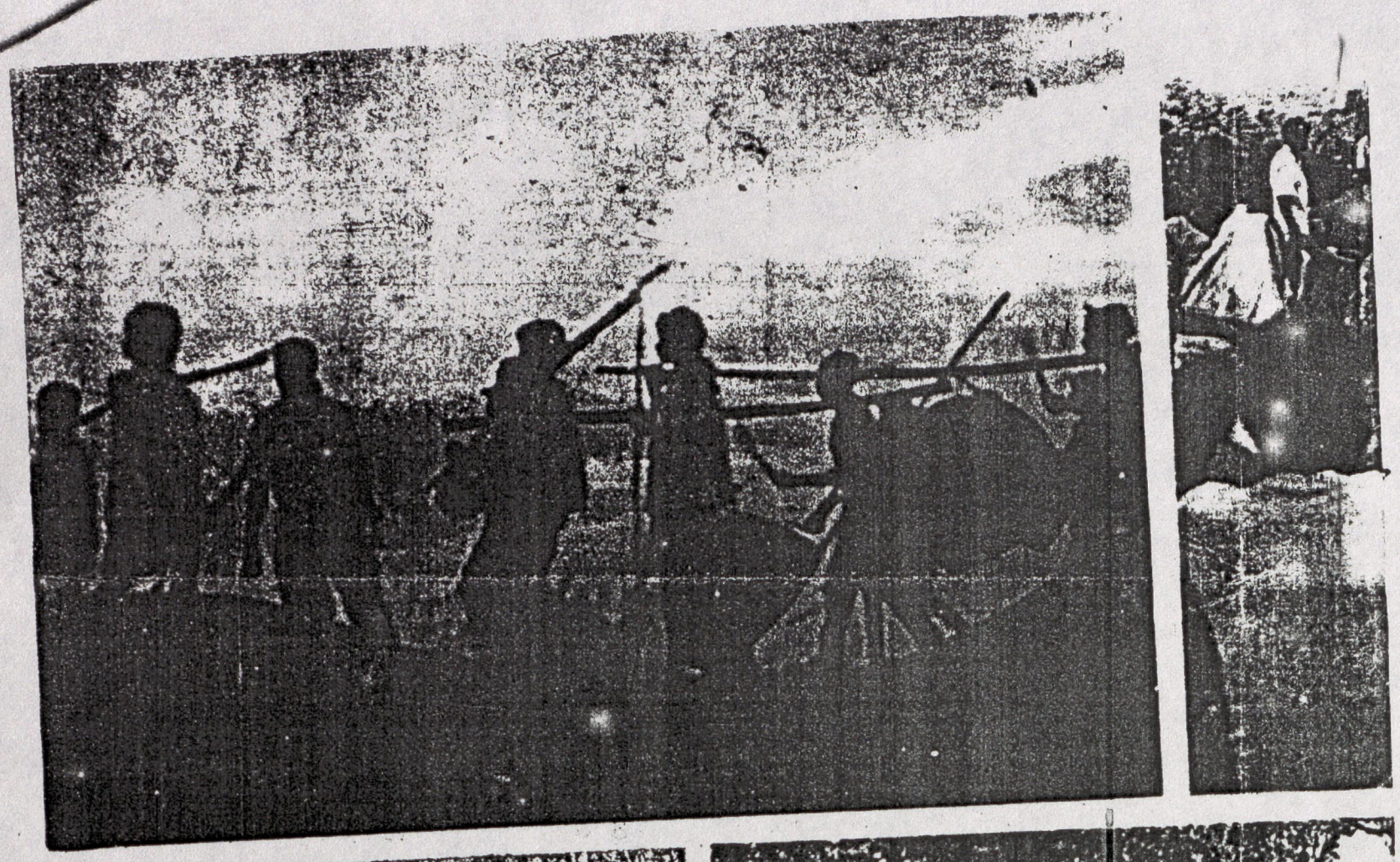

PIX : TEKI

As the sun sets over the green plains of Asanboni near Jamshedpur, the hills reverberate to the sound of tribal war drums as the Adivasis meet once again for their annual hunt. Their deadly poison arrows and spears in neat stacks, they spend the night singing and drinking. In the black before the next dawn, they assault Dalma Hill, killing every animal that crosses their path. Over the years the hill has been desolated of most of its wildlife, but the ritual carries on. Seldom do the tribals bag more than a couple of jungle fowl.

a few rabbits, wild boars, and if they're lucky, deer. One Adivasi minstrel (below) found himself a pet—a fledgeling koel, orphaned when the tribal's dart killed the parent.